Tuesday, 31 March, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated On ...
Parliament Library

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया — Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, बुधवार, 31 मार्च, 1971/10 चैत 1893 (शक)
No. 10, Wednesday, March 31, 1971/Chaitra 10, 1893 (Saka)

	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
38.	चाय निगम की स्थापना	Setting up of Tea Corporation	1—2
39,	अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Disturbances in Aligarh	2—6
40.	निर्यात में गिरावट	Decline in Exports	7—9
41.	राजनैतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार	Preaching of Communal Propaganda by Political Parties	9—13
42.	भारतीय चाय की विदेशों में बिक्री	Marketing of Indian Tea Abroad	13—15
43.	नायलोन धागे के मूल्य के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission's Report on Nylon Yarn Prices	15—17
44.	योजना की क्रियान्विति में असफलतायें	Failures in Plan Performances	17—19
45.	केन्द्रीय सैन्य दलों का पश्चिम बंगाल में तैनात किया जाना	Deployment of Central forces in West Bengal	19—20
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
46.	बेरोजगार इंजनियर	Unemployed Engineers	20—21
47.	किशनगढ़ (राजस्थान) के महाराजा की हत्या	Murder of Maharaja of Kishan Garh, Rajasthan	21

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Questions was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ट Pages
48.	उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनिर्णित पड़े मामले	Pending cases in High Courts and Supreme Court	21—22
49.	थीन बांध का निर्माण	Construction of Thein Dam	23
50.	देश में हथियार और गोला बारूद का बरामद होना	Seizure of Arms and Ammunition in the country	23—25
51.	सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में विचाराधीन मामले	Court cases Pending against Central Government employees for participation in September, 1968 Strike	25
52.	पश्चिम कोसी नहर का नेपाल के क्षेत्र मे रेखांकन	Alignment of Western Kosi Canal in Nepalese Territoty	25—26
53.	गंगा नदी के सम्बन्ध में वृहत् योजना तैयार करने का प्रस्ताव	Proposal to formulate a Master Plan regarding the Ganga River	26
54.	उत्तर प्रदेश में सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Cotton Yarn in U. P.	26—27
55.	तेलंगाना को पृथक राज्य बनाना	Creation of Separate State of Telangana	27—28
56.	पिछड़े राज्यों का विकास	Development of Backward States	28—29
57.	अलकनन्दा में आई बाढ़ के कारणों की जांच के लिये जांच समिति	Enquiry committee for looking into causes of Floods in Alaknanda	30
58.	चीन द्वारा अन्तरिक्ष में दूसरा उपग्रह छोड़ा जाना	Launching of Second Satellite by China	30
59.	आसाम के लिए नई राजधानी बनाने हेतु आसाम सरकार को सहायता	Assistance for Building a New Capital for Assam	30—31
60.	पश्चिम गौदावरी मे अनुमला लांका के निकट येर्रकल्वा के पार सिंचाई परियोजना का निर्माण	Construction of Irrigation Project Across Yerrakalwoa near Anumala Lanka in West Godavari	31
61.	विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Trade	31—34
62.	इटली के व्यापार शिष्टमंडल द्वारा भारत का दौरा	Visit by Italian Trade Delegation to India	34
63.	हाल ही में हुए चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग	Use of Foreign Money during Recent Elections	35
64.	तमिलनाडू में राज्य योजना बोर्ड का गठन	Formation of a State Planning Board in Tamil Nadu	34

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
65.	विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित विषयों का पुनर्वर्गीकरण	Regrouping of Subjects handled by various Ministries	35—36
66.	पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की जांच	Enquiry into Political Murders in West Bengal	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
66.	मैसर्स मोडेला बूलन मिल्स (प्रा०) लि० द्वारा अयातित कच्ची ऊन के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into Import of Raw Wool by M/s Modella Woollen Mills (P) Ltd.	36
67.	बाढ़ द्वारा हुई क्षति तथा राज्यों को उसके लिये दी गई केन्द्रीय सहायता	Damage caused by Floods and Central Aid Given to States	37—38
68.	लोक-सभा के मध्यावधि चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री के दौरे	Prime Minister's Tours during Midterm Elections for Lok Sabha	38—39
69.	अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Aligarh	39
70.	नवाब रामपुर पर मुकदमा चलाने के लिये तलत फातिमा हसन को अनुमति	Permission to Miss Talat Fatima Hasan to sue the Nawab of Rampur	39—40
71.	कपड़ा उद्योग की संरक्षण	Protection to Textile Industry	40—41
72.	सीमा सुरक्षा दल के एक सदस्य द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के एक हवाई जहाज का पाकिस्तान को अपहरण किया जाना	Skyjacking of an Indian Airlines Plane by a Member of BSF	41
73.	नर्मदा परियोजना विवाद सम्बंधी न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन	Report of Tribunal on Narmada Project Dispute	41
74.	कपड़े के मूल्य में वृद्धि	Rise in Prices of Cloth	41—42
75.	चुनावों के दौरान प्रतिरक्षा कर्मचारियों की पश्चिम बंगाल में तेवाती	Deployment of Defence Personnel in West Bengal during Elections	42
76.	पश्चिम बंगाल में पटसन श्रमिकों की हड़ताल	Jute Workers' Strike in West Bengal	42—43
77.	इजीनियरिंग औजारों का निर्यात	Export of Engineering Tools	43—44
78.	फालतू पुर्जों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी मुख्य सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की संख्या	Spare parts for Major Irrigation and Power Projects lying idle for want of spare parts	44—45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
79.	राज्यों में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects under Construction in States	45
80.	जम्मू तथा काश्मीर में शेख अबदुल्ला के प्रवेश पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश का वापस लिया जाना	Lifting of Order banning Shekh Abdullah's Entry into Jammu and Kashmir	45
81.	पश्चिम बंगाल में हत्याएं	Murders in West Bengal	45—46
82.	पश्मि बंगाल पुलिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य	Alleged Statement made by Secretary of West Bengal Police Association	46
83.	संघ राज्य क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय वेतन मान	Central Pay Scales for Union Territories	47
84.	मद्रास और दिल्ली में माओ के पोस्टरों का प्रदर्शन	Display of Mao Posters in Madras and Delhi	47—48
85.	चुनावों के दौरान हिंसा तथा मतदाताओं को आतंकित करने की घटनाएं	Incidents of violence and intimidation of voters during elections	48—49
87.	शक्ति चालित करघों के लिये राजस्थान सरकार का अनुरोध	Rajasthan Government's requests for Power looms	49—50
88.	बिहार में कपड़े के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of cloth in Bihar	50
89.	कमला तटबन्ध का सीसापानी तक विस्तार	Extension of Kamala Embankments to Sisapani (Nepal)	50—51
90.	भारत नेपाल व्यापार वार्ता	Indo Nepal Trade Talks	51—54
91.	चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राज्यों में मारे तथा घायल हुए व्यक्ति	Persons killed or injured during election Campaign in various states	54—55
92.	भारत के विदेशी व्यापार का ह्रास	Decline in India's Foreign Trade	55
93.	मघोलकर आयोग के प्रतिबेदन पर बाद की कार्यवाही	Follow-up action on Mudholkar Commission Report	56
94.	योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission	56
95.	पटना जंकशन तथा पटना सिटी स्टेशनों के नाम बदलने के बारे में सिफारिश	Recommendation for changing names of Patna Junction and Patna City Station	56—57
96.	गंडक परियोजना (बिहार) के लिये अनुदान	Grant for Gandak Project (Bihar)	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
97.	बिहार में मतदाताओं को आतंकित करने के लिये घातक हथियारों का प्रयोग	Use of Lethal Weapons for Terrorising voters in Bihar	57—58
98.	पश्चिमी बंगाल में हिंसक घटनाएं	Violent 1ncidents in West Bengal	58
99.	मध्य प्रदेश की खादर भूमि का डाकूग्रस्त क्षेत्र	Dacoit infected Area of Revine Land in Madhya Pradesh	58
100.	तमिलनाडु में आयात लाइसेंस के बारे में घोटाला	Import Licence Racket in Tamil Nadu	58—59
101.	देश में राजीतिक हत्यायें	Political Murders in the country	59—60
102.	भारत में बड़ी संख्या में हिप्पियों का आगमन	Influx of Hippies into India	60
103.	नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस द्वारा अतिक्रमण	Enroachment by Nagaland Armed Police	60
104.	राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने में विलम्ब	Delay in completion of Rajasthan Canal Project	60—61
105.	राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता	Electricity Generating Capacity of Rajasthan	61
106.	विद्युत सप्लाई में पड़ने वाली बाधाओं को कम करने के लिये वोल्टेज का विनियमन	Regulation of Voltage and Reduction in Frequency of Interruptions in Power supplies	62—63
107.	चौथी पंचबर्षीय योजना के लक्ष्यों की तुलना में विद्युत संयंत्रों की सप्लाई में विलम्ब	Delays in deliveries of Power Plants via-a-vis Fourth Plan Targets	63—64
108.	पश्चिम बंगाल में कलकता और 24 परगना जिले में चुनाव से पूर्व धर पकड़ की कार्यवाही	Pre-Election Combing Operations in Calcutta and 24 Parganas District of West Bengal	64—65
	पूर्व बंगाल की हाल की घटनाओं के बारे में संकल्प	Resolution Re. Recent Developments in East Bengal	65—67
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	67—71
	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा पड़ताल का समाचार	Repoted strike by workers of Eastern Railway	67—71
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	68—69
	श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा-सटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	71—75
गन्ना उत्पादकों को देय मूल्य की बकाया राशि के बारे में व्यक्तव्य	Statement Re. Arrears payable to Sugarcane Growers	75
श्री अन्नासाहब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	75
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	76—96
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta	76—78
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V,K.R. V. Rao	78—80
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	80—83
श्री हेनरी आस्टिन	Shri Henry Austin	83—84
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	84—85
श्री पी० आर० दास मुन्शी	Shri P. R. Das Munsi	86—87
श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gayatri Devi	88—89
श्री आर० एस० पांडे	Shri R. S. Pandey	89—90
श्री एन० के० शर्मा	Shri N. K. Sharma	90—91
श्री एच० आर० गोखलें	Shri H. R. Gokhale	91—94
श्री बीरेन्द्रसिंह राव	Shri Birendra Singh Rao	94
श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले	Shri R. Balkrishna Pillai	94—95
श्री मूल चन्द डागा	Shri Mool Chand Daga	95
श्री शिवनाथसिंह	Shri Shivnath Singh	96
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajaya Sabha	86

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 31 मार्च, 1971/10 चैत, 1893 (शक)
Wednesday, March 31, 1971/Chaitra 10, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of Tea Corporation

***38 Shri R. P. Yadav :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any proposal to set up a Tea Corporation; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) : Yes, Sir. We have a proposal to set up a Tea Corporation. The details of set up of the proposed Corporation and its functions are being worked out.

Shri R.P. Yadav : Will the hon. Minister be pleased to state the member of tea gardens still owned by the foreigners ? Does it not sond strange that the undeveloped country like India is still laving foreign owned tea gardens ?

Shri L.N. Mishra : This question has got nothing to do with tea gardens. We are going to set up a Corporation where arrangements of tea packajing will be made. We might be having the same packajing pattern as in foreign countries and thereby earning profit for the Country.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यद्यपि यह ठीक है कि मोट्रियल सम्मेलन का बहुत अधिक प्रचार किया गया उसके उपरान्त भी मात्रा तथा मूल्य दोनों

में ही चाय के निर्यात में कमी हुई है, क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह सरकारी क्षेत्र निगम कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा और आपने चाय निगम की स्थापना के लिये कितनी धनराशि लगाने का निश्चय किया है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : कुछ ही सप्ताहों में इस निगम की स्थापना हो जायगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कागजात तैयार करा लिये गये हैं। मेरे विचार से अगले सत्र से पूर्व ही इस निगम की स्थापना हो जायगी। 5 करोड़ रुपये की राशि इसके लिये स्वीकृत की गई है।

अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे

*39 **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रमुख साम्प्रदायिक संगठन अलीगढ़ में ऐसा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था जिसके फलस्वरूप वहां साम्प्रदायिक दंगे हुए ;

(ख) क्या इस संगठन ने अलीगढ़ में कांग्रेस (सत्तारूढ़) के एक उम्मीदवार को हराने के लिये ये दंगे कराये थे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत स्थापित एक जांच आयोग जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री डी० एस० माथुर हैं। दंगों के क्रम और कारणों की जांच पड़ताल करेगा और उत्तरदायित्व तथा उक्त घटनाओं से सम्बन्धित विस्तार का मूल्यांकन करेगा।

(ग) सदन को ज्ञात है कि अपराध कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 में, जो दिसम्बर, 1970 में लोक सभा में सरकार द्वारा पुनःस्थापित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने की व्यवस्था की गई थी। विरोधी दलों द्वारा उठायी गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए विधेयक को वापिस लेना पड़ा। सरकार इस मामले में आगे कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनसंघ के किसी प्रमुख कार्यकर्ता को उत्तेजक भाषण देने के कारण बन्दी बनाया गया था और उसके बन्दी बनाये जाने के पश्चात छात्रों ने जनसंघ के समर्थन में प्रदर्शन किये। जिनके परिणामस्वरूप आगजनी, लूट तथा छुरेबाजी की घटनायें हुई, और वहां जन, धन की कितनी हानि हुई ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सत्य है कि 2 मार्च को छात्रों के प्रदर्शन के कारण साम्प्रदायिक झगड़े हुये। जहां तक जन, धन की हानि का प्रश्न है, 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 78 घायल

हुये और अलीगढ़ में इस झगड़े के दौरान लगभग 27½ लाख रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई अथवा नष्ट की गई। राज्य सरकार द्वारा हमें यही सूचना प्राप्त हुई है।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या यह सच है कि अपने कर्तव्य पालन में असफल रहने के कारण जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक को निलाम्बित कर दिया गया और यह कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव ने उन्हें यह बताते हुये सचेत कर दिया था कि उन्हें ऐसी सूचना मिली है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनसंघी तत्व झगड़े कराने पर तुले हैं जिसका अर्थ है सत्ताधारी कांग्रेस के श्री मुहम्मद युनुस सलीम की पराजय ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनके निलम्बित किये जाने के विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उन्हें निलम्बित किया गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am really sory to note that my party is being dragged into the affairs. May I know from the hon. Minister, whether he knows that there was no Jan Sangh candidate from Aligarh and that the riot····· *[Interruption)* I have asked a question from the hon, Minister, but it appears that those who have not been obliged with Ministerships have assumed responsibilities of replying. I would like to know whether it is a fact the lionble started when an agent of S.S.P. candidate caught hold or a man who was going to caste a vote indisguise of a burqah; whether it is also a fact that despite arresting the voter, the police had beaten that agent of S.S.P. candidate and that the students arranged demonstrations in protest theseto ?

I would also like to know, whether it is a fact that while the students were having a demonstration in one part of the city, a section of the people devoted themselves to put the shops on fire in the gold market just infront of the railway station ? Who were these people ? Is it a fact that the demonstration by the students and the orson committed by a section of the people had been at two district places and there was no link between both of them ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझावात्मक प्रश्न है जो उचित रूप में नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आप किस प्रकार कहते हैं कि प्रश्न उचित रूप में नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : इसका निश्चय करना मेरा कार्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपनी टिप्पणी की व्याख्या करें। मैं कोई नया सदस्य नहीं हूँ। मैं सही घटना जानना चाहता था। श्रीमन, मैं आपकी टिप्पणी से अप्रसन्न हूँ... (**व्यवधान**) मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने कोई सुझावात्मक प्रश्न नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने घटना का व्यौरा दिया है और फिर भी आप इसे प्रश्न बताते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे इसकी भूमिका बतानी थी। बिना भूमिका के बताये कोई प्रश्न नहीं बनाया जा सकता और मैं ऐसा ही कुछ कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे धमकी देने का प्रयत्न न करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपकी टिप्पणी से अप्रसन्न हूँ।

Shri K. C. Pandey : There is the government of the people, the Government of the farmers and the Labourers in Uttar Pradesh. The House can not be mislead in this way *(interruptions)*

Shri Hukam Chand Kachwai : The resort to goondaism and badmashi

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय मित्र ने झगड़े के कारणों के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये हैं । जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस मामले की जांच के लिये राज्य सरकार ने जांच आयोग की नियुक्ति की है । आयोग अपने निष्कर्ष बतायेगा । जहां तक उम्मीदवार का प्रश्न है मेरी जानकारी के अनुसार संयुक्त सोशलिष्ट पार्टी जनसंघ तथा स्वतन्त्र पार्टी का समर्थन उसे प्राप्त था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संयुक्त सोशिलिष्ट पार्टी का वहां अलग से उम्मीदवार था । मंत्री महोदय को तथ्यों का पता नहीं है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : श्रीमन मुझे अधिक हिन्दी तो आती नहीं है परन्तु मैंने एक सदस्य को 'गुन्डा' तथा 'बदमाशी' शब्दों का प्रयोग करते हुये सुना है । क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग सदन में किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किसने कहा है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : में उनका नाम नहीं जानता हूँ परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके बड़ी-बड़ी मूछ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहियें ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I used it after he uttered the word Goonda. First of all you ask him to withdraw. Why did he use it ? Goondas are calling others goondas.

अध्यक्ष महोदय : आप इन शब्दों को वापस लेते हैं अथवा नहीं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The word Goonda should be expunjed, whosoever might have said it.

An hon. Member : We have not said goonda to anybody, he is the member of your party who has said it.

Mr. Speaker : You are behaving in this way in my presence.

Shri Hukam Chand Kachwai : He should also withdraw.

Mr. Speaker : He did not say.

Shri Hukam Chand Kachwai : He has said.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You may verify it from the procedings. If somebody has used the word goonda, it should be expunjed. It is wrong to use such words, whosoever might have used it.

Mr. Speaker : Somebody has said it from your side. Now the circumstances have been changed, you should adjust accordingly.

Shri S. M. Banerjee : He will change himself as he switches over-to some other party.

Shri Jagannath Rao Joshi : I have been witnessing it since four years that wherever there is any disterbance, Jan Sangh is named for that.....,

Mr. Speaker : Mr. Kachwai, are you going to withdraw it ?

Shri Hukam Chand Kachwai : He has also said.

Mr. Speaker : This is Parliament. We should not make use of such words here. If somebody from that side has also used it, he should accept and withdraw.

कुछ माननीय सदस्य : किसी ने भी नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : जिसने भी कहा है, न्यायसंगत नहीं है। Will you withdraw

Shri Hukam Chand Kachwai : I withdraw.

श्री मोहन धारिया : यहां सभी भाषण टेपरिकार्ड किये जाते हैं। वह कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। रिकार्ड से इसकी जांच कराई जा सकती है, और यदि किसी ने ऐसा कहा है तो उसे सदन के समक्ष क्षमा याचना करनी होगी। जो कुछ श्री कछवाय ने कहा है वह बहुत गलत है। उन्हें या तो क्षमा याचना करनी चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। यह गुन्डों का सदन नहीं है। ऐसी बातें बाहर की जा सकती हैं, यहां नहीं।

Shri Jagananth Rao Joshi : I have been witnessing it for four years. Whenever there is any trouble.

Mr. Speaker : No explanation is required.

Shri Jagannath Rao Joshi : I am asking a suplementry.

Mr. Speaker : I have not permitted you.

Shri Jagannath Rao Joshi : I am here for four years. I do not rise of and on. Whenever a question is asked, it is not properly replied by the Minister. If the question is replied properly, then everything will be alright. Reports have been received regarding the disturbance at Ranchi Bhiwandi and Ahmedabad. If there is a question regarding the disturbances at places mentioned above the hon. Minister keeps silent. If anything unparliamentary is said art of resentment, the hon. Minister gets displeased. The word 'goonda' has been made use of just now. But, you see that the deliberate attampts are being made to malign one particular party. We can not keep man, when the states of affairs is going against the facts. The hon. Minister should marked specifically that the particular party is responsible for the disturbances, but he does not do so. Let it be Bhiwandi, Ranchi, Jabalpur or anywhere else, our party has naver been associated with the riots. When it is asked as to who is responsible for these disturbances the hon. Minister does not make any reply.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह सब क्या है ? पिछले कई वर्षों से बिना किसी आधार के ही हमारे दल पर दोषारोपण किया जा रहा हैं ······(**व्यवधान**)

श्री मोहन धारिया : जो कुछ उन्होंने कहा है, क्या आप उसे उचित समझते हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : वह उचित नहीं है। मैं साधारण से प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

हमारे दल पर बिना किसी आधार के ही दोषारोपण किया जा रहा है...... (**व्यवधान**)

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या उन्होंने ऐसा कहा है, इस सम्बन्ध में आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वापिस ले लिया है । मैंने सुना है कि उनके दल के नेता ने भी उनसे ऐसा करने को कहा था ।

Shri Jagennath Rao Joshi : How long should we tolerate such a humiliation without any basis ? I am led up with this all.

Mr. Speaker : I am already tired and you have started creating troubles. Will you try to improve yourself ? We should have good time also.

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार ने जांच आयोग नियुक्त किया है । सौभाग्यवश वह सरकार अब राज्य में नहीं है । जो आयोग नियुक्त किया गया है क्या वह उसी रूप में बना रहेगा; और यदि हां, तो इस सरकार ने अथवा राज्य सरकार ने उन सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही की है । जिनके घर जलाकर राख कर दिये गये हैं । उनको कितना मुआवजा दिया गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक जांच आयोग का प्रश्न है उसमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव हमें नहीं मिला है । जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, चाहे हिन्दू हों अथवा मुसलमान जितनी सहायता दी जा सकती है वह दी जा रही हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : केवल प्रधान-मन्त्री ने कुछ धनराशि दी है और किसी ने नहीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राज्य सरकार ने 5 लाख रुपये की धन राशि दी है । प्रधान-मंत्री ने प्रधानमंत्री सहायता कोष से एक स्थानीय समिति को 5000 के अतिरिक्त एक लाख रुपये की धनराशि दी है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : क्या मंत्री महोदय को पता है कि न केवल अलीगढ़ में बल्कि मुरादाबाद तथा पीलीभीत जैसे अन्य दूसरे स्थानों पर भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों को संयुक्त विधायक दल की सरकार के सभी दलों द्वारा दिया गया उत्पीड़न सहन करना पड़ा है क्योंकि इन लोगों ने बिना किसी भय तथा पक्षपात के मतदान किया । अब संयुक्त विधायक दल की सरकार वहां नहीं रहीं है, तो क्या सरकार उन दलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी जिन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित किया ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसी शिकायत माननीय मित्र ने सदन में की है इसी प्रकार की शिकायतें कभी-कभी और भी प्राप्त होती हैं । जहां तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है उनके अपराधों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है । राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा नहीं, हमें पता नहीं । जहां तक दलों का प्रश्न है, इस आशय को लेकर कि सरकार दोषी ठहराये गये दलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सके, एक विधेयक सदन में पेश किया गया था । परन्तु उस समय वह पारित नहीं हो सका । इस विषय पर हम फिर से विचार कर रहे हैं ।

निर्यात में गिरावट

*40. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों के निर्यात आशाओं से बहुत नीचे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विवरण 1 सभा-पटल पर रखा जाता है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 69/71)**

(ग) इस विषय में की गई प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप (देखिये सभा-पटल पर रखा गया विवरण 2) अप्रैल-दिसम्बर, 1970 की अवधि के लिए निर्यातों की विकास दर, 1969 की तत्स्थानी अवधि की तुलना में 5·2 प्रतिशत बढ़ी है जबकि अप्रैल-नवम्बर, 1970 के दौरान यह 2·4 प्रतिशत ही बढ़ी थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, पूछे गये प्रश्न का (क) भाग है कि क्या निर्यात आशा से बहुत कम था, उत्तर दिया गया है "जी हां"। यदि निर्यात आशा से बहुत कम था तो इस अवधि में विदेशी मुद्रा के अर्जन में कितनी कमी हुई और क्या यह सच है अथवा नहीं कि यह भारी कमी दुर्लभ मुद्रा वाले देशों के साथ व्यापार में हुई न कि रुपया भुगतान वाले देशों के साथ व्यापार में।

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर है, "जी हां"। कलकत्ता बन्दरगाह की गोदियों में लम्बी हड़ताल के कारण पटसन के निर्यात में गिरावट हुई और उसके परिणाम-स्वरूप लगभग 60 करोड़ रुपये की दुर्लभ मुद्रा की हानि हुई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर और विवरण में मजदूरों पर आरोप लगाने का प्रयास किया है कि उन्होंने विशेषकर पत्तन और गोदियों पर हड़ताल की। क्या मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न (ग) भाग के उत्तर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हड़ताल के कारण निर्यात के लिये पर्याप्त वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी, और (ख) भाग के उत्तर, कि मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जक पटसन और चाय के लिये बहुत कम मांग थी, में परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हड़ताल नहीं होती और निर्यात के लिये माल उपलब्ध होता तो भी वह निश्चय ही नहीं बेचा जा सकता था क्योंकि उन्होंने (ख) भाग के उत्तर में स्वीकार किया है कि मांग काफी कम थी। माननीय मंत्री को यह कहने में शर्म क्यों आ रही है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण इन दुर्लभ मुद्रा वाले देशों की आयात मांग तेजी से गिर गई है और जब तक निर्यात को राष्ट्रीकृत करने के लिये कोई ठोस उपाय नहीं किये जाते, तब तक निर्यात व्यापार को सुनियोजित तरीके से मांग वाले देशों में नहीं बढ़ाया जा सकता ?

श्री ल० ना० मिश्र : पटसन और चाय की मांग में कमी तो हुई है परन्तु मुख्य कारण

कलकत्ता की हड़ताल है। यह 60 करोड़ रुपये हम कमा सकते थे क्योंकि 60 करोड़ रु० के माल के लिये हमारे पास क्रयादेश है और हम इस माल से निर्यात के लिये वचनबद्ध थे।

जैसा कि श्री गुप्ता स्वयं जानते हैं, कलकत्ता से हम तीन बड़ी मदों अर्थात् जूट, चाय और इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात करते हैं और इन तीन मदों के निर्यात में कमी आई है। अतः बन्दरगाह के मजदूरों की हड़ताल भी इसके लिये जिम्मेदार है—मैं मज़दूरों पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ—मैंने हड़ताल समाप्त कराई। परन्तु यह सच है और वह इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं कि निर्यात में गिरावट मुख्यतः कलकत्ता बन्दरगाह के मजदूरों की हड़ताल के कारण हुई।

श्री एस० आर० दामानी : क्या सूती कपड़ा के निर्यात में भी कमी हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या यह रूई के मूल्य में असामान्य वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के कारण है और यदि हां, तो निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : सूती कपड़े के निर्यात में भी कमी हुई परन्तु इतनी अधिक नहीं।

दूसरे, दिसम्बर में काफी सुधार हुआ और निर्यात में रिकार्ड कायम हुआ। अतः इस समय अधिक चिन्ता की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : योजना के दो वर्षों में योजना के लक्षणों के अनुसार निर्यात में कितनी कमी हुई ?

(2) क्या कतिपय उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता द्वारा क्षमता बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री ल० ना० मिश्र : वर्ष 1969-70 के कुल 1413 करोड़ रुपये के निर्यात और अप्रैल-दिसम्बर, 1969 के 1043 करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले हमारा अप्रैल-दिसम्बर 1970 का निर्यात 1097 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। परन्तु मुझे पूरा भरोसा है कि जनवरी-मार्च में हम 400 करोड़ रुपये का निर्यात और कर लेंगे। इससे मुझे विश्वास है कि हम मार्च के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च तक निर्यात में 7 प्रतिशत की वृद्धि के योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ? उसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह जानना चाहा था कि क्या कतिपय उद्योगों में क्षमता बढ़ाने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, गत जुलाई में मैं निर्यात नीति संकल्प की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख चुका हूँ और हम उस संकल्प के निर्णयों को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम निर्यात बढ़ाने के लिये सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। परन्तु हमें विशेषकर परम्परागत (ट्रैडिशनल) वस्तुओं के मामले में बड़ी प्रति-स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है पटसन में हमें पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। सूती कपड़ा उद्योग में भी जापान बढ़ रहा है। सूती कपड़ा उद्योग के मामले में ब्रिटेन का रवैया भी कठोर है अतः यह कहना कठिन है कि हम क्या कर पायेंगे। परन्तु मेरा विचार है कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना में अपने निर्यात में 7 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच नहीं है कि आयात करने वाले देशों द्वारा आयातित

चाय और जूट की मात्रा गत वर्षों में आयात की गई मात्रा से काफी अधिक बढ़ा दी गई है और लका से प्रतिस्पर्धा के कारण हमारा चाय का निर्यात घट गया हैं ? यदि हां, तो चाय के निर्यात में लंका से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इन दिनों चाय की स्थिति अधिक अच्छी है। कोई चार महीने पूव हमने दिल्ली में खाद्य तथा कृषि संगठन की परामर्शदात्री समिति की बैठक की थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और सहायक निर्णय लिये गये थे। इस समय खाद्य तथा कृषि संगठन के कार्यालय के साथ लिये गये पारस्परिक निर्णयों से चाय की देख-रेख की जाती है और मेरा विश्वास है कि हम अपना चाय का बाजार सुधार सकेंगे।

राजनैतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार

*44. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या ग्रह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनैतिक दलों ने हाल ही में चुनावों के दौरान अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये खुले रूप से साम्प्रदायिक प्रचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे साम्प्रदायिक दलों का अग्रेतर विकास रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय तथा पर्सनल विभाग में राज्य-मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) : हाल के चुनावों के दौरान यह सन्देह करने के कारण हैं कि चुनावों में लाभ उठाने के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के प्रयत्न किए गये थे। ऐसी गतिविधियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अभिप्राय में भ्रष्ट कार्य होंगे। साम्प्रदायिक तनाव में निहित स्थाई खतरे पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम सर्व विदित हैं। दण्ड विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 का अभिप्राय विशेषत: साम्प्रदायिक मेल-मिलाप के प्रतिकूल गतिविधियों में ग्रस्त संगठनों को बढ़ने से रोकने का था। दिसम्बर, 1970 में विरोधी दलों द्वारा विरोध करने के कारण विधेयक को वापस लेना पड़ा था। इस विधेयक पर आगे की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

Shri S.M. Banerji : The hon. Minister has stated that such activities are treated as corrupt practices according to the Representation of the People Act. Has it been brought to his notice that certain political parties tried to take undue advantage of the situation when some hijackers blew up our plane in Pakistan ? In this regard, I am rather compelled to name particularly the Jan Sangh. They wrote in the Mohamdan localities of Kanpur, "Rise brave Hindus" They did not write what to do afterwards but perhaps they wanted to write, "Set the houses of Muslims on fire" In this way they tried to create panic (Interruption)

Shri Jagannath Rao Joshi : This blame is altogether wrong and baseless. The Jan Sangh did not write any such thing anywhere. *(Interruption)*

श्री एस०एम० बनर्जी : इसकी जांच होने दें, मैं साबित कर दूंगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह निराधार है **(व्यवधान)**

श्री एस०एम० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूँ कि उस स्थिति का लाभ उठाते हुये जनसंघ ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को धमकी दी और उन्हें मत न देने को कहा ? क्या इसे मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया है ? इसे भ्रष्ट आचरण मानने के अलावा, जो कभी साबित नहीं किया जा सका, क्या दलों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई है अथवा भविष्य में की जायेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसे उदाहरण माननीय सदस्य ने दिये हैं, वे सरकार को मिल गये हैं । जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही, जो केवल चुनाव याचिका सम्बन्धी कार्यवाही में की जा सकती थी, के अलावा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दूसरे उपबन्ध है जो काम में लाये जा सकते हैं । राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन से मालूम होता है कि ऐसे मामलों में उसने कार्यवाही की है और मुझे आशा है कि वह आगे भेज दी जायेगीं ।

श्री एस०एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के यह ध्यान में लाया गया है कि केरल की मुस्लिम लीग से भिन्न उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों की मुस्लिम लीग ने अत्यंत घातक प्रकार के साम्प्रदायिक प्रचार में भाग लिया और क्या मुस्लिम लीग के महत्त्वपूर्ण पदाधीकारियों के विरूद्ध ऐसे भाषण देने के आरोप में कार्यवाही की जायेगी ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं स्पष्ट रूप से आरोपों का खण्डन करता हूं । (**व्यवधान**)

श्री एस०एम० बनर्जी : भाषणों की प्रतिलिपियां तो अवश्य होंगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन के किसी माननीय सदस्य अथवा मुस्लिम लीग के नेताओं ने विषैले भाषण दिये थे और यदि हां, तो क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी । हम हिन्दू साम्प्रदायिकता और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरूद्ध हैं । कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी का स्थान है। हम इसे नाथूराम गोडसे अथवा मुस्लिम लीग के कस्बे के रूप में परिणत नहीं होने देंगे । यह कानपुर की जनता का निर्णय है । (**व्यवधान**)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक संगठन नहीं है । इस सदन में इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है । मैं स्पष्ट रूप से आरोपों का खण्डन करता हूँ । अल्पसंख्यकों को देश में रहने का अधिकार है और उन्हें संगठन बनाने तथा अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मुझे ऐसे प्रश्नों के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा जो ऐसी साम्प्रदायिकता उत्पन्न करते है, ऐसी बातों को हमें यदि बाहर न हो सके तो सदन में तो टालना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी भी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध राज्य सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार है । जिस विशेष भाषण का उल्लेख किया गया है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि कोई कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं । सरकार का विश्वास है कि किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता, चाहे एक प्रकार की हो अथवा अन्य प्रकार की, अत्यंत अवांछनीय और निन्दनीय है तथा उन पर नियन्त्रण रखने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने दृढ़ता पूर्वक घोषणा की है कि साम्प्रदायिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिये विपक्षी दलों की ओर से आपत्ति किये जाने के कारण अधिनियम को काम में नहीं लाया गया और उसे स्थगित कर दिया गया । अब चूंकि सरकार

को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, क्या वह अब साम्प्रदायिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिये दूसरा कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार का विचार कानून बनाने का है परन्तु हम सदन के अधिक से अधिक सदस्यों को अपने साथ लेना चाहते हैं। यह कानून का महत्त्वपूर्ण भाग है और हम अभी तक सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनैतिक दलों से परामर्श ले रहे हैं।

श्री आर०वी० स्वामीनाथन : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि साम्प्रदायिक प्रचार के अतिरिक्त कुछ नेताओं ने तमिलनाडु में खुले रूप से जाति और उप-जाति की भावना का अनुचित लाभ उठाया है और यदि हां, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां, यहां भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय दण्ड संहिता की संगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती हैं। राज्य सरकार खुले रूप से कोई भी कार्यवाही जिसकी जरूरत हो, कर सकती है।

Shri B.P. Maurya : The hon. Minister has said something about the election petition and that Government is trying to see that communal propaganda does not take place. So far as the election petition is concerned, the question does not arise. It also relates to the law and order situation in the States and there should be no propaganda on communal basis. May I know the number of cases registered with the police regarding communal propaganda and the pamphlets published by various political parties which incite communalism ? Secondly, if the provision of the Indian Penal Code is insufficient, will the Minister of Home-Affairs consider to provide stringent measure in the I.P.C. so that the political parties contesting elections on communal basis may be prevented from doing so.

Shri Ram Niwas Mirhda : As I have already said that under I. P. C. action can be taken on it and so far as election petition is concerned, that is connected with an individual and what action he wants to take in that regard. But so far as the Central Government is concerned it does not come into the picture.

It is the State Governments and their police only which can take any action under the provisions of the I. P. C. If the hon. member wants to invest the Central Government with more powers constitutional will have to be amended for that purpose.

Shri B. P. Maurya : My question was that there were riots on communal basis, propaganda spread and reports registered in the Police Station but no action is being taken on them. So in view of all these facts May I know whether propose to amend the I. P. C. to curb such activities in future ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Sir, the hon. member has put two questions in this regard. One is whether there is any need of change in the I. P. C. I have already said that are sufficient provisions already exist. So far as the figures of the cases registered with various state governments are concerned, off-hand I cannot tell. Action has been taken in regard to a poster in which it was suggested, 'to vote congress is to slaughter a cow'. :

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय सदस्य श्री एस० एम० बनर्जी ने जनसंघ और मुस्लिम लीग के बारे में कहा परन्तु सारे राजस्थान में और अन्य स्थानों पर सत्तारूढ़ दल भी साम्प्रदायिक प्रचार में लिप्त था······

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल साम्प्रदायिक दलों के बारे में है ·········

श्रीमती गायत्री देवी : वही तो मैंने कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । मुझे माननीय सदस्य से मुख्य प्रश्न से संगत बात बोलने के लिये कहना पड़ेगा ।

श्रीमती गायत्री देवी : मतदाताओं से कहा गया कि चूंकि चार दल एक साथ मिल गये हैं और उसमें जनसंघ भी शामिल है अतः यदि मतदाताओं ने स्वतन्त्र पार्टी को मत दिया तो मुसलमानों की एक साथ हत्या कर दी जायेगी । क्या यह साम्प्रदायिक प्रचार नहीं है ? मन्त्री महोदय स्वयं भी जानते हैं कि राजस्थान में विभिन्न समुदायों को आपस में भिड़ा दिया गया था । सही मायने में मेरे कांग्रेसी विरोधी इतने परिवर्तनशील थे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान गये और अपने जाट नाम को मुस्लिम नाम में बदल दिया और जिस स्थान पर वह जा रहे थे उसके अनुसार उन्होंने मुसलमानों वाले स्थान पर स्वयं को पीर काजिम चौधरी बताया और इसी प्रकार अन्य स्थानो पर अपना नाम बदला । क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में साम्प्रदायिकता को इस प्रकार उत्तेजित किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संगत नहीं है । मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री पीलु मोडी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस प्रश्न में कौन सी बात संगत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं वह जानता हूँ ।

श्री पीलु मोडी : मैं भी जानना चाहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल साम्प्रदायिक दलों के बारे में है ।

श्री पी० के० देव : हम जानना चाहेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वे स्वतन्त्र पार्टी के हैं, और इस प्रश्न पर स्वतन्त्र पार्टी सदा असंगत रहती है ।

श्री पीलु मोडी : आपने जनसंघ के बारे में इस आधार पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी है कि यह एक साम्प्रदायिक दल है परन्तु आप हमें सत्तारूढ़ दल के बारे में, यह कहते हुये प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे कि यह साम्प्रदायिक दल नहीं है । अच्छा हो कि पहले आप उसे ही अपवाद के रूप में लें ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या मैं आपका ध्यान प्रश्न (क) भाग की ओर दिला कर यह बता सकता हूँ कि इसका सम्बन्ध साम्प्रदायिक दलों से नहीं है अपितु केवल राजनैतिक दलों द्वारा किये जा रहे साम्प्रदायिक प्रचार से है ?

श्री पी० के० देव : यही प्रश्न तो उन्होंने पूछा था ।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, the question asked is relevant and it must be replied to. The hon. minister may reply as to whether the ruling party indulged in the propaganda or not. It is not correct to say that the question is not relevant. Please get the reply to the question.

श्री पीलु मोडी : क्या मैं आपका ध्यान प्रश्न के शीर्षक "राजनैतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार" की ओर दिला सकता हूँ ? जब तक आप यह नहीं कहते हैं कि काँग्रेस (सत्तारूढ़) राजनैतिक दल नहीं है, तब मैं समझता हूँ कि प्रश्न संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यन्त खेद है । मैं इसे कुछ और ढंग से समझ गया था । माननीय सदस्य ठीक कहते हैं ।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, योजना मन्त्री तथा सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम साम्प्रदायिक प्रचार के विरुद्ध हैं चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति या दल अन्तर्ग्रस्त हो । परन्तु इस विशेष घटना के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, We are also against communal propaganda. May I know the definition of communalism and also this that which party is communal and which is not ? Will the Government appoint an independent Commission which can give the definition of communalism and which can decide as which of the parties are communal so that no allegation can be made against the Government that in order to suppress their political opponents they are calling them communal ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस विषय पर राष्ट्रीय एकता परिषद में काफी लम्बी चर्चा हुई थी । श्री वाजपेयी और उनके दल के अन्य सदस्य भी वहां उपस्थित थे । मैं नहीं समझती कि सदन मुझ से यह अपेक्षा करता है कि मैं उन सारी बातों के बारे में कहूँ । यदि वे चाहते हैं तो निश्चय ही हम उन्हें सूचना देंगे ।

प्रश्न कोई बहुत सैद्धान्तिक परिभाषा के बारे में नहीं हैं । जैसा कि मैं कई बार कह चुकी हूँ कि यह एक ऐसा प्रश्न है जब कुछ लोग ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते हैं जिसमें ऐसी बातें घर कर लेती हैं, कोई घटना सामान्य वातावरण में साम्प्रदायिक घटना नहीं बन जाती है जब तक किसी विशेष जाति के विरूद्ध भावनायें उत्पन्न नहीं कर दी जाती हैं । हम इसी के विरूद्ध हैं और सरकार ने भी इसे दूर करने की प्रतिज्ञा की है, इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसमें कौन शामिल होता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न पूछा था, यद्यपि इस स्पष्टीकरण का स्वागत है । हमने भी साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों से निपटने की प्रतिज्ञा की है । मैंने पूछा था कि क्या सरकार का विचार किसी स्वतंत्र (इंडिपेंडेन्ट) आयोग नियुक्त करने का है जो यह तय करे कि साम्प्रदायिकता क्या है और कौन से दल वास्तव में साम्प्रदायिक हैं । वे हाँ या नहीं कहें ।

Shrimati Indira Gandhi : I have said that discussion on this matter with all the political parties has taken place.

Shri Shyam Nandan Mishra : At last what decision was taken ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : I will send the decision to you.

जहाँ तक आयोग का सम्बन्ध है, यह व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है । देश में कौन व्यक्ति 'स्वतन्त्र' (इंडिपेंडेन्ट) है ?

भारतीय चाय की विदेशों में बिक्री

*43. **श्री जे० एम० गोडर :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विश्व मण्डी में हमारी चाय को भारी स्पर्धा का सामना

करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चाय की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने, विदेशी बाजारों में चाय की बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं, जिनमें से चाय के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) 1-3-1970 से चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति;

(2) चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में तदर्थ छूट देना जिसकी दरें निर्यातित चाय की कीमत के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं;

(3) उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और गुण सुधारने के लिए पुराने चाय क्षेत्रों के पुनर्रोपण करने हेतु उद्योग को मैदानी बागानों के लिए 3500 रुपये प्रति हेक्टार तथा पहाड़ी बागानों के लिए 4500 रुपये हेक्टार की दर पर सहायता देने के लिए एक पुनर्रोपण योजना चालू है;

(4) लन्दन, ब्रुसेल्स, न्यूयार्क, काहिरा तथा सिडनी में चल रहे चाय बोर्ड के कार्यालयों और लन्दन, एडिनबर्ग, काहिरा तथा सिडनी मे स्थापित चाय केन्द्रों के माध्यम से भारतीय चाय के लिए संवर्धनात्मक उपाय;

(5) विदेशों के चुने हुए बाजारों में स्थानिक मिश्रणकर्ताओं/पैकरों के सहयोग से भारतीय चाय के विशिष्ट पैकों का संवर्धन;

(6) विदेशों में प्रचार के उपयुक्त माध्यमों से विज्ञापन;

(7) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(8) चाय के हित संवर्धन के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना; और भारत आने के लिए विदेशों से प्रतिनिधिमण्डल आमन्त्रित करना ; और

(9) उत्पादक देशों तथा स्थानिक चाय व्यापारियों के सहयोग में विभिन्न बाहरी देशों में कार्यरत चाय परिषदों में सदस्यता के माध्यम से चाय की खपत बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों मे चाय अविशिष्ट संवर्धन करना।

खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वाधान में चाय की कीमतों के स्थिर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने पर विचार-विमर्श होता रहा है। वर्ष 1971 में प्रत्याशित कम कीमतों को देखते हुए नई दिल्ली में खाद्य तथा कृषि संगठन की चाय सम्बन्धी सलाहकार समिति के दूसरे अधिवेशन में यह तय हुआ था कि 1971 में काली चाय पर विश्वव्यापी निर्यात कोटा उसी स्तर पर बनाये रखा जाये जो 1970 के लिए तदर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में तय हुआ था और 1971 के शुरू में समीक्षा किये जाने की व्यवस्था की जाए और उस समय अतिरिक्त निर्यात कोटे का, जो 10,000 टन से अधिक न हो, आबंटन किया जाएगा, यदि ऐसा करना बाजार की परिस्थिति को

देखते हुए उचित हो। यह भी स्वीकार किया गया कि उत्पादक देशों की निर्यात परियोजनाओं में से विश्व बाजार से 1970 के वर्ष में 9 करोड़ पौंड चाय हटा ली जायगी। विश्व बाजार में निर्यातों को विनियमित करके एक दीर्घकालिक हल ढूंढने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस समस्या पर आगे और विचार करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन की चाय सम्बन्धी सलाहकार समिति के निर्यातक समूह की एक बैठक अप्रैल 1971 के आरम्भ में रोम में होने की आशा है।

श्री जे० एम० गौडर : चूंकि अब तक सरकार द्वारा किये गए प्रचार कार्य प्रभावशाली नहीं हुए है, क्या सरकार वर्तमान तकनीक और प्रचार में परिवर्तन कराने के बारे में विचार करेगी ताकि समुद्र पार बाजारों में भारत की चाय की लोकप्रियता बढ़े ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे यहां चाय बोर्ड प्रभावशाली प्रचार कर रहा है। प्रचार कार्य इसकी देख-रेख में चल रहा है। हाल में लन्दन, कनाडा और अन्य स्थानों पर इसके बारे में हमने चर्चा की है। चाय को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हम प्रचार विभाग का पुनर्गठन करना चाहते हैं। मगर चाय पीने की आदतें बदल गई हैं। हमें तथ्यों को समझना चाहिए। यह सच है कि जनसंख्या में हुई वृद्धि के मुकाबले में चाय के उपभोग में बहुत अधिक कमी हुई है।

श्री जे० एम० गौडर : क्या पैकिंग चाय की बिक्री के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र को निगम चाय खरीदने वाले देशों को मध्यवर्ती लोगों को हटाकर सीधे चाय खरीदने की सुविधायें प्रदान करेगा ताकि उत्पादकों को अधिकाधिक फायदा मिले ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम एक निगम गठित करने का विचार कर रहे हैं। इस निगम की स्थापना आगामी दो या तीन हफ्तों में की जाएगी। हमें तत्सम्बन्धी सुझाव मिला है। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय की परामर्शदायी समिति की सिफारिशों पर हमने विचार किया है।

श्री जी० विश्वनाथन : यद्यपि सरकार ने छूट दी है और निर्यात शुल्क समाप्त की है। कारखाने से भेजी जाने वाली चाय पर 30 से 150 प्रतिशत तक **प्रादेशिक** शुल्क लगा दिया गया है, जिससे न केवल हम मूल्य के मामले में बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकते, बल्कि बहुधा इससे छूट भी समाप्त होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय यह प्रादेशिक शुल्क समाप्त करने पर विचार करेंगे ताकि विश्व बाजार में हमारी चाय के निर्यात की संभावनायें बढ़ सकें।

श्री ल० ना० मिश्र : इस समय इसके बारे में कुछ कहना कठिन है। प्रश्न हमारे सामने हैं मगर इस समय कुछ कहना उचित न होगा। अगले सत्र में हम इस पर कुछ कह सकेंगे।

नायलोन धागे के मूल्य के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

*42. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी :** क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलोन धागे के मूल्य आदि के बारे में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध

में सरकार ने कोई निष्कर्ष निकाला है;

(ख) यदि हां, तो नायलोन धागा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विभिन्न पहलुओं के बारे में टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक सरकारी प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। ज्यों ही सरकार टैरिफ आयोग की सिफरिशों पर निर्णय लेगी।

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी : चौथी लोक सभा में गत नवम्वर में माननीय मंत्री ने कहा था कि वे तुरंत प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे। छः महीने गुज़र गए हैं। यह एक गंभीर मामला है। मैं जानना चाहता हूँ कि रिपोर्ट सभा पटल पर रखने में मंत्री महोदय को क्या आपत्ति है। अगर रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी, तो हम उस पर अपना विचार व्यक्त कर सकेंगे और सरकार माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद निर्णय कर सकती है। क्या मंत्री महोदय को इससे कोई खास आपत्ति है ? सरकार यह नीति क्यों नहीं अपनाती कि जब प्रशुल्क आयोग रिपोर्ट पेश करता है, तो तुरंत वह सभा पटल पर रखी जानी चाहिए ? वे अपनी सुविधा के अनुसार जब भी निर्णय ले सकते हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : यदि हम निर्णय करने के पूर्व प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें बाहर प्रकट करेंगे, तो यह एक अनुचित परंपरा होगी। तीन रिपोर्टें पेश की गई हैं। एक रिपोर्ट पर हमने पहले ही निर्णय कर लिया है। वह **रयन टायर** के बारे में हैं। नायलोन फिलमेंट धागे के बारे में रिपोर्ट गत सितम्बर में प्राप्त हुई और रयन के बारे में रिपोर्ट गत अगस्त में। ये सारी रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं। हमने अन्य मंत्रालयों को अपनी टिप्पणियां भेजी हैं और उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरन्त ही हम एक निर्णय ले सकेंगे। यह सच है कि निर्णय लेने में कुछ विलम्ब हुआ है, मगर अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है। कई अन्य रिपोर्टों पर निर्णय लेने में दो या तीन वर्ष लगे हैं। मगर यहां हमने केवल कुछ महीने ही लगाये हैं। इस बीच कातने वालों और बुनकरों के बीच स्वेच्छा से एक समझौता हुआ और इसका अच्छा नतीजा हुआ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : बुनकरों और उत्पादकों के बीच जो समझौता हुआ, उसका मैं स्वागत करता हूँ, मगर समझौते से एक उत्पादक को क्यों छोड़ा गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : पता नहीं कि किसी को छोड़ा गया है या नहीं। यह एक स्वैच्छिक समझौता था। सरकार ने उनके बीच समझौता कराने के लिए अपना प्रभाव डाला है। अगर किसी पार्टी को छोड़ दिया गया है, तो आप सूचना दें।

श्री मोहन धारिया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिपोर्ट कुछ महीने पहले मिली थी, और सरकार पूरी तरह से जानती है कि अमृतसर, सूरत और कई अन्य स्थानों पर शक्ति

चालित करघा बुनकरों को बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार क्यों इस मामले पर निर्णय नहीं लेती है। कब तक निर्णय लिया जाएगा ? क्या वे सदन को आश्वासन देंगे कि आगामी एक महीने के अन्दर निर्णय लिया जाएगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : श्रीमान् उनके राज्य में, गुजरात और आपके चुनावक्षेत्र में कपड़ा बुनने के कई केन्द्र हैं। हमने कुछ समय लिया है क्योंकि हमें राज्य सरकारों से परामर्श लेना था। इसके अलावा, प्रशुल्क आयोग ने रिपोर्ट पर नये सिरे से विचार करना चाहा, अतः रिपोर्ट वापस भेज दी जानी पड़ी। अब उनकी टिप्पणी हमें प्राप्त हुई है। कई अन्य मंत्रालयों का इस मामले से सम्बन्ध है। उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, हम निर्णय लेने में अधिक समय न लेंगे। अतः अगले सत्र के पहले ही इस पर निर्णय लेना संभव होगा।

योजना की क्रियान्विति में असफलताएं

*44. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल ही में योजना आयोग द्वारा किये गये अध्ययन में योजना की क्रियान्विति में असफलताओं पर प्रकाश डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के परिणामस्वरूप क्या कमियां प्रकाश में आई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : श्रीमान......

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न प्रधानमंत्री के नाम पूछा गया है और वे सदन में उपस्थित भी हैं। तब अन्य मंत्री क्यों जवाब देते हैं ?

कई माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है वे जानते हैं। वे बार-बार यह प्रश्न क्यों उठाते हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : (क) और (ख) : केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ 1971-72 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करने से पता चलता है कि गत दो वर्षों के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रगति में कुछ त्रुटियां और कमियां रही हैं। इसकी प्रमुख बातों का सक्षिप्त उल्लेख वित्त मंत्री के बजट भाषण में किया गया है। चौथी योजना का अधिक ब्योरेवार मध्यावधि मूल्यांकन शीघ्र ही किये जाने का प्रस्ताव है।

कुल मिलाकर अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर चौथी योजना में रखे गए लक्ष्य के अनुरूप रही है। राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि 1969-70 के दौरान 5·5 प्रतिशत रही है और आशा है 1970-71 के दौरान इतनी ही और वृद्धि होगी।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : हाल में हुए अध्ययन से पता चलता है कि 1970-71 में ही नहीं, बल्कि 1969-70 में भी कमी हुई थी। सरकार के ध्यान में कमी कब आई और योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाये गए थे ताकि 1970-71 में कमी न पड़े ? जब मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में कमी हुई थी, तब योजना आयोग ने अपने वार्षिक पुनरीक्षण में क्या कदम उठाने का सुझाव

दिया है ? जैसा कि माननीय वैदेशिक व्यापार मंत्री ने कहा, मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में हुई इस कमी से हमारे निर्यात की संभावनाओं में कमी पड़ी है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि उस समय सरकार ने क्या कदम उठाये थे और योजना आयोग को पुनर्गठित करने के लिए और क्या कदम उठाना चाहती है ताकि 1971-72 में ऐसी चीजें न हों ?

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसा मैंने कहा, 1969-70 और 1970-71 में जो कमी हुई थी, वह हमारे ध्यान में आई है। योजना के कार्यान्वयन पर हमेशा पुनर्विलोकन किया जा रहा है और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो योजनायें स्वीकृत हुई थीं, उनके कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 1969-70 और 1970-71 में योजना परिव्यय में कमी हुई है। 1969-70 में कमी 108 करोड़ रुपये की थी और 1970-71 में प्रत्याशित कमी 55 करोड़ रुपये है। 1969-70 के लिए अनुमोदित परिव्यय 2293 करोड़ रुपए और 1970-71 के लिए 2822 करोड़ रुपए थे। 1969-70 में जो कमी हुई थी, वह मुख्यतः केन्द्रीय योजना और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों के अप्रयुक्त परिव्यय के कारण हुई है। 1970-71 में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं में वृद्धि हुई। मगर केन्द्रीय क्षेत्र में बहुत-सा परिव्यय अप्रयुक्त रहा। राज्य क्षेत्र में दो वर्षों में अनुमोदित परिव्यय की अपेक्षा व्यय अधिक हुआ।

योजना व्यय और योजना प्राप्ति को पूर्व-निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाने का जहां तक सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसका नितांत पुनर्विलोकन किया जा रहा है और योजना के कार्यान्वयन पर हमेशा ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों की बैठक में योजना के कार्यान्वयन पर जोर दिया और प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के कई उपायों का सुझाव दिया था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री महोदय ने अब कहा कि बहुत अधिक परिव्यय अप्रयुक्त रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस क्षेत्र में—भारी इंजीनियरिंग या कृषि या सिंचाई और बिजली—अनुमोदित राशि का उपयोग नहीं किया गया।

श्री रामनिवास मिर्धा : 1969-70 में सिंचाई, बिजली, ग्राम और छोटे उद्योग और आवास तथा नगरीय विकास के क्षेत्रों में निर्धारित राशि से भी अधिक व्यय हुआ है। मगर उद्योग और धातु, यातायात और संचार, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामाजिक कल्याण और श्रम कल्याण के क्षेत्रों में क्रमशः 23%, 11·4%, 13·5%, 39%, 19·4%, 16·5%, 20·6% और 40·6% की कमी हुई है।

1970-71 में उद्योग, धातु, वैज्ञानिक अनुसंधान, परिवार नियोजन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में गत वर्ष की अपेक्षा परिव्यय में अधिक कमी हुई है अन्य जिन क्षेत्रों में जहां 1969-70 में व्यय में कमी हुई थी, 1970-71 में हालत में सुधार हुआ और व्यय अनुमोदित परिव्यय के अनुरूप था।

कृषि क्षेत्र में व्यय में 5·5 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि गत साल में व्यय में 2·3 प्रतिशत कमीं हुई थी। सिंचाई, बिजली, जल-सप्लाई और पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यों में अनुमोदित परिव्यय से भी बहुत अधिक व्यय हुआ है।

Shri Ram Shai Pandey : Mr. Speaker Sir, in view of the present structure of planning and also the fact that country has given all-out support to Mrs. Gandhi to

remove poverty and unemployment, may I know the extent to which changes will be made in the outlay of the 4th Plan, so as to achieve these twin objectives ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have Submitted every effort is being made to see that the plan is implemented properly. All procedural things are taken care of. As I have just now said, the Prime Minister had called a meeting of secretariat recently and suggested various ways, so that the progress of the plan could be accelerated.

केन्द्रीय सैन्य दलों का पश्चिमी बंगाल में तैनात किया जाना

***45. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल, में 1 नवम्बर 1970 से 15 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में केन्द्रीय सैन्य दलों के कुल कितने सैनिक तैनात थे तथा उन पर हुये व्यय का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य-मन्त्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : एक विवरण सभा-पटल पर पर रखा जाता है ।

विवरण

मार्च, 1971 में हुए चुनावों से कुछ पहले गैर-सैनिक प्रशासकों की कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में सहायता देने के लिए पश्चिम बंगाल के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सैनिक कर्मचारी तैनात कर दिये गए थे । उक्त अवधि में भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध किया गया उसकी संख्या समय-समय पर घटाई बढ़ाई गई । कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया केन्द्रीय बल इस प्रकार है :—

तिथि	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कम्पनियों की संख्या	सीमा सुरक्षा बल की कम्पनियों की संख्या
1—11—1970	62	1/2 क०
10—3—1971	114	80
15—3—1971	103	1

जब सेना के कर्मचारी कानून और व्यवस्था के लिए वहाँ तैनात किये गये उस सम्बन्ध में किए गए व्यय का अलग से लेखा नहीं रखा गया, अतः अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है । जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल का सम्बन्ध है सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राष्ट्रपति शासन काल में पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सैन्य दलों की सेवाओं पर कितनी राशि खर्च की गई और उसका भुगतान कौन करेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने वक्तव्य में इसके बारे में कह दिया है—पता नहीं उन्हें वक्तव्य पढ़ने का समय मिला है या नहीं—अन्तिम पैरे में इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौन भुगतान करेगा ? क्या पश्चिम बंगाल की जनता करेगी या केन्द्रीय राजकोष ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक सैनिक इकाइयों को भेज दिये जाने का सम्बन्ध है। उस पर केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या माननीय मन्त्री एक बात बताएंगे ? मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करें। इन केन्द्रीय सैन्य दलों के दुर्व्यवहार के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने मामलों में उन्हें समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के बाद इसका पता लगा है ? इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 22—3—70 से 22—3—71 तक पश्चिम बंगाल में विभिन्न एजेन्सियों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के खिलाफ 36 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें 31 शिकायतें जाँच के परिणामस्वरूप झूठी या निराधार सिद्ध हुई हैं। 5 शिकायतों पर जांच करना बाकी है।

श्री पी० आर० दास मुन्शी : मैं जानना चाहता हूँ कि सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, हरेकृष्ण कोनार और प्रमोद दास गुप्ता के आवास स्थानों की रक्षा के लिए कितना धन व्यय हुआ।······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वे कुछ विवरण चाहते हैं जिसके लिए सूचना देनी चाहिए।······

(व्यवधान)

श्री पी० आर दास मुन्शी : मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी बार मार्क्सवादी नेताओं ने सार्वजनिक सभायें चलाने के लिऐ और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पुलिस और रिजर्व पुलिस की सहायता ली है, क्योंकि यह मालूम हो गया है कि पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी नेता पुलिस की सहायता के बिना चल नहीं सकते हैं।······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय सूचना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : मगर क्या यह सच है ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मेरा विशिष्ट जवाब यह है कि कई मार्क्सवादी नेताओं ने पुलिस की सहायता माँगी है और उन्हें सहायता दी भी गई है।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

बेरोजगार इंजीनियर

*46. **डा० रानेन सेन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सरकार द्वारा किए गये उपायों से कितनी सफलता मिली है;

(ख) गत एक वर्ष में इस समस्या को हल करने के लिए राज्यों को कितनी सफलता मिली है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलैक्ट्रोनिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 70/71)**

किशनगढ़ (राजस्थान) में महाराजा की हत्या

***47. डा० कर्णसिंह :**

श्री हमेन्द्र सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 16 फरवरी, 1971 को किशनगढ़ (राजस्थान) में किशनगढ़ के महाराजा की हत्या के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान सरकार एवं राज्य के पुलिस विभाग ने मृत महाराजा के चरित्र पर आक्षेप लगाते हुए वक्तव्य जारी किये थे जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जाँच कर रहा था; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामले की जांच की जा रही है और इसे यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है :

(घ) से (ङ) : राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसे कोई वक्तव्य जारी नहीं किये गये थे।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

***48. श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में गत तीन वर्षों से कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) न्यायालयों में इस प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुछ विशिष्ट संशोधनों का सुझाव दिया है जिनका उद्देश्य दीवानी मुकदमों में विलम्ब दूर करना अथवा कम करना है। आयोग ने आपराधिक मामलों में प्रक्रिया विधि में संशोधन के लिये भी कई सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधनों के सम्बन्ध में आवश्यक विधान हाथ में लिया जा रहा है।

जजों की समिति से भी, जो उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की समस्या की जांच कर रही है, प्रक्रिया विधि के संबंध में कुछ सिफारिशें करने की आशा की जाती है।

सन् 1970 के अन्त में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में तीन वर्षों से अधिक अनिर्णीत पड़े मामलों का विवरण

क्रमांक		तीन वर्षों से अधिक अनिर्णीत पड़े मामले
	उच्चतम न्यायालय	1,031
उच्च न्यायालय		
1.	इलाहाबाद	19,284
2.	आन्ध्र प्रदेश	298
3.	आसाम और नागालैण्ड	578
4.	बम्बई	12,143
5.	कलकत्ता	29,217
6.	दिल्ली	6,140
7.	गुजरात	4,199
8.	जम्मू और काश्मीर	77
9.	केरल	1,633
10.	मध्य प्रदेश	3,052
11.	मद्रास	5,732
12.	मैसूर	2,619
13.	उड़ीसा	1,024
14.	पटना	2,666
15.	पंजाब और हरियाणा	8,202
16.	राजस्थान	1,903
		98,767

थींग बांध का निर्माण

*49. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में थींग बांध का निर्माण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों की सरकारों के बीच कोई समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो समझौते की शर्ते क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी तक नहीं। थींग बांध परियोजना की तकनीकी जांच पूरी हो गई है परन्तु इसके अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर पंजाब और जम्मू व काश्मीर की सरकारों के बीच विचार-विमर्श हुआ था और समझौते को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में हथियार और गोला-बारूद का बरामद होना

*50. **श्री पी० के० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान राज्य एजेन्सियों अथवा स्वयं केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में बरामद किये गये हथियारों और गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ हथियार भारत में चोरी छिपे लाये गये थे और उन पर विदेशी चिन्ह अंकित थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सम्बन्ध देशों से कोई विरोध प्रकट किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री : (श्री रामनिवास मिर्धा) (क) से (ग) : राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है, शेष राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

विवरण

राज्य/संघ राज्य का नाम	राज्य और केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा पिछले तीन महीनों की अवधि में बरामद किये गये हथियार और गोला-बारूद		पिछले तीन महीनों की अवधि में बरामद हुए विदेशी हथियार, जो तस्करी से लाए गये थे, की संख्या	क्या संबंधित देशों से कोई विरोध प्रकट किया गया।
(1)	(2)		(3)	(4)
1. आन्ध्र प्रदेश	(1) रिवाल्वर/पिस्तौल	12	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
	(2) बन्दूक	1		
	(3) कारतूस	6		
	(4) देशी बम	6		
2. गुजरात	(1) बन्दूक	5	शून्य	वही
	(2) पिस्तौल	3		
	(3) कारतूस	12		
3. हरियाणा	(1) बन्दूकें/मुसकेट	14	शून्य	वही
	(2) रिवाल्वर/पिस्तौल	26		
	(3) कारतूस	178		
4. हिमाचल प्रदेश	(1) रिवाल्वर/पिस्तौल	3	शून्य	वही
	(2) कारतूस	28		
	(3) पी० कैप्स	261		
5. महाराष्ट्र	(1) रिवाल्वर/पिस्तौल	17	शून्य	वही
	(2) बन्दूकें	13		
	(3) कारतूस	536		
6. नागालैण्ड	(1) राइफल/गन	8	शून्य	वही
	(2) स्टैन गन	1		
7. उड़ीसा	(1) गन	20	शून्य	वही
8. मेघालय	शून्य		प्रश्न नहीं उठता	वही
9. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह	शून्य		प्रश्न नहीं उठता	वही
10. चण्डीगढ़	शून्य		प्रश्न नहीं उठता	वही
11. लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीप-समूह	शून्य		प्रश्न नहीं उठता	वही
12. त्रिपुरा	शून्य		प्रश्न नहीं उठता	वही

(1)	(2)		(3)	(4)
13. नेफा	शून्य		प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
14. मणिपुर	(1) राइफल/गन	14	शून्य	वही
	(2) पिस्तौल/रिवाल्वर	2		
	(3) विस्फोटक	35		
	(4) कारतूस	262		
15. दादरा तथा नागर हवेली	शून्य		प्रश्न नहीं उठता	वही

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में विचाराधीन मामले

*51. **श्री पी० के० घोष :** क्या **प्रधान मंत्री** मह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में आज तक कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों को और अधिक परेशान न करने के उद्देश्य से इन मामलों को तुरन्त वापिस लेने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) केवल आंध्र प्रदेश, मैसूर, बिहार, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा और संघशासित-क्षेत्र दिल्ली के सम्बन्ध में ही नवीनतम सूचना प्राप्त है, जहां विचाराधीन मामलों की कुल संख्या 132 है। उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल राज्यों से नवीनतम सूचना की प्रतीक्षा है। सूचना प्राप्त होने पर, यथा-शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायगी। अन्य राज्यों और संघ शासित-क्षेत्र प्रशासनों में कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही सलाह दी गई है कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य न हो, उन विचाराधीन अभियोग के मामलों की कानूनी कार्यवाहियाँ समाप्त करने की दृष्टि से विधि के अनुसार संवीक्षा की जाय। इसके अतिरिक्त, अभियोग के मामलों को वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ शासित-क्षेत्र प्रशासनों से भी समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विचाराधीन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाये।

पश्चिमी कोसी नहर का नेपाल के क्षेत्र में रेखांकन

*52. **भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के क्षेत्र से पश्चिमी कोसी नहर के रेखांकन के अनुमोदन के बारे में नेपाल सरकार का अन्तिम उत्तर प्राप्त हो गया है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उनका उत्तर शीघ्र प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर योजना द्वारा सिंचाई किये जाने वाले समस्त क्षेत्र की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए एक वैकल्पिक प्रायोगिक 'बोरिंग योजना' आरम्भ की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). पश्चिमी कोसी नहर के प्रथम 22 मील के संरेखण के लिए अभी नेपाल सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है । इस मामले को नेपाल सरकार के साथ एक उच्च स्तर पर उठाया गया है ।

(घ) और (ङ). बिहार सरकार मधुबनी क्षेत्र में लगभग 67,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए 225 नलकूपों की एक पाइलट नलकूप सिंचाई परियोजना पर विचार कर रही है । अगर इसे सफल पाया गया तो उसका सारे कमान क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है ।

Proposal to Formulate a Master Plan regarding the Ganga River

*53 **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to states :

(a) the time by which Government propose to formulate a master plan regarding the Ganga river; and

(b) the progress made in this direction so far ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). Field studies in connection with the formulation of the Water Utilisation Plan for the Ganga Basin have already been taken up in hand. The work involved is stupendousand it is expected that in about five years time, an outline of the plan will become available.

उत्तर प्रदेश में सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि

*54 **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें विदित है कि लगभग 6 महीनों में उत्तर प्रदेश में सूती धागे के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप छोटे हथकरघों के बन्द होने और हजारों बुनकरों के बेरोजगार होने का भय पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बिगाडती हुई स्थिति को सुधारने और उत्तर प्रदेश के हथकरघा

बुनकरों द्वारा उपयोग किये जाने वाले सूती धागे के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) रुई तथा सूत की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए तथा हथकरघा और शक्तिचालित करघों के बुनकरों आदि को धागे की सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जा रही है और जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी, समय-समय पर की जायेगी।

विवरण

सूत की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए तथा शक्तिचालित करना और हथकरघा बुनकरों आदि को सूत की सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा निम्नोक्त कार्यवाही की गई है :—

1. धागे के पर्याप्त संभरणों को बनाए रखने की दृष्टि से, रुई संभरण स्थिति में वृद्धि करने के लिए, भारी मात्रा में विदेशी रुई तथा स्टेपल रेशे की अतिरिक्त मात्रा के आयात की व्यवस्था दी गई है। इसके अतिरिक्त (1) कपास के वायदा व्यापार को बन्द कर दिया गया है, (2) स्वदेशी रुई हेतु अहस्तांन्तणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं के लिए सुपुर्दगी की अवधि कम कर दी गई है (3) रुई के लिए कानूनी स्टाक सीमाएं, घटाकर, बम्बई तथा अहमदाबाद में मिलों के लिए एक महीना, आसाम को छोड़कर, अन्यत्र मिलों के लिए डेंढ़ महीना तथा आसाम में मिलों के लिए ढाई महीने कर दी गई है तथा (4) मिलों द्वारा रखी जाने वाली रुई की स्टाक सीमाओं पर तथा ऋणो पर प्रतिबन्ध लगा दिए गये हैं।

2. सूती हथकरघा, शक्तिचालित हथकरघा तथा होजरी क्षेत्रों को सहायता देने के लिए सूती हथकरघा, शक्तिचालित हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग के होजरी क्षेत्रों को सप्लाई के लिए साफ किए हुए सूत का एक विशेष पुल तैयार करने का विनिश्चय किया गया है ताकि, इन क्षेंत्रों द्वारा महसूस किया जा रहा धागे का अभाव कुछ हद तक कम हो सके।

3. भारतीय सूती मिल संघ ने अपने सदस्य संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे सूती हथकरघों तथा शक्तिचालित हथकरघों को धागे की सप्लाई करने में सहायता करने के लिए अपनी सदस्य-मिलों को सलाह दें। संघ, जरुरत मन्द मिलों की आपसी मदद के लिए एक एच्छिक योजना भी चला रहा है जिसके अन्तर्गत ऋणों अथवा अन्य प्रकार से रुई की प्राप्यता सुनिश्चित की जा सकेगी।

Creation of Separate State of Telangana

***55 Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Home affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government are reconsidering the question of a seperate of Telangana keeping in view the results of the mid-term elections for Lok Sadha; and

(b) if so, the time by which a final decision is expected to be taken in this regard ?

The Minister State of the Ministry of Home Affairs and Ministers of State in Department of Electronics. Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology, (Shri Krishna Chandra Pant) : (a) No new prosal is under consideration.

(b) Does not arise.

Developments of Backward States

***56 Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether Government have formulated any scheme for the coordinated development of the backward States;

(b) If so, the outline thereof;

(c) if not, whether Government propose to formulate any such scheme; and

(d) if so, by when and, if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Anergy, Minister of Home Affairs, Minister of Planning and Minister of Information and Broadcasting : (Shrimati Indira Gandhi) (a) and (b). The Hon'ble Member has presumably in view Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh which have shown a measure of wieghtage in the allocation of Central assistance for state plans. The plans of these states keep in view the need for balanced and coordinated development. A statement showing the outlays made under different heads of development in the plans of these states is laid on the Table of the House. Besides, industrially backward districts in these and other states have been identified. Public sector financial institutions have offered concessions for starting small and medium sized industrial enterprises in these backward districts. These concessions include lower rate of interest an longer amortisation period for the repayment of loans. The names of the districts which have been selected in these 9 states for purposes of these concessions are furnished in the statemen laid on the Table of the House. Further, it has been decided to select two districts each in the states of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhy Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajsthan and U. P., and one district each in the remaining States and Union Territories to qualify for an outright grant or subsidy by the Centre amounting to one-tenth of the fixed capital investment of new units having a total fixed capital investment of not more than Rs.50 lakhs each; schemes and projects for new units involuing a fixed capital investment of more than Rs. 50 lakhs may be considered on merit. The names of these districts are also indicated in the Statement.

(c) & (d) : Do not arise.

Statement-I

Fourth Five Year Plan 1969-74 Backward States

(Rs. lakhs)

	Head of Development							
States	Agricultural Programmes	Cooperation & C. D.	Irrigation & Power	Industry & Mining	Transport & Communications	Social Services	Miscellaneous	Grand Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Assam	5046	937	7677	2097	4300	5471	647	26175
Bihar	9310	1980	27100	1752	3804	9127	55	53128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jammu & Kashmir	3050	425	5200	992	2811	2489	873	15840
Kerala	5054	750	11103	2073	1965	4852	43	25840
Madhya Pradesh	8150	2075	16056	1169	2870	7862	620	39300*
Nagaland	652	197	227	466	1203	1206	49	4000
Orissa	4230	820	9319	1822	1559	4081	429	22260
Rajsthan	2600	640	18778	645	950	6498	89	30200
Uttar Pradesh	19920	2215	46600	4477	5775	15102	2411	96500

* Includes Rs. 500 lakhs unallocated.

Statement II

S. No.	State	Industrially Backward Districts selected for concessional finance from the Financial Institutions	Districts selected for grant of subsidy
1.	Assam	Goalpara, Cachar, Nowgong, Kamrup, Mikir Hills, Mizo Hills, United Kashi & Jainti Hills*, Garo Hills.	Goalpara, Mikir Hills.
2.	Bihar	Santhal Parganas, Bhagalpur, Palamau, Champarn, Saran, Darbhanga, Purnea, Muzaffarpur & Saharasa.	Darbhanga (one moreunder cansideration).
3.	Jammu & Kashmir	Srinagar, Anantnag, Baramula, Jammu, Kathua, Udhampur, Doda, Ladhakh, Poonch and Rajouri.	Srinagar, Jammu.
4.	Kerala	Alleppey, Trivandrum, Cannanor, Trichur and Malapuram.	Alleppey.
5.	Madhya Pradesh	Bastar, Mandla, Surguja, Seoni, Jhabua, Balaghat, Bilaspur, Sindhi, Betul, Raigarh, Raipur, Dhar Tikamgarh, Rajgarh, Khargone, Shajapur, Shivpuri, Chindwara, Rewa, Panna, Dewas, Mandsaur, Chhatarpur, Gana, Datia, Morena, Vidisha, Narsimhapur, Raisen, Hoshangabad, Demoh, Bhind and Sagar.	(Two districts under consideration).
6.	Nagaland	Kohima, Mokokchung and Tuensang.	Kohima, Mokokchuug.
7.	Rajasthan	Jalore, Bansiwara, Dungarpur, Nagaur, Churu, Alwar, Tonk, Udaipur, Jodhpur, Jhunjhunu, Sikar, Sirohi. Bhilwara, Jhalawar, Jaiselmer and Barmer.	(Two districts under consideration).
8.	Orissa	Bolangir, Mayurbhanj, Dhenkanal, Kalahandi, Balasore, Konejhar, Koraput and Phulbhani.	Kalahandi, Mayurbhanj
9.	Uttar Pradesh	Almora, Azamgarh, Baharaich, Banda, Ballia, Badaun, Chamoli, Fatehpur, Garhwal, Ghazipur Hamirpur, Hardoi, Pillibhit, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Mainpuri, Pithoragarh, Pratapgarh, Rae Bareli, Sultanpur, Tehri Garhwal, Unnao, Uttar Kashi, Barabanki, Basti, Bulandshar, Etah, Etawah, Faizabad, Gonda, Mathura, Farrukhabad, Moradabad, Shahjahanpur, and Deoria.	Ballia, Jhansi.

* These districts now form Meghalaya State.

Inquiry Committee for looking into causes of floods in Alaknanda

***57 Shri Paripoornanand Painuli :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the details of the report of the departmental Enquiry Committee appointed by his Ministery to look into the causes of floods in Alaknanda during July last; and

(b) the action proposed to be taken by Government on the report of the said Committee ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L- Rao) : (a) and (b). No Committee has been set up by the ministry of Irrigation and Power to look into the causes of floods in Alaknanda during July, 1970. A Committee has, however, been set up by the Government of India in consultation with the Government of Uttar Pradesh to enquire, examine and report on the following :

1. The causes that led to the silting of the Upper Ganga Canal;
2. The current rules and regulations for the operation of the canals and their adequacy, and whether they were followed intelligently;
3. Any measures that should have been anticipated and taken to control the situation more effectively, and to make suitable recommendations both structural and non-structural, to avoid such mishaps in future.

The report on items (2) and (3) of referance is expected to be received very shortly. The Committee is making further technical studies on the causes of silting and the report on this subject is also expected to be finalised by them in the near future.

चीन द्वारा अन्तरिक्ष में दूसरा उपग्रह छोड़ा जाना

***58 श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी चीन ने हाल ही में अन्तरिक्ष में अपना उपग्रह छोड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मन्त्री अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री, योजना मन्त्री तथा सूचना और प्रासरण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). जी, हां । यह कहा जा सकता है कि चीनियों ने बहुत शक्तिशाली राकटों का विकास कर लिया है तथा वे अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का विकास करने के लक्ष्य के और अधिक समीप पहुँच गये हैं । अन्य विषयों की भांति इस विषय में भी, भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवमं सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अपनी नीति का निरन्तर पुर्नावलोकन करती रहती है ।

आसाम के लिए नई राजधानी बनाने हेतु आसाम सरकार को सहायता

***59 श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम को नई राजधानी बनाने के लिए आसाम सरकार को कितनी सहायता दी गई है या देने का विचार है; और

(ख) क्या उक्त परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की सहायता भी दी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री और इलेक्ट्रोनिक्स अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विषय पर तब ही विचार किया जा सकता है जब परियोजना का ब्यौरा तथा खर्च राज्य सरकार द्वारा तैयार कर लिया जाए।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम गोदावरी में अनुगला लोका के निकट येर्रकल्वा के पार सिंचाई परियोजना का निर्माण

***60 श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पश्चिम गोदावरी जिले में अनुगला लोका के निकट येर्रकल्वा के पार सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि इस परियोजना के बारे अनुसंधान- कार्य चल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Nationalisation of Foreign Trade

***61. Shri Shivnath Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to nationalize the entire foreign trade of India; and

(b) If so, the time by which Government propose to nationalize it ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). It is the policy of the Government to increase progressively the role of state agencies in import trade of the country and to take it over completely ultimately. As regards, exports a predominant role is envisaged and a phased programme of expansion of the role of State agencies is being progressively executed.

A list of items whose import/export is canalised through State agencies, is placed on the Table of the House.

STATEMENT

List of items canalised for Import through State Trading Corporation

I. **State Trading Corporation of India Ltd.**

1. 35 mm Raw Stock (whether black or white or colour) excluding sound negative.
2. Nylon yarn and thread other than industial nylon yarn.
3. X-Ray films.
4. Sodium nitrate (Chilean nitrate).
5. Wool raw and wool tops including wool waste, shoddy wool and woollen rags.
6. All synthetic non-cellulose fibres including polyester fibre.
7. Sodium nitrate.
8. Copra.
9. Hops.
10. Mutton tallow.
11. Soyabeen oil.
12. Palm oil.
13. Ammonium nitrate-technical grade.
14. Cresylic acid.
15. Titanium dioxide.
16. Corkwood.
17. Anilineoil.
18. Sulphadimidine.
19. Aminopyrine.
20. Analgin.
21. Phenobarbitone.
22. Vitamin B1.
23. Vitamin B2.
24. Folic acid.
25. Chloramphenicol.
26. Streptomycin sulphate.
27. Sulphathiozole.
28. Sulphadiazine.
29. Sulphamethazine.
30. Tetracycline.
31. Graphite.
32. Formic acid.
33. Dodecyl benzene.
34. Pentaerythritol.
35. Tartaric acid.
36. Meta aminophenol.

37. Urea (Chemical grade)
38. Cyno pyridine.
39. Lithophone.
40. Cellulose nitrate sheets and flakes.
41. Melamine pure.
42. Acrylic resins.
43. Cryolite.
44. Polypropylene.
45. Nylon moulding powder.
46. Cashewnuts raw.
47. Cotton.

Items (1) to (6) above had been canalised before 31-3-1969, items (7) to (16) were canalised during 1969/70 and items (17) to (46) were canalised in the Import Policy for 1970/71. Item No. 47 and 48 were canalised on 31-8-70 and 15-9-70 respectively.

II. Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd.

1. Mercury.
2. Rock phosphate, Mineral Phosphate.
3. Muriate of potash (Potassium chloride other than industrial grade)
4. Sulphate of potash.
5. Sulphate of Ammonia.
6. Non-Processed elemental/non-refined recovered Sulphur.
7. Non-ferrous metals, namely, Lead, Tin, Zinc, Copper, Nickel and Aluminium (for non-priority industries and for all imports from Rupee Areas. In the case of Tin, for priority industies also, where the requirements of a unit are not more than 16 tonnes).
8. Platinum.
9. Palladium.
10. Urea (Fertiliser grade).
11. Stainless steel (for non-priority industries other than those for whom there is a ban on import of this item, under the Actual Users Policy).

Items (1) to (7) were canalised through the MMTC during 1969-70. Items (8) to (11) were canalised in the import policy for 1970-71.

III. Hindustan Steel Ltd.

1. BP Sheets either in coils or cut lengths (Hot Rolled and Cold Rolled) for manufacture of drums, barrels and steel furniture.
2. Tinplate for manufacture of Open top sanitary cans

IV. Indian Dairy Corporation.

1. Powdered Milk.

V. Central Silk Board

1. Raw silk.

The items indicated at (III), (IV) and (V) above were canalised in the import policy for 1970/71.

List of Items Canalised for Export through STC/MMTC

A. S.T.C.

1. Dried fish other than Prawns, Shark fins, Fishmaws, Beach-de-Mer and Bombay Ducks.
2. Human hair, wigs and wiglets and other articles made partly or wholly of human hair.
3. Cellulosic art silk fabrics.
4. Nylon fabrics.
5. Lemongrass oil.
6. Kuth.
7. Salt, all sorts.
8. Footwear, uppers of which are made wholly or partly of leather.

*9. Cement.

*10. Knitwear (woollen and mixed)

*Canalised during 1969-70.

B. M.M.T.C.

1. Iron ore other than ore of Goan origin.
2. Manganese Ore [except ore produced/acquired by Manganese Ore (India) Ltd.]
3. Coal and Coke (certain grades).
4. Ferro-manganese and Ferro-manganese slag.

इटली के व्यापार शिष्टमण्डल द्वारा भारत का दौरा

***62.** श्री मयाबन : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1971 में इटली के एक व्यापार शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । एक 24-सदस्यीय इतालवी व्यापार शिष्टमण्डल ने 7 फरवरी से 22 फरवरी 1971 तक भारत का दौरा किया था ।

(ख) तथा (ग). शिष्टमण्डल ने बम्बई, बंगलौर, मद्रास तथा दिल्ली का दौरा किया और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों, भारतीय निवेश केन्द्र, राज्य व्यापार संगठनों, फर्मों तथा औद्योगिक एकांकी आदि के साथ लाभप्रद बैठक विचार-विमर्श किया । दिल्ली में शिष्टमण्डल ने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया । 22 फरवरी 1971 को शिष्टमण्डल इटली को वापस रवाना हो गया । यदि कोई ऐसी विशिष्ट व्यापार संविदाएं हैं, जिन पर शिष्टमण्डल द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं अथवा हस्ताक्षर किये जाने की सम्भावना है तो उनके ब्योरों के विषय में किसी पार्टी ने सरकार को सूचित नहीं किया है ।

हाल ही में हुए चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग

***63. श्री दण्डपाणि :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में लोक-सभा के हाल ही के चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या है; और

(ग) उन दलों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त धन स्वीकार किया था ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, योजना मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). हालांकि ऐसा सोचने के कारण हैं कि हाल के चुनावों में विदेशी स्त्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग हुआ है किन्तु प्राप्त विक्षेय सहायता की मात्रा का निश्चित मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होगा और न ही राजनैतिक दलों अथवा उनके विदेशी दाताओं पर दोष लगाना यथोचित होगा। सामान्य और यथार्थ व्यापारिक लेन देन करने को छोड़कर विदेशी संगठनों, एजेन्सियां या व्यक्तियों से धन प्राप्त करने पर यथोचित रोक लगाने हेतु अस्थायी वैधानिक प्रस्ताव पहले ही बनाये गये हैं। प्रस्तावित विधान के मूल सिद्धान्तों पर शीघ्रातिशीघ्र विपक्षी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श किया जायेगा।

तमिलनाडु में राज्य योजना बोर्ड का गठन

***64. श्री एस० राधाकृष्णन् :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मन्त्री ने तमिलनाडु में राज्य योजना बोर्ड के गठन के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) क्या अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार का कोई अनुरोध किया है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, योजना मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, नहीं। तमिलनाडु या किसी भी अन्य राज्य द्वारा ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है। राज्य सरकारें स्वयं अपने राज्य योजना बोर्ड गठित कर सकती हैं।

विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित विषयों का पुनःवर्गीकरण

***65 श्री अमरनाथ चावला :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग तथा उसके अध्ययन दल ने विभिन्न मन्त्रालयों से संबंधित विषयों का विस्तृत रूप से पुनर्वर्गीकरण करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन-कौन सी सिफारिशें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यह पुनर्वर्गीकरण विभिन्न विभागों तथा मन्त्रालयों के उचित कार्य संचालन में प्रभावी परिवर्तन लाने में कहाँ तक सहायक होगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय तथा आर्थिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की जांच

*66. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद इतनी हत्यायें हुई हैं जितनी पहले कभी नहीं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इन हत्याओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी हत्याओं के कारणों की सार्वजनिक जांच करवाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). मुख्यतः हत्या तथा आक्रमण की "राजनीति" के कारण पश्चिम बंगाल में राजनैतिक हत्याओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अराजकता तथा हिंसा की शक्तियों को जड़ से उखाड़ने के लिए विधि अनुसार सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

(क) तथा (ख) : हालांकि ऐसे सभी मामलों में विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है, सरकार इस सम्बन्ध में सार्वजनिक जांच कराना आवश्यक नहीं समझती ।

मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स (प्रा०) लि० द्वारा आयातित कच्ची ऊन के सम्बन्ध में जांच

*66. **श्री शशि भूषण :** क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री 18 नवम्बर, 1970 के मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स (प्रा०) लि० द्वारा आयातित कच्ची ऊन के सम्बन्ध में जाँच के बारे में अतारांकित प्रश्न सख्या 1284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स (प्रा०) लि० द्वारा आयातित कच्ची ऊन के आयात के सम्बन्ध में इस बीच अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो देरी के क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उक्त जांच-कार्य पूरा करने के लिये और कितना समय लिये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अनुसार जांच प्रतिवेदन की कानूनी संवीक्षा की जा रही है।

बाढ़ द्वारा हुई क्षति तथा राज्यों को उसके लिए दी गई केन्द्रीय सहायता

67. **श्री एस० एम० सोलंकी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन क्षेत्रों तथा राज्यों में 1970-71 वर्ष के दौरान आई बाढ़ के परिणामस्वरुप बड़ी संख्या में लोगों तथा पशुओं की जानें गई तथा जुती हुई जमीन तथा फसलों को भारी नुकसान पहुंचा;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ सहायता के लिए कितनी राशि खर्च की है;

(ग) जिन राज्यों को अधिक नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार की सहायता दी गई है; और

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात राज्य को कितनी राशि दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र लाख है० में	फसलों को हानि: क्षेत्र लाख है० में	फसलों को हानि: मूल्य लाख रुपयों में	पशु क्षति सं०	जन हानि सं०	फसलों, घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं की कुल हानि लाख रुपयों में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आँध्र प्रदेश	1.3*	1.3	136.0	412	99	1237.3	*चूंकि अलग आँकड़ों की सूचना नहीं मिली है। इसलिए वही आंकड़े जो कालम-4 में दिये गये हैं।
2.	असम	7.2	2.0	860.3	4235	37	1042.9	
3.	बिहार	9.3	3.6	1474.0	1855	2	1507.7	
4.	गुजरात	10.3*	10.3	1695.0	2601	432	6930.9	
5.	केरल	0.9	0.1	36.0	46	9	278.9	
6.	मध्य प्रदेश	0.5	0.2	मूल्याँकित नहीं	545	15	155.7	
7.	महाराष्ट्र	1.4*	1.4	212.2	1503	38	395.0	
8.	मैसूर	0.2*	0.2	104.0	18	कुछ नहीं	128.4	
9.	उड़ीसा	3.2*	3.2	1224.9	51	8	1335.6	
10.	उत्तर प्रदेश	29.1	17.0	4300.0	3913	344	6908.0	
11.	पश्चिम बंगाल	20.1	9.0	6088.6	4014	85	8699.4	

विवरण II

बाढ़ों के दौरान राहत उपायों के लिए प्रबन्ध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं और वे ही इन उपायों पर सारा व्यय करती है। बाढ़ क्षति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों को

भेजे गए केन्द्रीय दलों द्वारा की गई सिफारिशों को और राहत उपायों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है ।

1970-71 के दौरान बाढ़ों के कारण जो राहत उपाय आवश्यक हो गए थे उन पर व्यय करने के लिए राज्य सरकारों को अब तक केन्द्र द्वारा निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है:--

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	केन्द्रीय सहायता की धन राशि		
	ऋण	अनुदान	कुल
1. आंध्र प्रदेश	300	50	350
2. असम	535	40	575
3. बिहार	200	35	235
	(सूखा हेतु राहत के लिए सहायता को मिला कर)		
4. गुजरात	100	180	280
5. केरल	220	—	220
6. उत्तर प्रदेश	400	—	400
7. पश्चिम बंगाल	1580	260	1840

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित और धन दिया गया है :

1969-70 में किए गए चक्रवात राहत उपायों पर चालू वर्ष के दौरान अधिक व्यय के लिए आंध्र प्रदेश को 750 लाख रुपये ऋण मंजूर किया गया है । 1969-70 में किए गए तटबन्ध सिंचाई कार्यों, इत्यादि की मरम्मत पर चालू वर्ष के दौरान अधिक व्यय के लिए पश्चिम बंगाल को 51.40 लाख रुपये का ऋण ।

कृषि संबंधी निवेशों की खरीद के लिए बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में कृषकों को अल्पावधि ऋण देने लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 500-500 लाख रुपये कृषि के केन्द्रीय विभाग ने मंजूर किए हैं ।

उपयुक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की प्रार्थना पर राहत और बचाव कार्य के लिए सैनिक. हवाई जहाज, सैनिक नावें, इत्यादि प्रदान करके सहायता भी दी ।

Prime Minister's tours during Mid-Term Elections for Lok Sabha

68 **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of states to which the Prime Minister had gone on election tour during the mid-term elections for the Lok Sabha;

(b) the number of times she performed the journey by rail and by air, separately during the election tour;

(c) the number of times she visited different states in connection with the aforesaid elections ; and

(d) the expenditure borne by the Central Government in connection with her tours?

The Deputy Minister in the Ministery of Home Affairs : (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Communal riots in Aligarh

69 Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Mayavan :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether communal riots took place in Aligarh at the time of mid-term elections for Lok Sabha;

(b) the total number of persons killed and injured separately as a result thereof;

(c) the value of property damaged;

(d) whether the state Government instituted any inquiry into the causes thereof;

(e) if so, the details thereof; and

(f) whether Government have taken some steps for providing relief to the riot affected people and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Eelectronics, Deptt. of Atomic Energy and Deptt. of Science and technology : (Shri K. C. Pant) : (a) Yes Sir.

(b) According to information received from the state Government 15 persons were killed and 78 injured.

(c) According to preliminary estimate made by the local authorites the value of property looted or destroyed is approximately Rs. 27/1-2 lakhs,

(d) and (e). The state Government have appointed Shri Justice D. S, Mathur of the Allahabad High Court under the commissions of inquiry Act, 1952 to inquire into the disturbances.

(f) The State Government have placed a sum of Rs. 5 lakhs at the disposal of the District Magistrate for providing relief to the sufferers of the disturbances. The Prime Minister has also sanctioned a sum of Rs. 1 lakh to the Centeral Citizens Council and a sum of Rs. 5,000 to a joint relief committee set up in the city, to organise relief work.

नवाब रामपुर पर मुकदमा चलाने के लिए तलत फातिमा हसन को अनुमति

70. श्री झारखण्डे राय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस तलत फातिमा हसन ने निजी सम्पत्ति के लिए रामपुर के नवाब पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अनुमति के लिए किस तारीख को आवेदन पत्र दिया था;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणु शक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1970।

(ग) और (घ). मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

कपड़ा उद्योग को संरक्षण

71. श्री अमरनाथ चावला : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुई की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कपड़ा उद्योग की रक्षा के लिये, जो कि बहुत से लोगों को रोजगार देता है और विदेशी मुद्रा कमाता है, क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। रुई फसल को हानि पहुँचने के कारण वर्तमान रूई वर्ष में घरेलू रुई की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) अभी तक रुई की 10 लाख गांठों तथा स्टैपल रेशे की 1·50 लाख गांठों के आयात की अनुमति दी गई है तथा अतिरिक्त आयात किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

(2) आयातित रुई की 100,000 गांठें ऐसी निर्यातक मिलों के लिए निर्धारित की गई है जिनके पास पक्के निर्यात आदेश हैं।

(3) कानूनी स्टाक सीमाएं घटा कर बम्बई तथा अहमदाबाद में स्थित मिलों के लिए 1 महीना और आसाम तथा उडीसा के लिए 2-1/2 महीने और अन्य स्थानों में 1-1/2 महीने कर दी गई है। निर्यातक मिलों के लिए स्टाक की सीमाएं निम्नांकित प्रकार हैं :—

(क) 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाली मिलें	2-1/2 महीने।
(ख) 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाली मिलें	3-1/2 महीने।
(ग) 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाली मिलें	4-1/2 महीने।

(4) कपास में वायदा बाजार रोक दिया गया है।

(5) घरेलू रुई में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं की अवधि घटाकर एक महीना कर दी गई है।

(6) कमजोर तथा निर्यातक मिलों के लिए कम पूर्ति वाली रुई उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान निकासियों के आधार पर आयातों के लिए रेशा लम्बाई सीमा सामान्यत: 1-1/16" से घटा कर 1" कर दी गई है।

(7) मिलों, व्यापार तथा सहकारी समितियों के लिए ऋण मार्जिनों का उपयुक्त रूप से समायोजन कर दिया गया है ।

सीमा सुरक्षा दल के एक सदस्य द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के एक हवाई जहाज का पाकिस्तान को अपहरण किया जाना

72. **डा० कर्णीसिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के एक हवाई जहाज का हाल ही में श्रीनगर से लाहौर को अपहरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अपहरण की यह योजना हमारे सीमा सुरक्षा दल के एक सदस्य द्वारा, जिसका मुख्य कार्य इस प्रकार की घटनाओं को रोकना था, बताई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो देश के आसूचना संगठन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । एक मुखबिर, जो सीमा सुरक्षा दल के प्रयोग में लाया जा रहा था, इस अपराध के लिये जिम्मेवार था ।

(ग) इस मामले की जांच करने तथा आवश्यकतानुसार उचित उपायों का सुझाव देने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है ।

नर्मदा परियोजना विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन

73. **श्री एस० एम० सोलंकी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्वदा परियोजना विवाद का समाधान करने के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की न्यायनिर्णय संबंधी कार्यवाही चल रही है। प्रयत्न तो यही किए जा रहे हैं कि वह अपना कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर ले, लेकिन इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि न्यायनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही कब समाप्त होने की संभावना है ।

कपड़े के मूल्य में वृद्धि

74. **श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों में कपड़े के मूल्य में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ख) कपड़े के मूल्य को पहले स्तर पर लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 2 मई, 1968 से नियंत्रित कपड़े की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनियंत्रित कपड़े की प्राप्य कीमतों से पता चलता है कि कुछ किस्मों में कीमतें तो अपरिवर्तित रहीं और अन्य किस्मों में दिसम्बर 1970 से फरवरी, 1971 की अवधि के दौरान लगभग 3·4 से 25·7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

(ख) अनियंत्रित कपड़े की कीमतें विशुद्ध रूप से मांग तथा पूर्ति की स्थिति द्वारा तथा कुछ ब्रांडों की लोकप्रियता तथा उनके उत्पादन में काम आने वाली कपास की प्राप्यता तथा उसकी कीमतों के आधार पर चलती है। सरकार ने कपास की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए समुचित उपाय किये हैं।

चुनावों के दौरान प्रतिरक्षा कर्मचारियों की पश्चिम बंगाल में तैनाती

75. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चुनाव-कार्य के लिए कितने प्रतिरक्षा कर्मचारी तैनात किये गये;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात थे; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितना धन खर्च हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मार्च 1971 में हुये चुनावों में तथा थोड़ा पहले विधि और व्यवस्था से निबटने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के लिये पश्चिम बंगाल के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरक्षा कर्मचारी पर्याप्त संख्या में भेजे गये थे।

(ग) चूंकि सैनिक कर्मचारियों को विधि और व्यवस्था के कार्यों के लिए भेजने के सम्बन्ध में हुए खर्च का कोई पृथक खाता नहीं रखा जाता है अतः अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में पटसन श्रमिकों की हड़ताल

76. **डा० रानेन सेन :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पटसन श्रमिकों ने दिसम्बर 1970 में 22 दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल में क्या मुद्दे उठाये गये थे;

(ग) यह हड़ताल किस प्रकार समाप्त हुई; और

(घ) क्या श्रमिकों और इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के बीच हुए समझौते को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विवाद के मुख्य कारण कर्मचरियों को मजूरी के 8 प्रतिशत की दर पर वोनस देने,

कर्मचारियों को आनुतोषिक देने तथा बदली कर्मचारियों को भरण-पोषण भत्ता देने के सम्बन्ध में थे।

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकार की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गयी। समझौते की शर्तें संलग्न हैं।

(घ) ससझौते को कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की किसी मिल से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1. **बोनस** . बोनस का संदाय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार कर्मचारियों को वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 के लिए क्रमशः मजूरी के 6 प्रतिशत, 6-1/2 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस मिलेगा।

2. **आनुतोषिक** : यह बात सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गयी कि कर्मचारियों को आनुतोषिक देने की योजना तैयार की जाये और मजूरी समिति को इसके ब्यौरे तैयार करने के लिए कहा जाये। जब तक योजना को अन्तिम रूप से तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक 1 दिसम्बर, 1970 से तदर्थ आधार पर एक साल की पूरी सेवा पर 12 दिन की मूल मजूरी की दर से आनुतोषिक दिया जायेगा। आनुतोषिक योजना को अन्तिम रूप में तैयार हो जाने पर सम्बद्ध कर्मचारियों को देय फालतू राशि, यदि कोई हो, उन्हें अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को दे दी जायेगी।

3. **बदली कर्मचारियों के लिए भत्ते** : दोनों पक्षों के दावों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना यह मामला मजूरी समिति को सौंपना स्वीकार कर लिया गया कि बेरोजगार होने पर बदली कर्मचारी कितनी राहत के हकदार होंगे। दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता न होने पर समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन दे देगी। सरकार द्वारा किया गया विनिश्चय 1 दिसम्बर, 1970 से प्रभावी होगा।

इंजीनियरिंग औजारों का निर्यात

77. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बढ़िया किस्म के इंजीनियरिंग के औजार अमरीका तथा अन्य विकसित यूरोपीय देशों को निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और गत तीन वर्षों मे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रमुख, विकसित यूरोपीय देशों के नाम तथा संयुक्त राज्य अमरीका, जिन्हें 1967-68 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान मशीनी तथा दस्ती औजारों का निर्यात किया गया और उनका मूल्य

(मूल्य लाख रु० में)

देशों के नाम	मशीनी औजार (जिसमें मैटल वर्किंग मशीनें भी शामिल हैं)			दस्ती औजार (छोटे औजार तथा काटने के औजार)		
	1967-68	1968-69	1969-70	1967-68	1968-1969	1969-70
हालैंड	2	15	10	4	6	5
स्वीडन	नगण्य	2	10	20	नगण्य	3
ब्रिटेन	6	38	42	17	15	16
संयुक्त राज्य अमरीका	6	13	24	46	49	40
सोवियत संघ	4	17	नगण्य	नगण्य	13	19
पश्चिम जर्मनी	3	9	21	नगण्य	4	16
अन्य	47	94	189	128	191	167
महायोग :	68	188	296	215	278	266

फालतू पुर्जों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी मुख्य सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की संख्या

78. श्री डी० एस० अफजलपुरकार : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फालतू पुर्जों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी मुख्य सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन पुर्जों को बनाने के लिए इंजीनियरी उद्योगों की सहायता के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, फालतू पुर्जे न होने की वजह से बृहत् सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में लगभग 23% निर्माण मशीनरी बेकार पड़ी थी। बहरहाल, कोई बृहत सिंचाई और विद्युत परियोजना निष्क्रिय नहीं रही है क्योंकि साधारणतः 20-25% आपातिक (स्टैंड बाई) मशीनरी की व्यवस्था है।

(ख) तथा (ग). इंजीनियरिंग उद्योगों ने देशी फालतू पुर्जों के निर्माण में काफी प्रगति की है। महानिदेशक, सभरण और निपटान के दर-ठेकों के अन्तर्गत देशी फालतू पुर्जों की लगभग 12000 मदें ले ली गई हैं। देश में फालतू पुर्जों के निर्माण में बढ़ोतरी के कारण और आयतित उपस्कर के स्थान पर देशी उपस्कर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण, आयातित फालतू पुर्जों की आवश्यकताएं अगले पांच वर्षों मे काफी हद तक कम होते जाने की संभावना है। निर्माण उपस्कर

और फालतू पुर्जों को प्राप्त करने मे देरियों को दूर करने के वास्ते उपाय सुझाने के लिए मंत्रियों की जो समिति स्थापित की गई थी, उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जो कार्यवाही की गई है, उसके संबंध में लोक सभा में 2-12-1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3081 के उत्तर में बात दिया गया है ।

राज्यों में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

79. श्री डी० एस० अफजलपुरकार : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा उनकी संख्या क्या है; और

(ख) राज्य-वार उनके कब तक पूरे होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 71/71)**

जम्मू तथा कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी आदेश का वापस लिया जाना

80. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर मे शेख अब्दुल्ला के प्रवेश पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश को वापस ले लिये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). जम्मू तथा कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश 7 जनवरी, 1971 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने अपने लोक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिया था । उस आदेश के अनुसार 3 महीने की अवधि तक ही प्रभावी रहना था । चूंकि आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया था अतः रोक हटाई जाय अथवा नहीं यह निर्णय उन्हीं को करना है ।

पश्चिमी बंगाल में हत्याएं

81. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद अब तक पश्चिम बंगाल में अलग-अलग कितनी राजनीतिक तथा अन्य प्रकार की हत्याएं की गईं;

(ख) राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात अब तक पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से कितने व्यक्ति मारे गये;

(ग) इस अवधि में पश्चिम बंगाल में किस-किस दल के व्यक्ति मारे गये तथा उनकी हत्या की गई;

(घ) क्या सरकार का ध्यान भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की पश्चिम बंगाल राज्य समिति द्वारा जारी किये गये इस आशय के एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस अवधि में भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के 200 से अधिक कार्यकर्ता मारे गये हैं अथवा उनकी हत्या की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 19 मार्च, 1970 से 28 फरवरी, 1971 तक की अवधि में राज्य में हत्या के 1,396 मामले हुए जिनमें से 546 मामले राजनैतिक हत्याओं के थे। इसी अवधि में 153 व्यक्ति पुलिस गोला-बारी में मारे गये।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सरकार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दिये गये ऐसे वक्तव्यों से संबंधित प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ङ) मुख्यतः हत्याओं और आक्रमणों की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अराजकता तथा हिंसा की शक्तियों को जड़ से उखाड़ने के लिए विधि अनुसार सभी सम्भव कार्यवाहियां की जा रही हैं।

पश्चिम बंगाल पुलिस एसोसिएशन के सैक्रेटरी द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य

82. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पत्र 'दर्पण' के हाल ही के अंक में छपे पश्चिम बंगाल पुलिस एसोसिएशन के सैक्रेटरी के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उक्त वक्तव्य में यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों की हत्या में पुलिस कर्मचारियों का ही हाथ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आरोप की पूर्ण जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुलिसमैनों की हत्या के प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में आपराधिक मामले चलाये गये हैं और उनकी छानबीन की जा रही है। ऐसे मामलों पर न्यायालयों द्वारा निर्णय किया जायेगा और राज्य सरकारों ने इसलिए मामले पर अलग से कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वेतन-मान

83. **श्री पी० के० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 मार्च, 1970 से सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय वेतन-मानों के लागू करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितने संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त निर्णय को कार्यान्वित किया है; और

(ग) क्या दादरा और नागर हवेली के कर्मचारियों के वेतनों में 4-6-67 से तथा उनके मंहगाई भत्ते में वर्ष 1968 से अभी तक वृद्धि नहीं की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह निर्णय किया गया था कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन-मानों को 6-3-1970 से केन्द्र के अनुरूप किया जाय परन्तु यह निर्णय बाद में बदल दिया गया और भारत सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि संघ राज्यों को विकल्प दिया जाय कि वे चाहें तो उन पड़ौसी राज्यों के वेतन-मानों से सम्बन्ध हो सकते हैं अथवा केन्द्र के वेतन-मान को अपना सकते हैं।

(ख) पाण्डिचेरी ने केन्द्रीय वेतन-मानों के प्रतिमान का विकल्प दिया और उस क्षेत्र के लिए उचित केन्द्रीय वेतनमान निर्धारित किए गये। त्रिपुरा ने पश्चिम बंगाल से सम्बन्ध रखने का विकल्प दिया। मणीपुर ने कोई विकल्प नहीं दिया है। दादरा और नागर हवेली ने केन्द्रीय वेतन-मानों का विकल्प दिया और इस विकल्प को कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही केन्द्रीय वेतनमान हैं।

(ग) प्राथमिक शिक्षकों को छोड़कर दादरा तथा नागर हवेली के कर्मचारियों को गुजरात असैनिक सेवाएं (वेतन का संशोधन) नियम 1969 के प्रतिमानों के समान पहले ही वेतन में वृद्धि 1-6-67 से दी गई हैं। मंहगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी का भुगतान किया गया है।

मद्रास और दिल्ली में माओ के पोस्टरों का प्रदर्शन

84. **श्री पी० के० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मद्रास में तथा नई दिल्ली में गांधी समाधी पर माओ के चित्रों से युक्त चीनी पोस्टर लगे पाये गये थे;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उग्रवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). तामिलनाडु सरकार तथा दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार मद्रास में अथवा नई दिल्ली में गांधी समाधी पर हाल में ऐसे कोई इश्तिहार नहीं पाये गये। किन्तु दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया

है कि गांधी समाधी के उत्तरी द्वार पर 27/28 जनवरी, 1971 की रात्रि को कुछ उग्रवादी तथा माओ समर्थक नारे लिखे पाये गये। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है।

चुनावों के दौरान हिंसा तथा मतदाताओं को आतंकित करने की घटनाएं

85. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के हाल ही के आम चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की तथा मतदाताओं पर आक्रमण करने, उन्हें तंग करने तथा आतंकित करने की अनेक घटनायें हुईं थीं;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में हुईं हिंसात्मक घटनाओं में मारे गये तथा गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को इस सम्बन्ध मे उम्मीदवारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की ओर से अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय मे यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है तथा क्या यह सच है कि अनेक मामलों में तो स्थानीय पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट भी लिखने से इंकार कर दिया था ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) । (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित, हाल के चुनावों में राज्यवार हिंसक घटनाओं, मारे गये तथा जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। मतदाताओं को तंग करने तथा आतंकित करने के मामलों के बारे में सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है।

(ग) तथा (घ). भारतीय चुनाव आयोग से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक सभाओं में गड़बड़ी की घटनाएं	झगड़ों की संख्या	मतदान के समय शान्ति भंग होने की घटनाएं	मारे गये व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	66	30	1	113
2.	असम	8	7	2	2	3
3.	बिहार	4	32	122	5	199
4.	गुजरात	12	36	13	2	68
5.	हरियाणा	8	5	8	—	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	जम्मू और काश्मीर	2	5	7	—	6
7.	केरल	—	113	45	3	212
8.	मध्य प्रदेश	13	33	5	1	44
9.	महाराष्ट्र	11	33	1	—	147
10.	मैसूर	3	22	11	—	102
11.	नागालैण्ड	1	1	2	—	2
12.	उड़ीसा	8	10	1	—	10
13.	पंजाब	3	5	2	1	4
14.	राजस्थान	7	23	15	—	18
15.	तामिल नाडु	14	160	96	5	589
16.	उत्तर प्रदेश	17	66	30	15	174
17.	पश्चिमी बंगाल	1	935	91	223	629
18.	अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह	—	—	1	—	2
19.	चण्डीगढ़	2	1	—	—	1
20.	दिल्ली	9	12	—	—	8
21.	गोआ, दमन और दीव	—	1	1	—	—
22.	पांडिचेरी	—	1	—	—	1
23.	त्रिपुरा	—	6	4	—	6

हिमाचल प्रदेश, दादरा व नागर हवेली, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीवी द्वीप-समूह और मनीपुर में चुनावों में हिंसा की कोई घटनाएं नहीं हुई ।

Rajasthan Government's requests for Powerlooms

87. Shri Mool Chand Daga : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Rajasthan Government have requested for powerlooms in the State and, if so, when and the number of powerlooms demanded;

(b) the time by which the said demand would be met; and

(c) whether the Rajasthan Government have been permitted to set up less number of powerlooms as compared to other States, and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). The Rajasthan Government have been requesting since July, 1969, for the allotment of additional 3,000 to 7,000 powerlooms over and above the cuota allotted to them for the Fourth Five Year Plan. Their request would be given due consideration at the time of considering similar requests received from other State Governments and Union Territories.

(c) Allocation of powerlooms to the various States and Union Territories was made after taking into account factors like population, the number of

existing registered handlooms in the States, the relative industrial backwardness of the area and the proximity to the spinning mills etc: On this basis, the allocation made to Rajasthan was less than the allotments made to certain other States.

बिहार में कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

88. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में विभिन्न राज्यों में तथा विशेषकर बिहार राज्य में कपड़े के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नियंत्रित कपड़े की कीमतों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है और 2 मई, 1968 से लेकर अब तक किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गयी है। भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कतिपय राज्यो के, जिनमें बिहार शामिल है, खुदरा व्यापारी कपड़े की नियन्त्रित किस्मों के सम्बन्ध में छपी हुई कीमतों से काफी अधिक दाम वसूल कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होने पर राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया। अनियंत्रित कपड़े की विद्यमान कीमतों से प्रकट होता है कि सितम्बर, 1970 से फरवरी, 1971 के बीच लगभग 1.7 प्रतिशत से 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कपड़े की कीमतों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नही हैं।

(ख) अनियंत्रित कपड़े की कीमतें पूर्णतः मांग और पूर्ति की स्थिति, किसी ब्रांड विशेष की लोकप्रियता तथा उसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली कच्ची रुई की प्राप्यता तथा कीमतों पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा कच्ची रुई की कीमतों में वृद्धि के रुख पर काबू पाने के लिए उपयुक्त उपाय किये गये है। जहां तक नियंत्रित कपड़े का सम्बन्ध है राज्य सरकारों से नियंत्रण आदेश प्रवर्तित करने और दोषी पक्षों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

कमला तटबन्ध का सीसापानी तक विस्तार

89. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जय नगर (बिहार) से आगे नेपाल में सीसापानी तक कमला तटबन्ध के प्रस्तावित विस्तार कार्य को हाथ में अभी तक नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या बाधाएं हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). नेपाली क्षेत्र में कमला तटबन्धों का विस्तार निर्माणार्थ अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है। राज्य सरकार ने एक वैकल्पिक स्कीम को क्रियान्वित करने का निश्चय किया है जिसमें पश्चिमी कमला नहर के बाएं तट और पूर्वी कमला नहर के बाएं तट को मजबूत करने की व्यवस्था है और जो कि कमला नदी से उमड़ कर बहने वाले जल से सिंचाई क्षेत्रों के बचाव

के लिए पर्याप्त क्रास निकास कार्य और बाढ़ तटों का काम देगी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वृहत क्रास निकास संरचनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और तटों को मजबूत करने का कार्य अप्रैल, 1971 में हाथ में ले लिया जाएगा।

भारत-नेपाल व्यापार वार्ता

90 श्री भोगेन्द्र झा :

श्री पी० के० देव :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर-नवम्बर, 1970 में वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो जाने के बाद से व्यापार तथा पारगमन सम्बन्धी करार की अवधि बढ़ाने के लिए नेपाल सरकार से पुनः वार्ता आरम्भ करने का कोई नया प्रयास नहीं किया गया हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) : 2 दिसम्बर, 1970 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 452 के उत्तर में मैंने यह बताया था कि नेपाल के महामहित की सरकार के अधिकारियों का एक दल 13 नवम्बर, 1970 को नई दिल्ली आया था और उसने दोनों देशों के बीच नई व्यापार तथा परिवहन सन्धि करने के लिए 14 से 26 नवम्बर, 1970 तक भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की। पारस्परिक व्यापार तथा परिवहन सुविधाओं सम्बन्धित मामलों पर सम्मत सूत्र तैयार करने के सम्बन्ध में काफी प्रगति कर ली गई है। फिर भी, इनमें से कतिपय मामलों के सम्बन्ध में अभी समाधान ढूंढे जाने हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में सम्मत सूत्र तैयार करने के लिए 10 तथा 11 दिसम्बर, 1970 को आगे बातचीत के दौर का आयोजन किया गया है।

इस बीच, यह स्वीकार कर लिया गया है कि पारस्परिक व्यापार तथा परिवहन सुविधाओं से सम्बन्धित विद्यमान व्यवसाओं की अवधि 31 दिसम्बर, 1970 तक और बढ़ा दी जायेगी।

2. भारतीय और नेपाली प्रतिनिधिमण्डलों के बीच 11 दिसम्बर, से वार्ताएं पुनः शुरू हुई तथा एक लघु अन्तराल को छोड़कर जबकि दोनों प्रतिनिधिमंडलों के नेता एशियाई मन्त्रि-परिषद की बैठक के सम्बन्ध में बाहर गये थे, यह बातचीत और 27 दिसम्बर तक चली।

3. 28 दिसम्बर, 1970 को प्रातः जब नेपाली प्रतिनिधिमण्डल के नेता यहां से गये तो ऐसी आशा थी कि नेपाल के महामहिम की सरकार 31 दिसम्बर, 1970 से पूर्व ही इस सम्बन्ध में समाधान ढूंढने के लिए शेष मामले पर आगे विचार करेगी।

4. परन्तु भारत सरकार को इस पर आश्चर्य हुआ जब 28 दिसम्बर, 1970 को काठमांडू से यह ऐलान किया गया कि भारत और नेपाल के बीच वार्ताएं असफल रही हैं। यह सुनकर मैंने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :

> "भारत सरकार को यह आशा थी कि 31 दिसम्बर, 1970 को विद्यमान व्यवस्था की समाप्ति से पूर्व ही शेष मामलों के हल ढूंढ लिये जा सकेंगे। भारत सरकार ने 1965 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संगत

उपबन्धों के अनुसार भुवेष्ठित नेपाल को परिवहन सुविधाओं की पेशकश की है ताकि नेपाल अन्य देशों के साथ अपने व्यापार के लिए समुद्र तक आ जा सके।

वर्तमान रेल मार्ग के अतिरिक्त परस्पर मान्य सड़क मार्ग के लिए भी व्यवस्था होगी।

कलकत्ता के पत्तन पर वर्तमान 15,000 वर्ग फुट के अच्छादित भांडागार स्थल के स्थान पर लगभग 1,75,000 वर्ग फुट स्थल पूर्णतः नेपाल के उपयोग के लिए छोड़ना स्वीकार कर लिया गया है।

नेपाल को उसके औद्योगिक विकास में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने बदले में अधिमान की अपेक्षा किए बिना अनन्य टैरिफ अधिमानों की पेशकश की है। सामान्यतः नेपाल से मूल उत्पादों और नेपाल और भारतीय कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के आयातों के सीमा शुल्कों के अथवा परिमाण सम्बन्धी प्रतिवन्धों के बिना निर्वाध प्रवेश की भी व्यवस्था होगी। अन्य निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में भी विशेष रूप में अनुकूल व्यवहार प्रदान किया जायेगा।

नेपाल को आवश्यक संभरण बनाये रखने के बारे में और व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी व्यवस्थाओं के बारे में किसी भी प्रकार की निश्चितता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 1971 से नयी सन्धि किये जाने तक निम्नलिखित सुविधायें एकपक्षीय रूप में प्रदान की जायेंगी :

(1) भारत द्वारा नेपाल को निर्यातों की पहले के समान अनुमति होगी और दुग्ध, नमक, चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल तथा दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति जारी रखेगा।

(2) नेपाल से प्राथमिक उत्पादों के आयात, आधार भूत सीमाशुल्कों से मुक्त तथा मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों से मुक्त, जैसा कि अब तक है, जारी रहेंगे; और

(3) अन्य देशों से नेपाल के व्यापार के लिए समुद्र तक मार्ग दिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए सुविधाएं,

(क) अन्य देशों को भेजे जाने वाले नेपाल उद्भव के माल;

(ख) अन्य देशों से नेपाल में उपयोग के लिए आयातित माल का।"

5. कलकत्ता तथा नेपाल के बीच अनुमोदित भाग से परिवहन करने के लिए, दी जाती हैं। भारत सरकार ने 31 दिसम्बर, 1971 की रात्रि तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। इसके बाद नेपाल के महामहिम की सरकार से कोई प्रस्ताव न मिलने पर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किए गये, कि न केवल आवश्यक वस्तुओं का संभरण ही जारी रहेगा, अपितु, नेपाल का व्यापार भारत तथा अन्य देशों से बना रहेगा।

6. तदनुसार, 1 जनवरी, 1971 से नमक, चीनी, कपड़ा, सीमेंट, कोयला तथा तारकोल भेषज तथा दवाइयां, दूध तथा दूध से बना माल, वनस्पति तेल, (गोले के तेल को छोड़कर), दलहन (मसूर की दाल को छोडकर) बिनौले तथा पशु, भेड़ और बकरियां ये सब इन सैकड़ों वस्तुओं में से है किसी के लिए प्रतिबन्ध मुक्त निर्यातों की अनुमति है और नेपाल को जिनके निर्यात

के लिए निर्यात लाइसेंस की इस समय आवश्यकता नही है ।

7. पैट्रोल, मिट्टी का तेल, तम्बाकू तथा तम्बू का कपड़ा, ट्रेक्टर, टायर तथा ट्यूबें और लोहा तथा इस्पात जैसी वस्तुओं का जो निर्यात व्यापार नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं, 31 दिसम्बर, 1970 से पहले लागू क्रियाविधि के अनुसार, निर्यात करने की अनुमति है । अपने देश में कमी को पूरा करने के लिए इन अनेक मदों के आयात के लिए भारत को दुर्लभ विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है । फिर भी नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सद्भावना पूर्ण घनिष्ट सम्बन्धों को बनाए रखने तथा सुदृढ़ रखने की इच्छा से भारत सरकार इन वस्तुओं की पूर्ववत सप्लाई जारी रख रही है ।

8. नेपाल से समस्त मूल उत्पादों, जिनमें कृष्य, बागवानी सम्बन्धी, वन सम्बन्धी, खनिज तथा पशु उत्पाद, आयुर्वेदिक तथा जड़ीबूटी सम्बन्धी उत्पादित दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं, के आयात आधारभूत सीमाशुल्कों तथा परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के बिना करने दिए जाते हैं ।

9. नेपाल में निर्मित अन्य वस्तुओं का आयात भी, अन्य मित्र पड़ौसी देशों से वैसी ही वस्तुओं के आयातों पर प्रायः लागू आयात व्यापार नियंत्रण तथा सीमाशुल्क विनिमयों के अनुसार करने दिए जाते हैं ।

10. अन्य देशों के साथ नेपाल के व्यापार के लिए सुविधाएं देना जारी है । ये सुविधाएं :-

(क) अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले नेपाली उद्भव के माल; और

(ख) अन्य देशों से नेपाल में उपयोग के लिए आयातित माल का कलकत्ता तथा नेपाल के बीच अनुमोदित मार्ग से परिवहन करने के लिए दी जाती हैं ।

11. नेपाल के एक भाग से दूसरे भाग को भारतीय राज्य क्षेत्र में से माल ले जाने के लिए भी सुविधायें देना जारी है ।

12. भारत में तैयार किये गए और नेपाल को निर्यातित माल पर भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए उत्पादन शुल्कों की प्रतिपूर्ति पारस्परिक समझौते के अनुसार नेपाल के महामहिम की सरकार को कर दी जाएगी ।

13. महाराजा तथा राजपरिवार के सदस्यों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आयातित माल को छोड़कर अन्य सब माल पर, कलकत्ता पतन आयात के विनियमों के अनुसार किराया लिया जाता है ।

14. भारत के साथ व्यापार के विषय में नेपाल ने आयात तथा निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया है और यह पता लगा है कि नेपाल से भारत को परम्परागत वस्तुओं, जैसे कि गोल पत्थरों, इमारती लकड़ी, चमड़े, पटसन तथा पटसन माल, और सरसों का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती है । भारत से जाने वाली वस्तुओं जैसे कि श्रृंगार सामग्री, इत्र, वस्त्र, सिले सिलाये कपड़े, होजरी के सामान, चीनी और चीनी के उत्पादों के विषय में यह समाचार मिला है कि ये वस्तुएं सीमा पर रोक ली गई है, जबकि इसी प्रकार की वस्तुओं का अन्य देशों से नेपाल में आयात जारी है ।

15. हाल ही में, नेपाल के उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय ने यह सुझाव दिया है कि

दोनों सरकारों के अधिकारी शेष मामलों पर बातचीत करके इन्हें तय करने के लिए बैठक करें। मैंने अपने उत्तर में इस प्रस्ताव का स्वागत किया है कि अधिकारियों को शेष मामलों पर बातचीत करके तय करना चाहिए ताकि व्यापार तथा परिवहन की एक नई सन्धि सम्पन्न हो सके। मेरी यह हार्दिक आशा है कि शीघ्र ही कोई ऐसा समझौता हो जायेगा जिससे भारत तथा नेपाल के बीच विद्यमान घनिष्ट आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध और भी सुदृढ़ होंगे।

चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राज्यों में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्ति

91. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **ग्रह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत लोक सभा के चुनाव प्रचार के दौरान, नामांकन पत्र भरने की तिथि से लेकर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हुए; और

(ख) इन राज्यों में दल-वार कितने लोग इन दुर्घटनाओं के शिकार हुए तथा कितने लोग अपराधी पाए गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणु शक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मन्त्री : (**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**) (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित हाल के चुनावों में राज्यवार हिंसक घटनाओं में मारे गये तथा जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। ऐसी घटनाओं में पीड़ित तथा अभियुक्त व्यक्तियों के दलगत सम्बन्धों के बारे में राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	हाल के चुनावों के सम्बन्ध में हिंसा की घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों की संख्या	हाल के चुनावों के सम्बन्ध में हिंसा की घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	113
2.	असम	2	3
3.	बिहार	5	199
4.	गुजरात	2	68
5.	हरियाणा	—	4
6.	जम्मू और काश्मीर	—	6
7.	केरल	3	212
8.	मध्य प्रदेश	1	44
9.	महाराष्ट्र	—	147
10.	मैसूर	—	102

1	2	3	4
11.	नागालैंड	—	2
12.	उड़ीसा	—	10
13.	पंजाब	1	4
14.	राजस्थान	—	18
15.	तमिल नाडु	5	589
16.	उत्तर प्रदेश	15	174
17.	पश्चिमी बगाल	223	629
18.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	2
19.	चण्डीगढ़	—	1
20.	दिल्ली	—	8
21.	पांडिचेरी	—	1
22.	त्रिपुरा	—	6

हिमाचल प्रदेश, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीव द्वीपसमूह और मनीपुर में न तो कोइ व्यक्ति मारा गया और न जख्मी हुआ।

Decline in India's Foreign Trade

92. **Shri Gyneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the extent to which the target of increasing foreign trade by 7 per cent during the Fourth Five Year Plan has been achieved; and

(b) whether the foreign trade, particularly traditional trade, has registered a decrease during the last two years and, if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) During the first year of the Fourth Plan 1969-70, a growth rate of 4.1% was achieved over 1968-69 and during the first 9 months of the 2nd year of the Fourth Plan April 1970 to December, 1970 (based on provisional estimates for November and December) the exports show a growth rate of 5.2% over the corresponding period of 1969-70.

(b) The exports of traditional items at Rs.747.52 crores during 1969-70 were lower by Rs. 23.12 crores or 3% as compared to 1968-69. Exports of these traditional items during the first six months (April-September) of the current financial year at Rs. 379.92 crores were lower by Rs. 32.69 crores or 7.9% as compared to April-September 1969. The principal items responsible for the decline were jute manufactures, Tea and hides and skin raw.

Proposal are under consideration to set up a "Tea Corporation" for producing and marketing packaged Indian teas in overseas markets. A "Jute Corporation" has been set up to handle the import of raw jute when necessary to operate a buffer stock program, carry out price support operations, and to handle the export of jute goods. To ensure raw material supplies, Cotton Corporation and Cashew Corporation have also been set up. Modernisation programme is under way in cotton and jute textile industries. The Government has spelt out the steps taken by them in the sphere of export promotion in the Export Policy Resolution in detail.

मधोलकर आयोग के प्रतिवेदन पर बाद की कार्यवाही

93. **श्री पी० के० देव :**

श्री सुरेन्द्र महन्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्यां उड़ीसा में डा० एच० के० महताब के विरुद्ध मधोलकर आयोग के प्रतिवेदन पर बाद की कार्यवाही रोक दी गई है और सरजू प्रसाद आयोग को काम करने नहीं दिया जा रहा, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है: —

श्री मधोलकर ने 26 सितम्बर, 1968 को अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश किया। डाक्टर महताब ने 23 अक्तूबर, 1968 को उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक लेख्य याचिका दाखिल की जिसमें उच्च न्यायालय ने लेख्य याचिकाओं के निपटारा होने तक राज्य सरकार को प्रतिवेदन के प्रकाशित न करने के लिए एक व्यादेश जारी किया। लेख्य 23 सितम्बर, 1970 को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायलय के व्यादेश को ध्यान मे रखते हुए लेख्य याचिका का निपटारा होने से पूर्व बाद की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

तब से सरकार ने डाक्टर महताब के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है, जैसे कि न्यायाधीश मधोलकर ने सिफारिश की थी। सरजू प्रसाद आयोग ने 17 फरवरी, 1971 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

Reorganisation of Planning Commission

94. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to change the priorities and strategy of the Fourth Five Year Plan;

(b) whether some suggestions with regard to the reorganization of the Planning Commission have also been received; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the proposed change in the draft Fourth Five Year Plan and the nature of the reorganization of the Planning Commission ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs, Minister of Planning and Minister of Information and Broadcasting : (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). As indicated in the President's Address to Parliment, "the Government will soon frame specific policies progarmmes arising out of the mandate of the electorate. A mid-term appracial of the Fourth Plan will be made. This appraisal will enable us to review and reorient the plan in order to increase the pace and affective use of investment in the economy. As part of this exercise, government will also identify the specific directions in the which developmental programmes could be further reinforced in a determined effort to deal with the problem of unemployment."

The reconstitution of the planning commission is under consideration.

Recommendation for changing names of Patna Junction and Patna City Station

95 **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in 1967 the S. V. D. Government, headed by Shri Mahamaya Prasad Sinha, made recommendation for changing the names of Patna Junction to Patliputra and Patna City station to Patna Sahib;

(b) whether the Railway Ministry had approved of the aforesaid recommendation of the Bihar Government;

(c) whether the said recommendation is under consideration of the Ministry of Home Affairs for final decision for the last several years;

(d) if so, the reasons for this in ordinate delay; and

(e) the time by which government propose to take a final decision in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) A proposal to this effect was received from the Government of Bihar in January, 1968. They had also suggested that towns Patna and Patna City should be renamed as "Patliputra."

(b) to (e). The Railway Ministry had no objection to the change in the names of the Railway Stations. The matter was, however, remitted to the State Government on 29th, August, 1968 to clarify their proposal to give the same name to Patna and Patna City which were stated to be two areas at a distance of about seven miles from each other. There was no reply from the State Government despite reminders. Government have therefore, treated the matter as closed.

Grant For Gandak Project (Bihar)

96. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state;

(a) whether Government headed by Shri Daroga Prasad Rai in Bihar had sought for a grant of Rs. 8 crores for the Gandak Porject;

(b) if so, whether Government have some time back sanctioned a grant of Rs. 4 crores to the Government of Bihar to implement the Gandak Project; and

(c) if so, the details of the works to be completed out of the said amount and the action so far taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power : (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The Government of Bihar, had in August, 1970 made a request for a special Central assistance of Rs. 4 crores, outside the State Plan ceiling, for the Gandak Project, in addition to Rs. 14 crores provided in the State Annual Plan. The request was examined and it was not found possible to accede to the request owing to the difficult resources position of the Central Government. A special short-term loan of Rs. 3·11 crores was, however, given to the Government of Bihar to enable them to clear arrears of their share of cost in common works of Gandak Project done by the Government of Uttar Pradesh so that the tempo of work on the Western Main Canal in U.P. which would serve Saran district of Bihar could be maintained.

Use of Lethal Weapons for Terrorising Voters in Bihar

97. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether during the last midterm elections to Lok Sabha, bombs, pistols, guns and other lethal weapons were used on a large scale to terrorise the voters in the various districts of Bihar;

(b) if so, whether government have asked or propose to ask the Government of Bihar to conduct necessary inquiry in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronics, Department of Atomic Energy and Deptt. of Science and Technology : (Shri Krishna Chandra Pant) : (a) to (c) The Government of Bihar have been requested to furnish information.

Violent Incidents in West Bengal

98. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of violent incidents which took place in west Bengal during the last eight months;

(b) the quantum of ammunition recovered from the naxalites and other miscreants during the said period;

(c) the total number of persons killed and the number of rioters arrested; and

(d) the number of political persons out of those killed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minisier of State, Deptt. of Electronics, Deptt. of Atomic Energy and Deptt. of Science and Technololy (Shri Krishna Chandra Pant) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the house.

Dacoit Infected Area of Ravine Land in Madhya Pradesh

99. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have any information regarding the area of revine land in Bhind, Morena, Gwalior and Shivpuri in Madhya Pradesh which serve as dacoits hideouts;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Central and State Governments have under consideration any scheme to convert this area into agricultural land in order to free it from the decoits menace; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Deptt. of Electronics, Deptt. of Atomic Energy and Deptt. of Science and Technology : (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The ravine land along the river Chambal and its tributaries is estimated to cover approximately 2.43 lakh hectares located mostly in the districts of Gwalior, Bhind and Morena. Some of these very deep and medium deep ravines found mostly along the main Chambal river often serve as hideouts of decoits.

(c) and (d). The ravine lands are potentially usable once they are reclaimed. They can be used for agriculture, grassland development and afforestation. A centrally sponsored Pilot Project has been taken up in the district of Morena over an area of 2,000 hectares with an outlay of Rs. 50 lakhs, in order to estabish the economic and technical feasibility of ravine reclamation.

तामिलनाडु में आयात लाइसेंसों के बारे में घोटाला

100. डा० कर्णीसिंह : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में अनेक फर्मों को, जिनमें से कुछ कथित रूप से अस्तित्व में भी नहीं हैं, 26 लाख रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच विभाग की इस मामले में क्या उपपत्तियां हैं; और

(घ) जाली फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस समय उन 24 मामलों की जांच कर रहा है जहां ऐसी फर्मों द्वारा आयात लाइसेंस प्राप्त कर लिए गये हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि वे सम्यक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। चूंकि मामले की जांच अभी चल रही है अतः इस अवस्था में कोई जानकारी प्रकट करना लोकहित में वाँछनीय नहीं होगा। आगे की कार्यवाही जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी।

देश में राजनीतिक हत्यायें

101. डा० कर्णीसिंह : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में अनेक राजनीतिक हत्याये हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार तथा राज्य-वार इस प्रकार की कितनी हत्यायें हुई हैं; और

(ग) देश में राजनीतिक हत्याओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें सभी विशिष्ट मामलों में शीघ्र, तत्काल तथा पूरी जांच-पड़ताल करती हैं ताकि ऐसे अमानुषिक अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकारों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए सभी सम्भव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 1968 में राजनैतिक हत्याओं की संख्या इस प्रकार थी :

आन्ध्र प्रदेश	11
केरल	6
महाराष्ट्र	1
मैसूर	1
पश्चिम बंगाल	11
शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शून्य

1969 वर्ष के लिए और 1970 के प्रथम दस महीनों के लिए पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित सूचना के बारे में दिनांक 9 दिसम्बर, 1970 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 617 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1970 में जम्मू व काश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, दमन व दीव, मनीपुर, लक्कादीव, मिनीकाय तथा अमिनदीव द्वीप समूह, नेफा और चण्डीगढ़ में कोई राजनैतिक हत्याएं नहीं हुई हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

भारत में बड़ी संख्या में हिप्पियों का आगमन

102. श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में हिप्पियों के आगमन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके आगमन को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). हिप्पी शब्द की परिभाषा कठिन होने के कारण ऐसे विदेशियों के आने तथा उनके यहां रहने के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि ऐसे विदेशियों के भारत में प्रवेश करने तथा उनके यहां ठहरने को परिसीमित करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं जिनके नशीली वस्तुओं, अशिष्ट व्यवहार, आवारा-गर्दी, भिक्षावृति आदि में ग्रस्त होने के कारण समाज के लिए अनिष्टकर होने की सम्भावनायें हैं।

नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस द्वारा अतिक्रमण

103. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवसागर जिले में "फारेस्ट रिजर्व आफ आसाम" में नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस के अतिक्रमण को रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तथाकथित विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख). नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस द्वारा असम क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त हुई हैं। हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया था कि भारत सरकार इस समस्या को हल करने के प्रश्न पर प्रभावशाली रूप से विचार कर रही है और फिलहाल सीमान्त क्षेत्रों में पूर्व स्थिति बनाये रखी जानी चाहिए।

Delay in Completion of Rajasthan Canal Project

104. Shri Shivnath Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the year in which the construction of the Rajasthan Canal was started and the targets fixed for its completion;

(b) whether Government propose to include the Rajasthan Canal Project in

Centrally sponsored projects for ensuring early completion of the same; and

(c) whether there has been unnecessary delay in the completion of this Project due to limited resources of Rajasthan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The work on the Rajasthan Canal was started in May 1958. Stage–I of the Project was originally proposed to be completed by 1968–69 and Stage–II by 1977–78. Now, according to the present indications, Stage–I of the Project is likely to be substantially completed by 1973–74 and Stage–II in subsequent Plans.

(b) The question of taking over major irrigation projects like the Rajasthan Canal Project, by the Centre had been examined by the National Development Council and taking into consideration all the relevant factors, it was decided that these projects should continue to form part of the State Plans. However, all efforts are being made to provide optimum funds for the early completion of the Project consistent with the available resources,

(c) No, Sir.

Electricity Generating Capacity of Rajasthan

105. Shri Shivnath Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the target of electricity generation fixed for Rajasthan by the end of 1970 according to the Plan and the electricity actually generated;

(b) the schemes under consideration of Government for generating electricity and expansion of generating capacity keeping in view the development of agriculture in Rajasthan; and

(c) The time by which they are likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrgation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A target of electricity generation for the year 1970–71 was planned at 1285 million kwh. According to the latest anticipation, the generation will be 1170 million kwh.

(b) : The additional power generation schemes taken up for execution are :

	Name of Scheme	Capacity	Rajasthan's share
(i)	Jawahar Sagar H.E.Scheme (50 o/o share)	3x33 MW	49·5 MW
(ii)	Ranapratapsagar Atomic Power Station.	2x200 MW	400 MW
(iii)	Beas Unit I (Dehar)	4x165 MW	100 MW
(iv)	Beas Unit II (Pong Dam)	4x60 MW	140 MW

(c) Jawahar Sagar Hydro Electric Scheme is expected to be completed in 1972. The first unit of 200 MW at the Ranapratapsagar Atomic Power Station is expected to be commissioned in 1972; followed by the 2nd unit in 1974. All the remaining units under Beas I and Beas II are likely to be commissioned in the Fifth Plan.

In addition to the above, the State Electricity Board has proposed implementation of the following Schemes :

1. Palana Thermal Station (2x25 MW)
2. Sawai Madhopur Thermal Station (3x62·5 MW).

These schemes are under technical examination.

विद्युत सप्लाई में पड़ने वाली बाधाओं को कम करने के लिए वोल्टेज का विनियमन

106. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वोल्टेज का विनियमन करने तथा विद्युत सप्लाई में पड़ने वाली बाधाओं को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या गत 70 वर्षों में सपूर्ण विश्व मे विद्युत उत्पन्न करने की लागत तथा लोगों से ली जाने वाली दरों में निरन्तर कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि के अनुपात से विद्युत की लागत को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सारे देश में ग्रिड-प्रणाली के विकास और बढ़ीकरण पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है।

तकनीकी में हुए विकास का लाभ निरन्तर उठाया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और विद्युत प्रणालियों के आयोजन अधिकल्पन तथा रख-रखाव में परिष्कृत चीजें लाई जा रही हैं : ये हैं

(1) उच्च गति स्विचगीयरों और रिलेज का प्रयोग।

(2) उप-केन्द्रों और परिषण पथों के लिए प्रकाश के प्रति पर्याप्त संरक्षण।

(3) शेट केपेसिटरों और समक्रमिक कन्डेन्सरों का प्रयोग।

(4) उत्पादन केन्द्रों पर द्रत उपक्रिया अर्पण।

(5) परिषण पथों का सक्रिय पथ रख-रखाव।

(6) परिषण प्रणाली और उत्पादन संयंत्र के क्रमिक रख-रखाव की सारणी।

(7) घने शहरी इलाकों में भूमस केबलों का प्रयोग।

(8) ग्रामीण फीडरों की अधिकतम 30 से 40 किलो मीटर तक लम्बाई और एम० वी० ए० तक भार वाहन क्षमता को सीमित करना।

(9) विद्युत केन्द्रों और पारेज पथों के सक्रिय पथ रख-रखाव के लिए प्रचालव कर्मकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध।

एक समिति : ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था की सप्लाई से सम्बन्धित समस्याओं का राज्य विद्युत बोर्डों के साथ सलाह करके विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रही है। भारत सरकार ने 1969 में एक विद्युत व्यवस्था समिति की स्थापना की थी। जिसमें भारत के उच्चकोटि के विशेषज्ञ और कुछ विदेशी विशेषज्ञ शामिल थे। इस समिति ने देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत सप्लाई सम्बन्धीं स्थितियों का पुनरविलोकन करना था। जिसमें विश्वसनीयता, वोल्टता सम्बन्धी उतार-चढ़ाब शामिल था। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) विद्युत उत्पादन की लागत और विद्युत विक्रय की सर्वांगीण दरें अमरीका और कनाडा में कई वर्षों के दौरान धीरे-धीरे कम होने की रिपोर्ट मिली है। बहरहाल, इंग्लैंड में

विद्युत की लागत द्वितीय विश्व युद्ध से बढ़ रही है। बहुत बड़े और तकनीकी तौर पर सुदक्ष संयंत्रों के प्रतिष्ठापन से 1968-69 से दरों में वृद्धि रुक गई है। भारत में भी विद्युत उत्पादन और सप्लाई की लागत उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

(ग) विद्युत की लागत को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं।

(i) जहां भी सम्भव हो सके बृहदाकार उत्पादन यूनिटों और इ० एच० वी० परेषण पथों का प्रतिष्ठापन।

(ii) प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में ग्रिड-प्रणाली का विकास जिससे विभिन्न विद्युत प्रणालियों का सांकेतिक प्रचालन संभव हो जाए।

(iii) उपलब्ध जल विद्युत, साफ और परमाणु उत्पादन संयत्रों के प्रचालन का बेहतर समन्वय।

भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित विद्युत व्यवस्था समिति में जिसका उद्देश्य भारत में विद्युत सप्लाई के तकनीकी आर्थिक पहलुओं का पुनरावलोकन करना था, समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है और उनकी रिपोर्ट के शीघ्र मिलने की सम्भावना है।

देशी निर्माताओं से कहा जा रहा है कि आपेक्षित बृहदाकार उत्पादन यूनिटों का निर्माण करें।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की तुलना में विद्युत संयत्रों की सप्लाई में विलम्ब

107. श्री डी० डी० देसाई : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इलैक्ट्रिकल मशीनरी तथा इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग बढ़ी हुई वार्षिक 30 लाख किलोवाट क्षमता के लिए विद्युत ट्रांसमिशन, वितरण तथा उपयोगिता सम्बन्धी उपकरण आदि सप्लाई करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है;

(ख) विद्युत उत्पन्न करने संबंधी परियोजनाओं को चालू करने संबंधी समयसारिणी की तुलना में अधिशाषित विद्युत जनन क्षमता में हुई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना चालू करने सम्बन्धी लक्ष्यों तथा सप्लाई करने वालों द्वारा क्रेताओं को संयंत्र सप्लाई करने सम्बन्धी बातों की तुलना में विद्युत संयंत्रों की सप्लाई में कितना विलम्ब हुआ है और गत तीस वर्षों में प्रत्येक विद्युत उत्पन्न करने संबंधी संयत्र के सम्बन्ध में वास्तव मे कितना विलम्ब हुआ ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री श्री (सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1968 में किए गए मूल्यांकन से पता चला था कि विद्युत परेषण, वितरण और समुपयोजन उपस्कर, इत्यादि के लिए देशी उत्पादन क्षमता 25 लाख किलोवाट की प्रतिष्ठित विद्युत उत्पादन क्षमता में वार्षिक वृद्धि के लिए विद्यमान थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में 92 लाख किलोवाट की (जिसमें से 49 लाख किलोवाट देशी उत्पादकों द्वारा सप्लाई किया जाना है) विद्युत-उत्पादन क्षमता की वृद्धि परिकल्पित है जो कि 18 लाख किलोवाट की औसत वार्षिक वृद्धि के बराबर होगी।

(ख) और (ग). यह मूल्यांकन किया गया है कि चौथी योजना के दौरान बिजली घरों

के चालू करने में 18 लाख किलोवाट की कमी होगी जिसमें से 7 लाख किलोवाट उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में है जो आयातित विद्युत-उत्पादन संयंत्र और उपस्कर से सम्बन्ध है और शेष 11 लाख किलोवाट उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में है जो देशी विद्युत-उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर से जुड़ी है। पहली वाली कोटि में परियोजनाओं के चालू करने में जो देरियां हुई हैं वे विद्युत-उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर की डिलीवरी में देरी के कारण नहीं हुई हैं। दूसरी वाली कोटि में 11 लाख किलोवाट में से, लगभग 7·6 लाख किलोवाट तो उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में है जहां देशी विद्युत-उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर इतनी जल्दी नहीं दिए जा सकते कि परियोजनाओं को चौथी योजना के अन्त तक चालू किया जा सके। शेष 3·4 लाख किलोवाट निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में है जहां पर डिलीवरी की अनुसूचियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न लिखित तालिका के अनुसार बढ़ा दिया गया है :—

परियोजना का नाम		क्षमता	स्थगन अवधि लगभग
वैतरणा जल-विद्युत		60 मेगावाट	3 मास
कोयला जल-विद्युत		80 मेगावाट	18 मास
बेरा सियुल	(i)	66 मेगावाट	3 मास
	(ii)	66 मेगावाट	3 मास
	(iii)	66 मेगावाट	6 मास

डिलिवरी की तारीखों में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि कमी को यथासम्भव दूर किया जा सके।

पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता और 24 परगना जिले में चुनाव से पूर्व धर-पकड़ की कार्यवाही

108. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में 1971 के मध्यावधि चुनाव से पूर्व कलकत्ता शहर तथा 24 परगना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सेना की सहायता से बड़े पैमाने पर धर-पकड़ की कार्यवाही की गई थी;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप निर्दोष लोगों को परेशान और गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या उक्त कार्यवाहियों के कारण व्यापक आतंक फैल गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इससे पश्चिम बंगाल में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावों में कितनी बाधा पड़ी और इससे श्री जगजीवनराम की अध्यक्षता वाली कांग्रेस को कितना लाभ हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और इलैक्ट्रोनिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार की धर-पकड़ की कार्यवाहियाँ राज्य के विभिन भागों में की गई। इन कार्यवाहियों के दौरान अवैध रूप से रखे गये हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटक

पदार्थ पकड़े गये तथा उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया जिनकी विशिष्ट मामलों में आवश्यकता थी। हो सकता है कि क्षेत्रों का घेरा डालने के कारण कुछ असुविधा हुई हो, किन्तु इन कार्यवाहियों में निर्दोष नागरिकों को परेशान नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी बंगाल की हाल की घटनाओं के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : RECENT DEVELOPMENTS IN EAST BENGAL

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले की ध्यान दिलाने वाली सूचना को लिया जाये प्रधानमंत्री बंगला देश के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत करेंगी। इस पर सभा में चर्चा नहीं होगी।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, योजना मन्त्री तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पूर्वी बंगाल के हमारे बहादुर पड़ोसियों पर, चुनाव में उनकी भारी बहुमत से विजय के तुरन्त पश्चात् जो आपत्ति आई है उसके और उनकी सुन्दर भूमि की बरबादी के बारे में गहरी चिन्ता है। मैं एक संकल्प, जिस पर विरोधी दलों के नेताओं से कल चर्चा हुई थी और मुझे प्रसन्नता है कि जिसको सर्वसम्मति समर्थन प्राप्त हो गया था, प्रस्तुत करती हूँ :

"यह सभा पूर्वी बंगाल की हाल की घटनाओं पर गहरा दुःख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है। पूर्वी बंगाल की सारी जनता की इच्छओं और आकांक्षाओं को दबाने की दृष्टि से वहां संपूर्ण जनता के विरुद्ध पश्चिमी पाकिस्तान से भेजी गई सशस्त्र सेनाओं ने बड़े दल-बल से हमला किया है।

(2) यद्यपि पाकिस्तान की जनता ने दिसम्बर, 1970 में चुनाव द्वारा असंदिग्ध रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की थी, किन्तु पाकिस्तान की सरकार उसका सम्मान न करके जनता के आदेश की अवज्ञा करने पर तुली हुई है।

(3) पाकिस्तान सरकार ने न केवल वैध रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तांतरित करने से इन्कार कर दिया है बल्कि राष्ट्रीय असेम्बली को अपनी न्यायोचित तथा सार्वभौम भूमिका अपनाने से भी मनमाने ढंग से रोका है। पूर्वी बंगाल की जनता को संगीनों, मशीनगनों, टैंको, तोपों तथा विमानों के सहारे नग्न बल प्रयोग द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) भारत की सरकार तथा जनता सदा पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, सामान्य और भाई-चारे के सम्बन्ध रखने की कामना करती रही हैं और इसके लिये यत्नशील रही है किन्तु भारत की भौगोलिक स्थिति और इतिहास, संस्कृति और परम्परा के शताब्दियों, पुराने सम्बन्धों से इस उपमहाद्वीप की जनता के आबद्ध होने के कारण यह सभा अपनी सीमा के इतने निकट

घटित हो रहे इस भयावह कांड के प्रति उदासीन नहीं रह सकती। इस समय वहां के निहत्थे तथा निरपराध लोगों पर जिस अभूतपूर्व पैमाने पर अत्याचार किये जा रहे हैं, उसकी हमारे देश में सर्वत्र जनता द्वारा असंदिग्ध शब्दों में निन्दा की गई है।

(5) यह सभा लोकतन्त्रात्मक जीवन पद्धति के लिये पूर्वी बंगाल की जनता द्वारा किये जा रहे संघर्ष के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और एकात्मकता व्यक्त करती है।

(6) शांति में निहित भारत के स्थायी हितों और मानव अधिकारों के समर्थन में और संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह सभा मांग करती है, कि बल प्रयोग का और संरक्षणहीन लोगों के व्यापक नरसंहार का तुरन्त अन्त किया जाये। यह सभा विश्व के सभी लोगों और सरकारों से अनुरोध करती है कि वे योजनाबद्ध नर संहार को, जो जाति विनाश के समान है, तुरन्त समाप्त करने हेतु पाकिस्तान सरकार पर दवाब डालने के लिए अविलम्ब और सक्रिय कदम उठाये।

(7) यह सभा पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है कि पूर्वी बंगाल के साढ़े सात करोड़ लोगों की इस ऐतिहासिक संघर्ष में विजय होगी। यह सभा उन्हें आश्वासन देना चाहती है कि उनके संघर्ष और बलिदान को भारत के लोगों की हार्दिक सहानुभूति और समर्थन प्राप्त है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(1) "यह सभा पूर्वी बंगाल की हाल की घटनाओं पर गहरा दुःख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती हैं। पूर्वी बंगाल की सारी जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को दबाने की दृष्टि से वहां संपूर्ण जनता के विरुद्ध पश्चिमी पाकिस्तान से भेजी गई सशस्त्र सेनाओं ने बड़े दल-बल से हमला किया है।

(2) यद्यपि पाकिस्तान की जनता ने दिसम्बर, 1970 में चुनाव द्वारा असंदिग्ध रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की थी, किन्तु पाकिस्तान की सरकार उसका सम्मान न करके जनता के आदेश की अवज्ञा करने पर तुली हुई है।

(3) पाकिस्तान सरकार ने न केवल वैध रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तांतरित करने से इन्कार कर दिया है बल्कि राष्ट्रीय असेम्बली को अपनी न्यायोचित तथा सार्वभौम भूमिका अपनाने से भी मनमाने ढंग से रोका है। पूर्वी बंगाल की जनता को संगीनों, मशीनगनों, टैंकों, तोपों तथा विमानों के सहारे नग्न बल प्रयोग द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) भारत की सरकार तथा जनता सदा पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, सामान्य और भाई चारे के सम्बन्ध रखने की कामना करती रही है और इसके लिए यत्नशील रही है किन्तु भारत की भौगोलिक स्थिति और इतिहास, संस्कृति और परम्परा के शताब्दियों पुराने संबंधों से इस महाद्वीप की जनता के आबद्ध होने के कारण यह सभा अपनी सीमा के इतने निकट घटित हो रहे इस भयावह कांड के प्रति उदासीन नहीं रह सकती। इस समय वहां के निहत्थे तथा निरपराध लोगों पर जिस अभूतपूर्व पैमाने पर अत्याचार किये जा रहे हैं, उसकी हमारे देश में सर्वत्र जनता द्वारा असंदिग्ध शब्दों में निन्दा की गई है।

(5) यह सभा लोकतन्त्रात्मक जीवन पद्धति के लिए पूर्वी बंगाल की जनता द्वारा किये जा रहे संघर्ष के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और एकात्मकता व्यक्त करती है।

(6) शांति में निहित भारत के स्थायी हितों और मानव अधिकारों के समर्थन में और संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह सभा मांग करती है कि बल प्रयोग का और संरक्षणहीन लोगों के व्यापक नरसंहार का तुरन्त अन्त किया जाये। यह सभा विश्व के सभी लोगों और सरकारों से अनुरोध करती है कि वे योजनाबद्ध नरसंहार को, जो जाति विनाश के समान है, तुरन्त समाप्त करने हेतु पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने के लिए अविलम्ब और सक्रिय कदम उठाये।

(7) यह सभा पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है कि पूर्वी बंगाल के साढ़े सात करोड़ लोगों की इस ऐतिहासिक संघर्ष में विजय होगी। यह सभा उन्हें आश्वासन देना चाहती है कि उनके संघर्ष और बलिदान को भारत के लोगों की हार्दिक सहानुभूति और समर्थन प्राप्त है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted Unanimously

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्वोत्तर रेलवें के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का समाचार

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I call the attention to the Minister of Railways to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereas.

"Reported strike by about 10,000 workers of the North Eastern Railway at Barauni and Garhara resulting in the cancellation of trains,"

रेलवे मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : पूर्वोत्तर रेलवे में गड़हरा और बरौनी स्टेशनों के रेल कर्मचारियों ने 25--3--1971 को लगभग 7-00 बजे से हड़ताल कर दी है। हड़ताल में शामिल रेल कर्मचारियों की संख्या लगभग 3,800 है। यह हड़ताल कानून या निर्धारित कार्यविधि के अनुसार संगत नहीं है। हड़ताल के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है। यह गैर कानूनी हड़ताल का एक स्पष्ट मामला है। लेकिन हड़ताल अभी जारी है यद्यपि आज इसका सातवां दिन है और बावजूद इसके कि प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को यह समझाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है कि वे अपनी ड्यूटी पर वापिस आ जायं।

इस हड़ताल से सरकार को हानि, जनता को असुविधा और मजदूरों को परेशानी हो रही है। प्रतिदिन 24 गाड़ियों का चलना रद्द करना पड़ा है। प्रतिदिन सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 4 500 है और प्रतिदिन भेजे जाने वाले माल की मात्रा 10,000 मीटरिक टन हैं।

केवल एक वारदात को छोड़कर हड़ताल शांतिपूर्ण रही है। लेकिन, यह आशंका है कि किसी भी समय स्थिति बिगड़ कर प्रदर्शनों या हिंसा का रूप धारण न कर ले। इसलिए दफा 144 लगायी गयी है और यह अभी लागू है। बिहार सरकार का आवश्यक सहयोग मांगा गया है।

हड़तालियों की मांग यह है कि उर्वरक कारखाने से 20 कि० मी० की दूरी के भीतर काम करने वाले लगभग 8,000 रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मन्जूर किया जाये। मुद्रा के रूप में यह रकम प्रति वर्ष लगभग 50 लाख रुपये होती है। यदि एक क्षेत्र में ऐसे भत्ते का भुगतान किया जाये तो इसके फलस्वरूप समूचे देश में ऐसी मांगों का तांता लग जायेगा।

जहां मकान, चिकित्सा, बाजार-हाट आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध नही होती वहां सार्वजनिक निगमों द्वारा इन सुविधाओं के अभाव की पूर्ति के लिए निर्माण कर्मचारियों को प्रतिपूरक परियोजना भत्ता दिया जाता है।

संयुक्त परामर्श तन्त्र प्रणाली के अधीन यह व्यवस्था हैं कि श्रमिकों और प्रशासन के बीच उनके वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में होने वाले मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाया जाय। संयुक्त परामर्श तन्त्र की बैठक में फरक्का बांध क्षेत्र और दण्डकारण्य क्षेत्रों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने की एक मांग इस आधार पर की गई थी कि यह भत्ता डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है। प्रत्येक मन्त्रालय, प्रदत्त अधिकारियों के अधीन, अपने कार्य-क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार परियोजना भता देने के सम्बन्ध में निर्णय करता है। यह तथ्य कि केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचरियों को परियोजना भत्ता दिया जाता है, सभी अन्य केन्द्रीय विभागों के लिए उनके कर्मचारियों पर लागू शर्तों तथा धन की उपलब्धता का ध्यान रखे बिना, बन्धनकारी नही माना जा सकता। श्रम संगठन के प्रतिनिधियों को यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। यह बताया गया था कि रेलें उन्ही स्थितियों में निर्माण भत्ता देती है जहां सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। चूंकि रेल कर्मचारियों को इस तरह का भत्ता देने की शर्तें इन मामलों में पूरी नहीं होती, इसलिए इस भत्ते की मन्जूरी नहीं दी जा सकी। चूंकि कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए यह मामला पंच फैसले के लिए भेज दिया गया। संयुक्त परामर्श तन्त्र के अधीन पंच फैसले का बोर्ड इसी मामले पर विचार कर रहा है।

जैसा कि मैंने लेखानुदान बजट पर अपने भाषण में बताया है, रेलों की वित्तीय स्थिति काफी घाटे में है। 1970-71 में 23.65 करोड़ रुपये का घाटा था जो 1971-72 में बढ़ कर 33.12 करोड़ रुपये हो गया।

यदि मांगों के अनुसार खर्च किया जाता है और तदनुरूपी उत्पादकता और आमदनी का ध्यान नहीं रखा जाता तो एक असम्भव स्थिति पैदा हो जायेगी।

दो फेडरेशनों अर्थात नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन और आल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के प्रतिनिधि फिर से सामान्य स्थिति लाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करने में प्रयत्नशील हैं। मंडल अधीक्षक, समस्तीपुर, मुख्य कार्मिक अधिकारी और रेलवे के अन्य अधिकारी मौके पर इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सम्बन्धित कर्मचारी काम पर लौट आयें।

Shri Bhogendra Jha : The Hon. Minister has given some facts but I repudiate some of them, we wrote a letter to the Hon. Minister warning him that there will be strike in the North East Railway soon. But the Hon. Minister did not even care to send a reply to our letter. I was hoping that the hon. Minister will do something to evert this strike.

The Ministery of Finance in 1960 issued orders to this effect that project allowance

will be given to wokrers whenever a new project is started. These order were revised in 1961.

The Post Master General of Bihar also issued necessary intructions on 19th December 1970 to this effect. The employees of the Fertiliser Corporation of India are also getting the project allowance.

The chairman of the Railway Board in his letter dated the 28th December, 1971 has said that I have been directed to intimate that the question of payment of project allowance of the Railway employees in the Farraka Barage Project area as well as in the Barauni area has been under consideration of the Railway and that the Railway Board have accepted in principle the grant of project allowance to such of the Railway staff as may be found eligible working in there area on the same terms and conditions on which the project allowance is being allowed to other Central Government employees.

The order should have been issued in a fortnight on the basis of this letter. But the authorities have now enforced section 144 I. P. C. I want to know whether these orders will be issued of an early date ?

श्री हनुमन्तैया : परियोजना भत्ता देने के बारे में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रश्न तो यह है कि क्या कोई कार्य विशेष परियोजना की परिभाषा के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं ? परियोजना का अर्थ है कि नये निर्माण कार्य का स्थान जहां पर मकान तथा शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। परन्तु इस मामले में रेलवे के कर्मचारियों को मकान, शिक्षा तथा यात्रा की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। ये लोग वास्तव में रख-रखाव का कार्य कर रहे हैं और उसके लिए भत्ते की मांग कर रहे हैं।

Shri Bhogendra Jha : The Hon. Minister is trying to misquote the order issued eleven years back. The project allowance is reduced by 20% at the places where housing facilities are made, available to the workers. This provision is also there in those orders. The Railway Board has taken a dicision in this regard. I want to know whether the project allowance will be given to these workers or not as is being given to the employees of the Post and Telegraph and Fertiliser Corporation of India.

श्री हनुमन्तैया : इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है। हमें उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री मतामुतु (नागापट्टिनम) : माननीय रेलवे मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह संतोषजनक नहीं है। अतः मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

मेरे विचार में मंगलौर पत्तन तथा तूतीकोरीन पत्तन परियोजना क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों तथा बरौनी क्षेत्र के डाक एवं तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जा रहा है, अतः मैं नहीं समझ सका कि बरौनी में रेलवे कर्मचारियों के साथ विभेद क्यों किया जा रहा है।

यदि मंगलौर पत्तन क्षेत्र में कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जा रहा है तो देश के दूसरे भाग अर्थात बरौनी क्षेत्र में इस सिद्धान्त को लागू न किये जाने के क्या कारण है ?

रेलवे बोर्ड ने परियोजना भत्ता देने की बात को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है। अतः उसको लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या रेलवे की हड़ताल को रोकने के लिए प्रशासन ने कोई कार्यवाही की है ? परियोजना भत्ते की मांग उचित है, कर्मचारियों के साथ इस बारे में कोई बात-चीत भी नहीं की गई है। अतः कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए बाध्य किया गया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि कर्मचारियों के नेताओं के साथ बातचीत कर इस मामले को हल करने के बजाय प्रशासन चुप क्यों साधे हुए है ?

श्री हनुमन्तैया : हम किसी के साथ विभेद करने के पक्ष में नहीं है। जिस स्थान पर आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं वहां पर परियोजना भत्ता दिया जाता है। परन्तु इस मामले में कर्मचारियों को ये सभी सुविधायें उपलब्ध हैं और वे इसके अतिरिक्त परियोजना भत्ता भी लेना चाहते हैं। वे दोहरा लाभ उठाना चाहते हैं। इससे अन्य क्षेत्रों के साथ विभेद होगा। अतः हम ऐसा नहीं चाहते।

वेतन अथवा मजरी ढांचे को भी युक्तियुक्त बनाना होगा। इस समय एक सेक्टर के कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है तो दूसरे सेक्टर के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है।

ये श्रमिक, जो लगभग 3800 हैं, गत चार वर्षों से इस परियोजना भत्ते की मांग कर रहे हैं। इसका तात्पर्य 1·60 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, क्या घाटे की अर्थ-व्यवस्था वाले इस बजट को देखते हुए इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना सम्भव है ? श्री भोगेन्द्र झा का कहना है कि यह तर्क पुराना है। हड़ताल करने वाला प्रत्येक संघ यह तर्क देता है कि हड़ताल से राष्ट्र की हानि होगी, अतः यह राशि हमें दे दी जाये, यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाये तो हर वार केवल एक वर्ग को कुछ धन देना होगा। यह बात स्वीकार्य नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने परियोजना भत्ते की संकल्पना को ठीक प्रकार से नहीं समझा है। उनका कहना है कि सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि परियोजना भत्ता दिया जाये अथवा नहीं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या विकासशील तथा रचनात्मक गतिविधियों के कारण बढ़ी हुई दर पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwaliar) : I would like to know whether Government of India have any uniform policy in regard to the payment of project allowance ? It is but natural that if P&T employees get project allowance in one sector, Railway employees working in that sector would also ask for it. In view of this will the hon. Minister place this matter before the cabinet ? It appears that Government do not feel the necessity of payment of project allowance. I want to ask that under what circumstances Railway Board had agreed that the question of payment of project allowance to the Railway employees in the Farraka Barrage Project area as well as in the Barauni area has been under the consideration of the Railway Board and that it has been agreed to in pricinple that this allowance may be given to such of the employees as may be found eligible on which project allowance is being allowed to other Central Government employees ? I want to know whether the position has been changed since then ?

श्री हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि इस सम्बन्ध में समान नीति होनी चाहिये। रेलवे बोर्ड के पत्र में जो कुछ लिखा है, वह सही है। उस पत्र में लिखा था कि यह मामला विचाराधीन है। उसमें यह भी लिखा था कि परियोजना भत्ते के लिये जो कर्मचारी पात्र समझे जायेंगे उन्हें यह भत्ता जरूर दिया जायेगा। पात्रता का प्रश्न विबादास्पद है।

अतः इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा गया है। दोनों पक्ष उनके समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे और उनका जो निर्णय होगा, हम स्वीकार कर लेंगे। यह मामला 'परियोजना भत्ता' और 'पात्रता' के अर्थ से सम्बन्धित है जो विवाचन मंडल के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में उनका जो निर्णय होगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस विवाद को सुलझाने के लिये मैं किसी भी स्थान एवं समय पर बातचीत करने के लिये तैयार हूँ।

श्री सरदीशराय (बोलपुर) : बात यह है कि बरौनी में कार्य करने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों को जब परियोजना भत्ता दिया जा रहा है तब वहीं पर कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों को यह भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या जो संघ हड़ताल करा रहे हैं, उन्हें मान्यता दी जायेगी।

श्री हनुमन्तैया : मैंने इन प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे दिया है। फिर भी इस मामले को सुलझाने के लिये मैं बातचीत करने के लिये तैयार हूँ।

श्री कल्याणसुन्दरम (तिरूचिरापल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कर्मचारी कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने उन्हें सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है परन्तु इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्होंने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पत्र को मुझे भेज सकते हैं। मैं इसको मंत्री महोदय को भेज दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1956 में प्रकाशित हुये थे।

(2) भारतीय वन सेवा (आरम्भिक भर्ती) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० नं० 1957 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (सेवा-मुक्त आपात कमीशन-प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन, विनियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1958 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2015 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2016 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2017 में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय पुलिस सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2018 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2020 में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का 16वां संशोधन, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2021 में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) विनियम, 1954 का 1970 का 17वां संशोधन, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2023 में प्रकाशित हुआ था।

(11) भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षाधीन अधिकारियों को अन्तर्मि परीक्षा) दूसरा संशोधन, विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2 में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) (संशोधन) नियम 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 49 में प्रकाशित हुए थे।

(13) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 135 में प्रकाशित हुए थे।

(14) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 136 में प्रकाशित हुए थे।

(15) जी० एस० आर० 137, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये भारतीय वन सेवा का एक राज्य संवर्ग गठित किया गया था।

(16) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 138 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 56/71)

टैरिफ आयोग अधिनियम

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) डाई इंटरमीडिएट्स इंडस्ट्री की अर्द्धवार्षिक समीक्षा (जनवरी-जून, 1969 और जुलाई-दिसम्बर, 1969) सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1970) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 14(5)-टार/69, दिनांक 25 फरवरी, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन सम्बन्धी सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। **(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 57/71)**

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 58/71)**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) भारत के राज्य व्यापार निगम का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 59/71)

(दो) (क) भारत के खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) भारत के खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 60/71)

हिमाचल प्रदेश राज्य (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या 1 आदि

गृह-कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक विभाग, अणुशक्ति विभाग और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश राज्य (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या 1 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एम०आर० 116 मे प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 61/71)

(2) विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 62/71)

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के र जपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1942 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 63/71)

(4) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2010 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 64/71)

(5) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1970 की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 1970 में अधिसूचना संख्या 11/एल० आर०ओ० (आर०)/1970 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 65/71)

(6) उपर्युक्त मद संख्या (3) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 66/71)

(7) बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत, बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा स्तम्भों का निरीक्षण) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि पत्र, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 291 (अंग्रेजी संस्करण) और 292 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 67/71)

कम्पनी अधिनियम के संचालन और प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

समवाय-कार्य मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत, 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के संचालन और प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 68/71)**

गन्ना उत्पादकों को देय के मूल्य की बकाया राशि के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ARREARS PAYABLE TO SUGARCANE GROWERS

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : कुछ माननीय सदस्यों ने 1970-71 मौसम हेतु चीनी कारखानों द्वारा उत्पादकों को देय गन्ने के मूल्य की काफी बकाया राशि पर चिंता प्रकट की है। 28 फरवरी, 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह में चीनी कारखानों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1970-71 में कारखानों द्वारा खरीदे गये गन्ने का कुल मूल्य 172·27 करोड़ रुपये था जिसमें से 117·82 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था और 54·45 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी है। यह राशि गन्ने के मूल्य की कुल देय राशि का 31·6 प्रतिशत है जो निस्संदेह बहुत बड़ी राशि है। 1969-70 मौसम में खरीदे गये गन्ने की बकाया राशि 28 फरवरी, 1971 को 4·31 करोड़ रुपये थी। यह राशि उस मौसम के लिए देय गन्ने के कुल मूल्य की 1·3 प्रतिशत बनती है। यदि महाराष्ट्र और गुजरात, जहां अधिकांश सहकारी कारखाने हैं और जहां सहकारी समितियों के उपमंत्री द्वारा भुगतान शासित होता है, के गन्ने को मूल्य की बकाया राशि शामिल नहीं की जाती है तो 1970-71 के गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि लगभग 41 करोड़ रुपये बैठेगी। इसके अलावा, जब चालू मौसम रहता है तब कारखाने गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिनों के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार लगभग 20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा होगा। यद्यपि भुगतान करने की बकाया राशि काफी अधिक है फिर भी इस संबंध में सरकार माननीय सदस्यों की चिंता को समझती है। यह चीनी कारखानों का कर्तव्य तथा दायित्व है कि वे गन्ने के मूल्य का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र अर्थात अधिक से अधिक पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर करें। भारत सरकार इस बात को गम्भीर मानती है कि चीनी कारखाने अपने इस प्रारम्भिक दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं।

राज्य सरकारों से बार-बार यह कहा गया है कि चूककर्ता कारखानों के विरुद्ध सख्त से सख्त और जहां कहीं आवश्यक हो, जोरदार उपाय करें, जिससे गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित हो सके। उनसे फिर कहा जा रहा कि वे वर्तमान असंतोषजनक स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त आवश्यक पग उठाएं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार कड़ी निगरानी रख रही है और जहां कहीं व्यवहार्य होगा वहां उत्पादकों के हित में ऐसे अन्य उपाय भी किए जाएंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : दल-सचेतकों ने अपने सभी सदस्यों के नाम लिख भेजे हैं। मेरे लिए समस्या बन गई है कि दो दिनों में सभी को समय कैसे दिया जाये। मैंने यह निश्चय किया है कि 15 से अधिक सदस्यों वाले दलों के दो सदस्यों के बोलने के पश्चात उससे कम सदस्यों वाले दलों के एक सदस्य को अवसर दिया जाये और तत्पश्चात 3-4 सदस्यों वाले छोटे ग्रुपों को अवसर दिया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : एक सदस्य वाले दलों का क्या बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यथासंभव सभी को समय देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हम लोग यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, परन्तु हमारे पड़ौसी देश के राष्ट्रपति अपने देश के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों का नर-संहार कर रहे हैं। संसद ने उस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया है परन्तु मेरा दल इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हैं। पूर्वी बंगाल की घटनाएं दीर्घकालीन इतिहास में अपनी मिसाल नहीं रखती है। हाल के चुनाव में अवामी लीग को न केवल पूर्वी बंगाल में अपितु पूरे पाकिस्तान में बहुमत प्राप्त हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने न तो निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को सरकार बनाने का अवसर दिया और न ही राष्ट्रीय संसद की बैठक बुलाई। अब वे जनमत को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही कर रहे हैं।

इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार एक और कदम उठाये और अवामी लीग की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान करें। मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूँ कि वे उनकी प्रार्थना मिलने पर उस सरकार को मान्यता देंगे। इस प्रकार हम पूर्वी बंगाल तथा सारे पाकिस्तान के जनतांत्रिक संगठनों की सहायता कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसा ही करेगी। मैं प्रधान मन्त्री को उनकी अभूतपूर्व विजय पर बधाई देता हूँ। उनके गरीबी हटाओ के नारे से हमारे देश में नई आशायें जगी हैं। स्पष्ट है कि लोग अब थोथे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं हो सकते अपितु वे प्रभावी कार्यवाही चाहते हैं। प्रतिक्रियावादी दलों की पराजय हुई है परन्तु अभी उनकी आर्थिक मोर्चे पर पराजय नहीं हुई है।

गरीबी हटाने के लिए गरीबी उत्पन्न करने वाले तत्वों को समाप्त करना होगा। अब लोग अनिश्चित काल के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपने संविधान में संशोधन करने के लिए भारी जनमत प्राप्त कर लिया है। हम प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में सरकार का साथ देने को तैयार हैं। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं जबकि दूसरे विरोधी दल एकाधिकार वादी राजाओं महाराजाओं के लिए वचनबद्ध हैं। वे लोग भली भांति जानते हैं कि महत्वपूर्ण संविधान सम्बन्धी संशोधनों के बिना कुछ भी प्रगति नहीं की जा सकती। गरीबी हटाना तो दूर की बात है। जब तक राष्ट्रीयकरण और मुआवजे के मामले में संसद को प्रभुसत्ता सम्पन्न बनाये जाने के मार्ग में बाधायें विद्यमान है। हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen hours of the Clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[**Mr. Dy. Speaker** *in the Chair*]

श्री इंद्रजीत गुप्त : सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के मामले में संसद की प्रभुसत्ता के समक्ष महान चुनौती विद्यमान है। तथ्य यह है कि संविधान की धारा 31 (2) में मूलाधिकारों के अन्तर्गत यह स्पष्ट उल्लेख है कि "कोई भी विधि इस आधार पर न्यायालय के समक्ष नहीं लाई जा सकेगी कि दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है।" इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिये जाने वाला मुआवजा 80 से 83 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। जब संविधान में आवश्यक संशोधन नहीं किये जाते तो गरीबी हटाने के लिये मुआवजे की राशि कहां से आयेगी। यदि निर्णय संसद ने नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय ने करना है तो हमारी क्या स्थिति होगी।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार बैंक में जमा राशि सम्पत्ति है 'प्रिवी पर्स' सम्पत्ति है। साख भी सम्पत्ति है। यह इस नव-निर्वाचित संसद के समक्ष चुनौती है। भारी जनमत मिलने के पश्चात सभी रुकावटों को हटाया जाना चाहिए।

बहुत से लोग देश के हित के लिए बचनबद्ध न्यायालय की बात करते हैं। मैं नहीं जानता कि यदि यही बात मैं सदन से बाहर कहूं तो क्या मुझे न्यायालय के मानहानि का दोषी माना जाएगा ? मैं समझता हूं कि अधिकांश न्यायाधीश अपने रहन सहन के ढंग के अनुरूप दूसरी ओर वचनबद्ध हैं। ऐसी ही बात श्री सीतलवाद की पुस्तक में भी कही गई है कि न्यायाधीश पहले से ही विपरीत दिशा में वचनबद्ध है जबकि देश की प्रगति की दिशा दूसरी है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वे संविधान में संशोधन करने को तत्पर हैं ? इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सरकार आगामी सत्र में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : कोई भी वरिष्ठ मन्त्री सभा में उपस्थित नहीं है। वाद-विवाद का उत्तर कौन देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाँछनीय है कि एक वरिष्ठ मंत्री यहां रहे और सदस्यों के विचारों पर ध्यान दे। संसदीय कार्यों के मंत्री कही गई बातों का ध्यान रखेंगे और अपने साथियों को बतायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लुसाका में गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत सरकार ने वियतनाम के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाया था जिसकी सभी ने प्रशंसा की थी। भारत का मत था कि वियतनाम से सभी बिदेशी सैनिक हटाये जायें और इस कार्यवाही में अमरीका पहल करे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के 21वें पैरे से भी स्पष्ट है कि हम अपने रुख से पीछे हटे हैं। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ ? चुनाव से कुछ सप्ताह पहले दिल्ली में हुए मुख्यमंत्री सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई थी कि केन्द्रीय सरकार तथा मुख्यमंत्री इस बात पर एकमत हुए हैं कि देश भर की सारी बिना काश्त तथा बंजर भूमि, जो सरकारी है, उसे 1971 के अंत तक खेती के लिये गरीबों के बीच बांट दिया जायेगा। इस निर्णय का क्या हुआ ? मैं सरकार के इस निर्णय को लागू करने सम्बन्धी निश्चित अवधि की घोषणा चाहता हूँ।

राष्ट्रपति अभिभाषण में विज्ञान तथा तकनोलोजी के विकास का उल्लेख है। इलैक्ट्रानिक आयोग की स्थापना भी की जा रही है। लेकिन देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी ग्रहण की है, उसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहा गया है ? इलैक्ट्रानिक आयोग की स्थापना का उद्देश्य आत्म-निर्भरता भी होनी चाहिये। इसका राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई भी उल्लेख नहीं है।

अभी हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वी० पी० नायक ने पूना में फिलिप्स इण्डिया की टेलीविजन फैक्टरी का उद्घाटन करते हुए कहा है कि भूमि की सीमाबंदी को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्या श्री नायक के विचार सरकार के ही विचार हैं ?

मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार अधिनियम के अधीन अब तक क्या कार्यवाही की है और एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कब तक रचनात्मक कार्यवाही की जायेगी। एकाधिकार को समाप्त करने की बात तो दूर, सरकार बिरला प्रतिष्ठानों को अमृतसर की ओ० सी० एम० मिल दिलाने का प्रयत्न करके यह सिद्ध कर रही है कि एकाधिकार को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाये। अभी कल ही एक प्रश्न के उत्तर में औद्योगिक विकास मंत्री ने यह कहा है कि पिछले वर्ष दिसम्बर से लेकर इस वर्ष मार्च तक 23 आशय पत्र जारी किये गये और ये आशय पत्र अधिकांश बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही दिये गये। इस प्रकार एकाधिकार को ही प्रोत्साहन मिल रहा है।

मैं जानना चाहता हूँ कि अभिभाषण में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। आखिर बात क्या है ? क्या 'गरीबी हटाओ' के नारे के सहारे ही एकाधिकार का विस्तार हो रहा है ? हम जानते हैं कि तीन तेल कम्पनियां देश में तेल के मूल्य बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही हैं। जब सरकारी क्षेत्र में तेल उत्पादक कारखाने चल रहे हैं तो क्या सरकार इन तेल कम्पनियों को अपने हाथ में ले रही है ? क्या सरकार किसी उपभोक्ता उद्योग को अपने हाथ में ले रही है ? और फिर भी हम कीमतों पर नियंत्रण रखने की बात सोचते हैं।

बेरोजगारी दूर करने के लिए 50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है। वास्तव में किन उपायों तथा साधनों द्वारा बेरोजगारी दूर हो सकती है, इस बात का अब तक कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल 50 करोड़ रु० की व्यवस्था ही की गयी है जिसका अधिकांश भाग ठेकेदारों, जिला परिषदों के अध्यक्षों तथा पंचायतों की जेबों में जायेगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।

कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए श्री चव्हाण ने मजदूरी-मूल्य-आय नीति का जिक्र किया है। यह नीति किसी भी प्रगतिशील देश में सफल नहीं हुई। देश संगठित वर्ग ऐसी नीतियों को बिलकुल स्वीकार नहीं करेगा।

अन्त में मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि मेरी इन बातों पर विचार करे।

डा० वी० के० आर० वी० राव (बेल्लारी) : मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि उनकी सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए वचनबद्ध है जो कांग्रेस (सत्तारूढ़) के चुनाव घोषणा पत्र में उल्लिखत थे। परन्तु अभिभाषण में चुनाव घोषणा पत्रों की कुछ बातों का उल्लेख रह गया है जो सम्भवतया गलती के कारण से रह गयी है। मुझें विश्वास हैं कि चर्चा का उत्तर देते हुए सदन की नेता सदन को इस

बारे में आश्वस्त करेंगी कि जिन बातों का उसमें उल्लेख रह गया है वह बातें भी सरकार के कार्य-क्रम का भाग बनेंगीं ।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा कि उनकी सरकार को चुनावों में जो सफलता प्राप्त हुई है वह स्पष्टतया इसी आश्वासन के कारण हुई थी कि सरकार की नीतियों का मुख्य लक्ष्य गरीबी को हटाना होगा । अतः मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिये । इस उद्देश्य के लिए 'गरीबी हटाओ' का मूल भाव भी स्पष्ट होना चाहिये । 'गरीबी हटाओ' का तात्पर्य केवल मात्र यह नहीं कि प्रति व्यक्ति आय या अर्थव्यवस्था के विकास की दर में केवल वृद्धि हुई हो । प्रति व्यक्ति खपत के राष्ट्रीय आंकड़े देखने से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या का 20 प्रतिशत भाग या देश के लगभग 11 करोड़ व्यक्ति नितान्त गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । अतः गरीबी हटाओ संबंधी कोई भी कार्यक्रम इन 20 प्रतिशत व्यक्तियों की अवस्था सुधारने की ओर केन्द्रित होना चाहिये । इन लोगों में से बहुत से व्यक्ति बेरोजगार के हैं, बहुत से लोगों का रोजगार इस प्रकार का है कि उससे उनका गुजारा कठिनाई से चलता है । अतः इस प्रकार के लोगों के स्तर को सुधारने के लिए सुस्पष्ट और निश्चित कार्यक्रम को प्राथमिकता मिलनी चाहिये । अगले पांच वर्षों के लिए हमारे आर्थिक विकास का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की न्यूनतम वार्षिक वृद्धि निश्चित करना न हो कर युक्तियुक्त न्यूनतम आय होनी चाहिये । गरीबी हटाओ का अर्थ भी यही है । मेरा विश्वास है कि सरकार अगले सत्र के दौरान इस दिशा में निश्चित रूप से कदम उठायेगी ।

गरीबी के उन्मूलन के सम्बन्ध में कार्यक्रम निश्चित करते समय न केवल उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता की ओर ही ध्यान रखा जाना चाहिये अपितु इस बात को भी देखा जाना चाहिये कि बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें । यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बजट में व्यवस्था करके इस दिशा में कदम उठाया है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि उत्पादन में वृद्धि तथा समाज के निस्सहाय अंग को रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं मिलें जिससे आय में बहुत अधिक अन्तर की प्रवृति और अधिक न फैले ।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने पढ़े-लिखे बेरोजगारों के सम्बन्ध में बहुत कम उल्लेख किया है । यह चिन्ता का विषय है । इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार को इस विषय की गम्भीरता का ज्ञान नहीं है । रोजगार कार्यालयों के आंकडों के अनुसार पढ़े-लिखे बेरोजगारों की दर 15 प्रतिशत है और यह आंकड़े संसार भर में सब देशों के आंकड़ों से अधिक हैं । यहां पर यह बताना और भी संगत होगा कि हमारे देश में 1969 वर्ष में स्नातक तथा इससे अधिक अर्हताओं वाले रोजगार ढूंढने वालों की संख्या स्नातक एवं ऊंचे स्तर तक नये शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या से लगभग दोगुनी थी । शिक्षा आयोग ने बताया है कि वृद्धि के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 1986 वर्ष में लगभग ऐसे 150 लाख स्नातक होंगे और हो जायेंगे जिनको रोजगार चाहिए ।

उपरोक्त आंकडों में स्नातक स्तर से कम के पढ़े-लिखे 'काम ढूंढने' वाले सम्मिलित नहीं हैं ।

यदि हम उपरोक्त आंकडों की ओर ध्यान दें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में किये गये थोड़े से उल्लेख के कारण चिंता होती है । सरकार को पढ़े-लिखे बेरोजगारों की समस्याओं की ओर भी समुचित ध्यान देना चाहिये ।

यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समस्या का हल बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने में नहीं है। देश भर में 1969 तक स्थापित सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में से 81 प्रतिशत इस प्रकार के प्रतिष्ठान थे जिनमें प्रत्येक में 100 से कम लोग काम पर नियोजित थे। अतः यदि पढ़े-लिखे बेरोजगारों की समस्या को त्वरित रूप से हल करना है तो बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये।

यह बहुत दुख की बात है कि अभिभाषण में 'समाजवाद' के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समाजवाद केवलमात्र नारी नहीं है। आर्थिक विकास के सम्बन्ध में कांग्रेस विचार-धारा का लक्ष्य समाजवाद है। कांग्रेस न तो लोकतन्त्र को छोड़ सकती है और न ही समाजवाद को। परन्तु लोकतन्त्रात्मक समाज़वाद की प्राप्ति राजनैतिक सत्ता ग्रहण करने या प्रशासकीय ढांचे पर नियन्त्रण करने मात्र से ही नहीं हो जाती। इसके लिए लोगों के ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो कि एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में अभिव्यक्त हो।

आर्थिक विकास की प्रगति के लिए पूंजीगत समाज की अपेक्षा 'समाजवादी' समाज को अधिक दक्षता की आवश्यकता है और यह दक्षता हमें गांधीवादी विचारधारा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।

मुझे विश्वास है कि चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री स्पष्टतया तथा इस बात पर बल देंगी कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के० मनोहरम (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में कुछ कहने से पूर्व मैं 1971 के चुनाव के सम्बन्ध कुछ शब्द कहना चाहता हूं। 1971 का चुनाव विशुद्ध रूप से विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों के आधार पर लड़ा गया। एक तरफ यदि लोकतान्त्रिक समाजवाद और उसके समर्थक थे तो दूसरी ओर सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तियां। एक तरफ के लोग यदि देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध थे तो दूसरी ओर के लोग यथास्थिति को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील थे। इन परस्पर विरोधी शक्तियों में जीत किस की हुई, यह बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है।

यह बड़े खेद की बात है कि इस चुनाव में विरोधी दलों को बहुत करारी हार हुई है। स्वतन्त्र दल की संख्या 47 से घटकर 7 रह गई है और जनसंघ की 38 से 22। संयुक्त समाजवादी दल को भी इन दलों के साथ अपने गठबंधन के कारण काफी क्षति उठानी पड़ी और इस दल की स्थिति अब भी उसी प्रकार शोचनीय है जैसे कि वह पहले थी। भारत के बुद्धिमान लोगों ने अपने प्रतिनिधियों का चयन निश्चय ही बहुत बुद्धिमत्ता से किया है और उन्होंने श्री नवल टाटा जैसे पूंजीपतियों और सैनिक शासन का राग अलापने वाले भूतपूर्व सेनाध्यक्ष तक को चुनावों में अस्वीकार कर दिया है। दिल्ली की सातों सीटों पर भी कांग्रेस ने अधिकार कर लिया है। मुझे श्री वाजपेयी से पूरी सहानुभूति है।

अब स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है शासक दल को दो-तिहाई बहुमत से भी अधिक स्थान प्राप्त हो गये हैं। यह बहुमत देश के लिए बहुत कारगर और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। गत 25 वर्षों से हमारे देश के लोग करों के बोझ से दबते आ रहे हैं, विदेशों का ऋण हमारे देश पर निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है, 85 प्रतिशत लोगों को आधारभूत शिक्षा से भी वञ्चित रहना पड़ रहा है और जो शिक्षित हैं उन्हें रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। मेरे माननीय मित्र श्री

वी० के० आर० वी० राव अब मंत्री नहीं है इसीलिए आज वह भी बेरोजगार है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'समाजवाद' शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं श्री राव को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केवल शब्द विशेष का उल्लेख या प्रयोग करने से उनके अपेक्षित अर्थ या लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती, उसके लिए दृढ़ संकल्प और ठोस कार्य की आवश्यकता होती है।

मैं 1962 से इस सदन की संरचना को देख रहा हूं। 1970 में जब कांग्रेस दल का ऐतिहासिक रूप से विभाजन हुआ तो इस विभाजन के बाद प्रधानमंत्री की सरकार एक अल्पसंख्यक सरकार थी, परन्तु उसकी समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये हमने उसे अपने दल का समर्थन दिया।

अब स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है। अब प्रधानमंत्री यह नहीं कह सकतीं कि वह संविधान में संशोधन करने में असमर्थ है क्योंकि उन्हें दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हैं। आज ईश्वर की कृपा से. न तो कोई उनका विरोध करने वाला है और न ही कोई अवसरवादी उन पर दबाव डाल सकता है। अब वह राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने में पूर्णतया स्वतन्त्र है। अब उनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार के प्रधानमंत्री की तरह की है जिसका लक्षण श्री बिट्राइस पिटने लैम्ब ने अपनी पुस्तक में दिया है। वह देखने में जितनी अच्छी है उतनी ही वह शक्ति तथा ओज से परिपूर्ण भी है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दादा की सम्पूर्ण निर्देशात्मकता और व्यवहारिकता को अपने में संजो लिया है। आज भारत के 80 से 90 प्रतिशत लोग इसी नारी पर अपनी आशायें केन्द्रित किये हैं।

तमिलनाडु में हमें भी, इसी प्रकार का बहुमत प्राप्त हुआ है। चुनाव से पूर्व मुझे दिल्ली से निरन्तर टेलीफोन आते रहते थे। दिल्ली में विभिन्न समाचार पत्रों में यह समाचार निरन्तर छपते रहते थे कि इन चुनावों में द्राविड़ मुनेत्र कणगम पूर्णतया समाप्त हो जायेगा, उसे अब सत्ता प्राप्त होने वाली नहीं है। इस बार तमिलनाडु में श्री कामराज के दल की सरकार बननी निश्चित है। परन्तु हुआ क्या ? आज श्री कामराज दक्षिण भारत के चारों राज्यों का प्रतिनिधित्व अकेले ही कर रहे हैं। हमें आशा है कि वह लोगों की भलाई के लिए कटिबद्ध रहेंगे।

इस अवसर पर मैं प्रधानमन्त्री से एक दो बातें कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि अपने उत्तर में वह इनकी ओर ध्यान देगीं। पहली बात तो मुझे योजना आयोग के विषय में कहनी है। हाल ही में समाचार पत्रों में यह समाचार देखने को आया कि योजना आयोग के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रधानमन्त्री आयोग में कुछ सक्रिय परिवर्तन लाना चाहती हैं। मुझे आशा है कि वह इस सम्बन्ध में मेरे सुधारों पर विचार करेगीं।

योजना आयोग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। इस सदन में पहले भी कई बार इस सफेद हाथी की आलोचना की गई हैं। आयोग अपने दायित्व का निर्वाह करने में पूर्णतया असफल रहा है। मेरा मत है कि योजना आयोग को एक स्वायत्तशासी सत्ता के रूप में कार्य करना चाहिए परन्तु वास्तविकता यह है कि यह भारत सरकार के एक अनुबन्ध के रूप में ही कार्य कर रहा है। इसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है तथा अनेक मन्त्री इसके सदस्य होते हैं। अतः इन परिस्थितियों में आयोग एक स्वायत्तशासी सत्ता के रूप में कार्य कैसे कर सकता है ? अतः मैं प्रधानमन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार

योजना आयोग का पुनः गठन करें। आयोग में मन्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया जाये और न ही प्रधानमन्त्री स्वयं उसकी अध्यक्ष बनें। उसमें विशेषज्ञों को प्रमुख स्थान दिया जाये।

वित्त आयोग और योजना आयोग के मध्य जो संघर्ष चलता हैं उससे सभी भली-भांति परिचित हैं। वित्त आयोग भी एक महत्वपूर्ण संस्था है परन्तु योजना आयोग उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। यदि वित्त-आयोग के कार्यों को योजना आयोग ठुकरा सकता है, तो फिर वित्त आयोग से कार्य करवाने की आवश्यकता ही क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसी प्रकार की एक संस्था है। मेरा विचार है कि इन तीनों संस्थाओं को समाप्त करके, संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, एक तो अन्तर्राजीय समन्वय परिषद बना दी जाये और दूसरे एक केन्द्र-राज्य परिषद बना दी जाये। मेरा विश्वास हैं कि इन दोनों संस्थाओं के कार्य करने से हमारी बहुत सी समस्यायें स्वयं ही सुलझ जायेगीं।

दूसरी बात मैं संविधान के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे संविधान का निर्माण आज से 22 वर्ष पूर्व किया गया था। उस समय की और आज की राजनीतिक परिस्थितियों में कई अमूल परिवर्तन आ चुके हैं। अतः हमारा प्रस्तुत संविधान इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। कई बार इस सदन में मांग की जा चुकी है कि अब समय आ गया है जबकि हमें इस संविधान की 'पुनः परीक्षा करनी होगी। हमारे कुछ संविधान विशेषज्ञों के मतानुसार हमारा संविधान, विभिन्न संविधानों के विभिन्न अंगों का एक अस्वाभाविक गठन हैं। इसका शरीर ब्रिटेन के संविधान का है, सिर आयरिश, टागें कैनेडा की और पंख आस्ट्रेलिया के संविधान के है। अतः हमारे संविधान में बहुत गड़बड़ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हमें एक जीवित संविधान की आवश्यकता हैं। अतः मैं द्रविड़ मुनेत्र कणगम दल की ओर से प्रधानमन्त्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसके बारे में भी विचार करें।

अब मैं केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्वन्धों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। अब तक विरोधी कांग्रेस तथा महान गठबन्धन के सदस्य सदा यह आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमन्त्री द्रविड़ मुनेत्र कणगम सरकार की बहुत अधिक सहायता करती रहीं हैं। परन्तु अब हम प्रधानमन्त्री से इसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

तामिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने वहां की विधानसभा के समक्ष एक वक्तव्य में कहा है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को संसाधनों के हस्तान्तरण की मांग को ठुकरा दिया है। हमारे संविधान में करों के विभाजन की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की गई है कि राज्य के करों का अधिकांश केन्द्र सरकार को चला जाता है और लोक कल्याण कार्य का बहुत बड़ा दायित्व राज्य सरकारों पर होता है। राजस्व के इस असंतुलित विभाजन के फलस्वरूप केन्द्र तथा राज्यों के समक्ष बहुत सी समस्यायें आ खड़ी होती है। अतः राजस्व के उचित विभाजन के लिए यदि आवश्यकता हो तो हमें संविधान में अपेक्षित परिवर्तन करने चाहिए।

इसी संदर्भ में मुख्यमन्त्री ने यह भी कहा है कि वर्ष 1971-72 में राज्य सरकार ने अपने ऋण के ब्याज के रूप में 16 करोड़ से भी अधिक धन भारत सरकार को देना है जो कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले धन से कहीं अधिक है।

इन परिस्थितियों के परिपेक्ष में मैं प्रधानमन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह एक संघीय ऋण आयोग की स्थापना करे जो कि राज्यों के ऋणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करें।

श्रीमान जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं। गत 23 वर्षों से केन्द्रीय सरकार मनमाने ढंग से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। सभी प्रकार के करों से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का 80 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार को प्राप्त होता है जोकि सभी राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व से भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार को विदेशी ऋण लेने की सुविधा भी होती है। पी० एल० 480 की निधि इसी प्रकार के ऋण का एक उदाहरण है। सम्पूर्ण देश से प्राप्त होने वाले अन्य ऋणों पर भी केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है जैसे कि जीवन बीमा निगम की धन राशि। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के पास डाकघरों की जमा राशि तथा व्यावसायिक बैंकों में जमा जमानतों आदि का धन भी होता है। अत: गत 23 वर्षों के सार्वजनिक धन के विकास-क्रम से यह मालूम होता है कि सभी वित्तीय संसाधनों का केन्द्रीयकरण केन्द्र में ही होता गया है यद्यपि विकास के अधिक कार्यक्रम राज्य या उससे भी निम्न स्तर पर अधिक किये जाते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात प्रमुख रूप से कही गई है कि सरकार गरीबी को दूर करने का भरसक प्रयत्न करेगी। आज भारत में कन्याकुमारी से हिमालय तक और आसाम के जंगलों से लेकर राजस्थान के मरुस्थलों तक गरीबी छाई हुई हैं। इसे दूर करने के लिए अथक परिश्रम करना सरकार का कर्त्तव्य है क्योंकि इसी कार्य के लिए उसे लोगों ने बहुमत प्रदान किया है।

देश की जनता ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और उनकी नीतियों में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है उनकी समाजवादी नीतियों के कारण ही द्र० मु० क० भी सदैव उन्हें अपना समर्थन देता रहा है। आज भले ही प्रधानमंत्री को हमारे समर्थन की आवश्यकता न हो परन्तु जब तक प्रधानमंत्री और उनकी सरकार समाजवादी नीतियों पर कार्य करती रहेगी, तब तक हमारा दल उन्हें अपना समर्थन देता रहेगा। इसके साथ ही मैं उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी वह समाजवादी नीतियों से विमुख होंगीं, तभी हमारा दल उन्हें अपने समर्थन से वंचित कर देगा। हमारे दल की बात तो अलग रही, आज जो भी बड़े से बड़ा नेता या राजनीतिक दल जनता को धोखा देने का प्रयत्न करेगा, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी, जो जनता उन्हें इतना ऊपर उठा सकती है, वही जनता उन्हें गिरा भी सकती है।

श्री हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'समाजवाद' शब्द का उल्लेख नहीं, फिर भी उन्होंने एक नये समाजवादी मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया है।

चौथी लोक सभा के अन्तिम दिनों में ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी जो लोकतंत्र के भविष्य के लिये घातक सिद्ध हो सकती थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी सरीखे दूरदर्शी नेताओं द्वारा समय पर उठाये गये कदमों ने इस स्थिति को संभाला।

सन् 1971 में इस देश के लोगों ने फिर एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रगतिशील नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया। महा गठबंधन के छाते के नीचे इकट्ठी हुई सारी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सफाया हो चुका है।

हमारे दल तथा सरकार का मूलमंत्र गरीबी दूर करना है। हमारी महान विजय ने हम पर महान् जिम्मेवारियां डाल दी हैं। गरीबी हटाना कोई सरल काम नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण

में ग्राम्य विकास, कृषि विकास, अपेक्षित वर्गों को ऋणों की सुविधाएं, ऋण निगम की स्थापना, ग्राम्य विद्युतीकरण आदि का उल्लेख है। इन कार्यक्रमों द्वारा ही देश का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सकता है।

हम इस महान् तथा प्राचीन देश पर गर्व करते हैं लेकिन आप गांवों में जायें तथा लोगों की दयनीय हालत देखें। लोगों के पास रहने के लिये भी मकान तक नहीं। हर देशवासी को आवास सम्बन्धी सुविधाएं मिलनी चाहिये।

शहरी क्षेत्रों में भी आवास संबंधी स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास सरीखे बड़े शहरों की आवास सम्बन्धी स्थिति तो और भी खराब है।

बेरोजगारी की समस्या एक विकट समस्या है। हर पंचायत क्षेत्र में एक उद्योग की स्थापना की जानी चाहिये जिसमें हर परिवार का एक व्यक्ति 150 रु० प्रति मास तनख्वाह पर काम करे।

विज्ञान तथा तकनालोजी की ओर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम देश के कौने-कौने में कुटीर उद्योगों का जाल नहीं बिछा देते और जब तक देश का ओद्योगीकरण नहीं हो जाता तब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

ग्राम्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यदल की स्थापना के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं।

इस विषय में यह बताना जरूरी होगा कि नीति निर्धारण में हम कभी पीछे नहीं रहे। हम अगर असफल रहे हैं तो केवल नीतियों को कार्यान्वित करने के मामले में रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि विकास की दृष्टि से विभिन्न राज्यों के बीच असमानता तथा असंतुलन नजर आ रहा है। इस दृष्टि से उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र तथा केरल की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे राज्य में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिये मैं सुझाव दूंगा कि जहाज निर्माण के दूसरे कारखाने को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाये। कालीकट में शीघ्र ही इस्पात का कारखाना खोला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मत्सय विकास, क्यूज तथा रबड़ के लिये भी उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए काफी सहायता मिल सकती है।

मुझे आशा है कि आगामी बजट अधिवेशन के दौरान हम गरीबी हटाओ के कार्यक्रम की झलक दिखाने में सफल होंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Dy. Speaker, after listening to the speakers or some of the hon. members, it appeared to me as is it was a first general election, The ruling Congress should not forget that individed Congress had greater majority prior to 1962 than what it is today. It is clear that peoples' verdict will have to the welcomed. We congratulate those who are victorious.

It is also clear their Govt. resources were openly misused during this election. Healthy conventions are needed to the developed, All India Radio and Television should not be used for party propaganda. The Recommendations or Chanda Committee on the subject were not implemented.

The Election Commirsion is supposed to ensure fair and impartial elections as

required by the constitution but the electoral lists were faulty. The constitution makers suggested that there should be 3 members Election Commission which may be considered now so that these irregularities are not repeated.

The ruling party won with the slogan of 'Garibi Hatao' but I would like the ruling party to translate this slogan into action. I want that more and more opportunities for employment should be created. Right of employment should form a part of fundamental rights. The Govt. has allocated 50 crores of rupees for this purpose which is inadequate. There should some ceiling between maximum and minimum income groups which will help us in removing economic disparity prevailing in our society. I would like the Prime Minister to state in her reply as to how much difference should be there between the maximum and minimum income groups. In the Presidential Address it has been mentioned that the problem of educated unemployment will be given special care. I suggest that if we want to solve this problem we have to re-open the locked up factories and also start 2 to 3 shifts instead of one. It is a matter of regret that there is no mention about the network of agro-oriented industries. I would like to know whether Govt. have any scheme in this connection ; if so, whether Govt. have allocated certain funds for the same ? Land tiller should be the owner of the land. The barren land should be distributed among landless farmers.

The hon. Minister, in his budget speech has mentioned that the Govt. are contemlating to stabilise the prices of essential goods. We may not be able to maintain the balance or economic development in case we fail to check the price-line. The Govt. including state Govt. are presenting deficit budgets which may create price inflation. The prices can not be stabilised unless any increase over production and ensure its proper distribution failing which we will have to face the price inflation as well as the demands of the Govt. employees for increasing dearness allowance etc. etc.

If we want to check the demand of Government employees for increase in dearness allowance, we should take into consideration the fact that if dearness allowance will be increased without stabilising the prices, this demand will further be made. A Supar Bazar was opened in Delhi to help people but it has sustained a loss of Rs. 75 lakhs during last four years. It is not earning even a profit equal to the interest on the total amount invested in it. Is it a way to bring about socialism ? We cannot mobilise the resourses as much as we should by indiscriminate expansion of public sector. Now efforts should be made to run the public sector properly.

It should be made clear to the people that Government alone cannot remove the poverty and people will have to cooperate with Government. People should be inspired to work hard. Concrete steps should be taken to remove the poverty. On behalf of my party I assure that we will support any constructive step taken for removing poverty.

Today we have passed unanimously a resolution on the situation in East Bengal. There cannot be two opinions about what is happening in Bangla Desh. In this connection I would like to say that we should not limit ourselves to only passing of the resolutions. But we should fully support the leader of East Bengal, Sheikh Mujibur Rehman. Not only this, our Government should give recognition to the Government formed under the leadership of Sheikh Mujibur Rehman in East Bengal, if they ask for it. In the light of situation prevailing in East Bengal we should give serious consideration to the problem of economic imbalance in our country. The people of Telengana, Goa, Manipur and Tripura are demanding statehood for their regions. Instead of solving these problems individually, our Government should appoint a new State Reorganisation Commission, which should solve these questions taking into consideration the economic balance, the unity of language and the geographical situation of the different regions.

As regards the verdict of the people in the elections, we accept it and we will discharge our duties as an opposition group in Parliament.

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1971 को पास किये गये पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1971 को पास किये गये पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नही करनी है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री पी० आर० दास मुन्शी (कलकता दक्षिण) : श्रीमान्, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई कि उसमें भारत की वास्तविक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। गत निर्वाचन से इस बात का आभास होता है कि राजनीतिक दलों का तीन दृष्टि से ध्रुवीकरण हुआ है, दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी दल, वामपन्थी दल और प्रगतिवादी लोकतन्त्रात्मक शक्तियां। यह प्रसन्नता का विषय है कि गत निर्वाचन में देश की जनता ने प्रगतिवादी नीतियों की समर्थक लोकतन्त्रात्मक शक्तियों को सफल बनाया है। उन्होंने पुरानी कांग्रेस को उसके अय दलों के साथ गठबन्धन के बावजूद ठुकरा दिया है।

मैं पश्चिम बंगाल के युवा वर्ग का प्रतिनिधि हूं। देश की समस्याओं के प्रति युवकों के जो विचार हैं; मैं उनसे सहमत हूं। मेरे विचार से आज भारत के सामने सबसे निकट और व्यापक समस्या युवकों की ही है। उन पर प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि वे अनुशासनहीन हैं। मेरी समझ में नही आता कि वे अनुशासन कहाँ से सीखेंगे जबकि नेतागण ही अनुशासनबद्धता का आदर्श उनके सम्मुख उपस्थित नही करेंगे। जब तक राजनीतिक दल और नेतागण युवकों की समस्या को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक उनकी समस्या हल होने वाली नहीं है। जब रात के समय मैं उन भाषणों पर विचार करता हूं जो संसद मे दिये जाते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि हम संसद में कैसा भाषण देते हैं और संसद से बाहर लोगों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। देश के नौजवानों के सामने सचमुच समस्या है। केवल भाषण देने से या संकल्प पारित कर देने मात्र से युवकों की समस्या हल नहीं होगी। उन्हें इन बातों से संतोष नहीं होगा। उन्हें एक नियतकालिक कार्यक्रम देना होगा। हमें देश के युवकों को बताना होगा कि देश के युवकों को न्यूनतम लाभ एवं अवसर कब तक और किस, प्रकार से प्राप्त होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार युवकों के लिए रोजगार जुटाकर उनकी समस्या को हल करने के उपाय करेगी। देशी

शराब जैसी कुछ वस्तुएं युवकों पर बुरा प्रभाव छोड़ रहीं हैं। ऐसी वस्तुओं पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहली बार पश्चिम बंगाल का जिक्र विशेष रूप से किया गया है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो निर्धनता और हिंसा का शिकार बना हुआ है। नेतागण इस बात पर विचार नहीं करते कि पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं क्यों होती हैं; वहां के छात्र असन्तुष्ट क्यों है। वहां के छात्रों में रोष है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं। किन्तु उनके इस असन्तोष और रोष का कारण मुख्य रूप से आर्थिक है। साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें हिंसा के लिए उकसाने की पूरी जिम्मेदारी साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) पर है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में श्री हेमन्तकुमार बसु का उल्लेख किया। किन्तु जब सरकार ही यह पता लगाने में असमर्थ है कि उनकी हत्या किसने की है, तो मुझे आश्चर्य होता हैं क्यों कि सरकार के हाथ में प्रशासन है, पुलिस है और गुप्तचर विभाग है। कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में एक षडयंत्र रच रखा है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस षडयंत्र के पीछे कौन हैं, इस बात का पता लगायें। कलकत्ते में कल ही श्री नृपाल चन्द्र राय की हत्या की गई है। मुझे तो यह सन्देह है कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य यह है कि पश्चिम बंगाल में गैर मार्क्स-वादी सरकार बनाने के लिए तैयार दलों का बहुमत घटाया जाये ताकि वहां ऐसी सरकार न बन सके। आज पश्चिम बंगाल के गांवों में वहां के शहरों की सड़कों पर लोग स्वतन्त्रतापूर्वक चल फिर भी नहीं सकते। ऐसा क्यों है ? यह पश्चिम बंगाल में वामपन्थियों द्वारा रचे गये षडयंत्र का परिणाम है। वहाँ श्री ज्योति बसु और श्री प्रमोद दास गुप्ता की निजी सेनायें लोगों को भालों, तीरों और बमों से मार रही हैं। जब तक हम सब संगठित होकर इस हिंसा का मुकाबला न करेंगे तब तक पश्चिम बंगाल की समस्या हल नहीं होगी।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1970 का उल्लेख भी किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत फसल में वर्गदार का हिस्सा बढ़ा दिया गया था और उसके खेती करने के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई थी और पिता से पुत्र को हस्तान्तरणीय बनाया गया था। मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि नौकरशाही के कारण यह अधिनियम पश्चिम बंगाल में अभी तक लागू नहीं किया गया है।

आज पश्चिम बंगाल में भूमिहीन और निरक्षर लोग ऐसे लोकतन्त्रात्मक विधान की प्रतीक्षा में है जिनके आधार पर उनमें भूमि का वितरण हो सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां के लिए ऐसा कानून यथाशीघ्र बनाया जाये।

आज बंगला देश में जो कुछ शेख मुजीबुर्रहमान कर रहे हैं, वह गलत नहीं है। वह तो गांधी के सिद्धान्तों का अनुसरण कर रहे हैं। गांधी जी का सिद्धान्त था कि पहले समस्या को समझो फिर बातचीत से उसे हल करने का प्रयास करो, फिर दूसरी पार्टी से असहयोग करो और इन तरीकों के विफल रहने पर करो या मरो। शेख मुजीबुर्रहमान ने यही किया है। पहले वह चुनाव से जीते, फिर बातचीत की और अब उसके समर्थक 'करेंगे या मरेंगे' के नारे के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमें उनका पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में प्रतिनिधि सरकार का आधार हैं निष्पक्ष निर्वाचन । मैं आरोप नहीं लगा रही हूं । किन्तु निर्वाचन के पूर्व और बाद में तथा निर्वाचन के दौरान कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आई हैं जिनसे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सन्देह होने लगता है । आम तौर पर यह शिकायत की गई है कि हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से बिना किसी कारण के काट दिये गये । इस कारण से वे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग न कर सके । दूसरी बात यह है कि शासक दल ने सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ियों और रेडियो जैसे अन्य सरकारी साधनों का खुलकर और बेशर्मी से प्रयोग किया । प्रधानमन्त्री मंत्रि-मण्डल का प्रधान होने के नाते तो रेडियो का प्रयोग कर सकता है किन्तु शासक दल के नेता की हैसियत से वह रेडियो का प्रयोग अपने दल के प्रचार के लिए नहीं कर सकता । प्रधानमन्त्री को यह विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि वह भारतीय वायु सेना के विमान को उपयोग में लाए किन्तु दल के नेता की हैसियत में उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है । किन्तु अब पता लगा है कि प्रधानमन्त्री ने दलगत कार्यों के लिए भी इन विमानों का प्रयोग किया है । उन्होंने गत चुनावों के दौरान दिल्ली से कलकत्ते की यात्रा रूसी टी यू-124 विमान से की जिसका खर्च 10,000 रुपये होता है । इसके लिये प्रधानमन्त्री से केवल 530 रुपये लिए गये । शेष राशि का भुगतान किसने किया ।

राजस्थान में भी शासक दल ने गत चुनावों में सरकारी मशीनरी और सरकारी गाड़ियों का प्रयोग किया । वहाँ सरकारी गाड़ियां चुनाव-कार्य में लगी थी वहाँ शासक दल के लोगों ने मतदाताओं को डराया और धमकाया ।

संसद-कार्य मन्त्री और पोत परिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : माननीय सदस्य ठीक तथ्यों का निरुपण करें । क्या माननीय सदस्य उस सरकारी गाड़ी का नम्बर और उम्मीदवार का नाम बता सकती हैं जिसके लिए वह गाड़ी प्रयोग में लाई गई ?

श्री वायालर रवि (चिरयिंकिल) : क्या माननीय सदस्य बिना प्रमाण पेश किए ही सभा में आरोप लगा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जा सकता है । यदि आरोप निराधार है तो दूसरे पक्ष वाले उसका खण्डन करें ।

श्रीमती गायत्री देवी : जहां तक उस गाड़ी का सम्बन्ध है जो मैंने स्वयं देखी थी, वह गाड़ी राजस्थान सरकार की थी और उसके पीछे कांग्रेस के निर्वाचन प्रचार की सामग्री लगी थी । उसमें जयपुर शहर के नगरीय सुधार ट्रस्ट का सदस्य बैठा था । उसने पूछने पर बताया कि यह गाड़ी श्री पी० के० चौधरी के लिए प्रयोग की जा रही है इसकी सूचना मैंने वहां के कलैक्टर को दी थी । यदि आप चाहें, तो इस बात की तसदीक जयपुर कलैक्टर से कर सकते हैं । मन्त्रियों, प्रधानों तथा सत्ताधारी दल के अन्य व्यक्तियों ने स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों तथा बिजली की व्यवस्था करने का वचन देकर मतदाताओं को प्रलोभन देने का प्रयत्न किया है उन्होंने यह कहकर जनता को धमकी भी दी है कि यदि उन्होंने कांग्रेस को अपना मत नहीं दिया तो उन्हें यह सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी मैं इस सम्बन्ध में प्रमाण दे सकती हूं । हाजीपुर के निकट जयपुर एक ग्राम हैं और वहां पर खादी ग्रामोद्योग वालों ने एक इमारत बनाई है । इन लोगों को कांग्रेस के प्रधान द्वारा यह धमकी दी गई हैं कि यदि उन्होंने कांग्रेस को मत नहीं दिया तो उस इमारत को गिरा दिया जाएगा । मैंने इस सम्बन्ध में खादी वालों को लिखा है किन्तु हमारे इन प्रयत्नों तथा

प्रार्थनाओं के बावजूद भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा चुनाव आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब तो चुनाव आयोग से भी लोगों की आस्था हट गई है क्योंकि यह अपने व्यवहार में निष्पक्ष नहीं रहा है और लोग इसे सत्तारूढ़ दल की ही एक शाखा मानते हैं।

विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय देने की वर्तमान पद्धति को बदल दिया जाना चाहिए और दलों को जितने प्रतिशत मत मिले हैं उनको प्रतिशतता के आधार पर समय दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में हुई जिन दर्दनाक घटनाओं का उल्लेख किया है उन सब का दायित्व केन्द्र पर है क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन के अधीन था देश में हर जगह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यदि उन्होंने सत्तारूढ़ दल का विरोध किया तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा।

मैं किशनगढ़ के महाराजा की हत्या के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य नहीं देना चाहती क्योंकि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन है किन्तु इतना अवश्य कहूंगी कि इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य निहित था। पिछले 24 वर्षों से सामान्य लोगों की मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा रही है। भारत में प्रत्येक तीन के पीछे एक गांव में न पीने को पानी है न वहां पहुँचने को सड़क। इसी प्रकार विद्युतीकरण की दशा और भी खराब है। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है और केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

पश्चिमी राजस्थान में हमेशा से जल का अभाव है। राजस्थान के लोगों को आशा है कि केन्द्रीय सरकार उनकी इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी। राजस्थान नहर का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे उनके कष्टों का निवारण हो सकता है। राजस्थान में नलकूप लगाए जाने चाहिएं तथा कुएं भी खोदे जाने चाहिए।

कांग्रेस दल ने चुनाव के समय जनता को यह आश्वासन दिया था कि वह उनकी इच्छाओं के अनुकूल कार्य करेगी तथा देश से गरीबी हटाएगी और इसके लिए वह संविधान में पुनः संशोधन करेगी और सर्वोच्च न्यायालय भी जनता की इच्छाओं का ध्यान रखेगा किन्तु मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का इससे कोई संबंध नहीं है। उसका कार्य संविधान की सुरक्षा करना तथा जनता के अधिकारों को बनाए रखना है।

पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वह हमारे लिए सबक है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि पूर्वी देशों में हमारा ही देश ऐसा है जहां लोकतंत्र है और हमें संविधान का पालन करते हुए लोकतंत्र बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Ramsahai Pandey (Rajnandgaon) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the motion of thanks on the President's Address. Simultaneously 1 extend my thanks to the people of my constituency, who voted for me. Before and after the dissolution of Lok Sabha the Government of ruling Congress had to pass through a critical stage. We had to contract a number of accusations. Before dissolution the opposition parties had alleged that the ruling Congress wanted to stick to power and they demanded for a fresh poll. After dissolution they stated not Congress dissolved the Lok Sabha with intent to grab power an year earlier than the expiry of 5 years' term of Lok Sabha. But the results of the recent poll show that people have given a fresh mandate in our favour.

Some Members defected from the ruling Congress to after parties but they received little support from the people. For the purpose of contesting elections they made a grand

alliance of four parties. The Prime Minister and the rulling party fought election on the basis of the slogan of 'garibi hatao'. While the four party alliance gave the slogan of 'Indira hatao' and 'democracy is in danger'. The ruling Congress advocated for the removal of poverty, co-ordination of labour and capital, abolition of capitalism, uplift of the working class and nationalisation of big industries. In elections people gave a clear verdict for the abolition of poverty and infavour of the policies and programmes of the ruling Congress.

The hon. Member said that socialism could not be brought by more elections. Election is a thoughtful analysis. The processof giving serious thought to a problem creates energy and we get inspiration from the energy so created. This leads the people towards progress. We have resolved to bring socialism in the country and remove poverty, For this purpose we will channalise the capital downward. We will take from capitalists and rich people and utilise this wealth for the uplift of the poor. We will provide irrigation facilities to the farmers and other means of livlihood to the poor people. The standard of living of the poor people will be raised. In this way socialism will be brought. Till now people have been talking of religion, nationalism and culture in isolation of livlihood and bread. Now we will link both things together. We are in favour of this kind of socialism and we have already resolved to bring it. I hope the hon. Members will cooperate with us in our efforts to achieve this goal.

Now I would like to say a few words about my State. Madhya Pradesh is a very big State. Madhya Pradesh Comprieses 15 per cent. of the total area of our country. The agricultural land in this State is 11 per cent of the total agricultural land in India. But the irrigation facilities in this state are very meagre. The percentage of irrigation facilities in Punjab is 50, in Andhra it is 30. while it is only 6 percent in Madhya Pradesh. The outlay of the Fourth Plan is 1300 crores of rupees. But Madhya Pradesh has been allocated only a sum of Rs. 80 crores. This is inadequate particularly in view of the fact that the irrigation facilities in this state are very meagre. In my state irrigation facilities should be provided in a big way. There is a great need for the provision of irrigation facilities and for better transport and more electricity. For development of Madhya Pradesh at least a sum of Rs. 200 crores should be allocated.

Shri N.K. Sharma (Dausa) : Mr. Chairman, the mid-term pole marks a wabished in this country. It has provided stability to Government in the country and it has strengthened the hands of the present leadership. Not only this, but it has enhanced India's prestige in the international sphere. In our country it is the first election fought on the basis of policies and programmes. The people of India have given a verdict in favour of socialism and policies of ruling party, they believe in socialism and in social justice. They want social change and economic disparities to be reduced to the minimum. Now it is the duty of the Prime Minister and the Government to fulfil the aspirations of the people.

In President's Address some policies have rightly been enunciated by pursuing which Government will be able to remove poverty and economic disparities. It has indicated a path which Government have to tread in order to remove disparities. But there are some shortcomings too in the Address. The Address did not stipulate the time-limit for tackling various problems. For example, take the problem of unemployment. For solving this problem a crash programme should be chalked out. We will have to change our policies drastically and then a time-bound programme should be prepared to tackle the problem of unemployment. Mere allocating a sum of Rs. 80 crores for this will not do. In order to solve this problem first of all we should bring a change in our system of education. Opportunities of employment cannot be provided to all educated people until there is a change in the system of education. In order to give more opportunities of employment to young people, I suggest, we should reduce the age of retirement of Government employees from 58 years to 55 years.

The President in his Addreas has made a mention about the Rural Electrification Corporation of this connection. I would like to mention that the peasants are not in a position to spend as the electrification. Atleast one Thousand crores of rupees should be spent in a year on this rural electrification.

We should also take steps to stop the wastful expenditure in Government offices. I am sorry to say that the President has not mentioned this thing in his Address. Existing disparities between man and a man should be removed.

Rajmata Gayatri Devi has alleged that congressman do not have any faith in socialism. This allegation is absolutely bareless and untrue. She is making this allegation because her Party has suffered a defeat in the recent elections.

If any enquery is held by Election Commission or some independent body, the people will come to know as to how much money has been spent by the Swatantra Party. They have distributed blankets and Saris to the voters. Therefore it is bareless to say that congress has resoled corrupt practice; in the elections. It is also wrong to say that Congress has secured only 44% votes. In Rajasthan Congress has secured 55.4% votes. Some body may say that Maharaja of Kishangarh was assassinated due to political reasons. But the person who has been arrested in this connection has stated to the police that Maharaja was a characterless person and that he was having illicit relations with his sister and that is why he has killed him. It has also been aiiged that the congressman has committed atrocities on the probe of Hadi Hat. There allegations are all bareless and they are being leveled against as to under the defeat, they have suffered at our hands. Elections were fair and impartial in Rajasthan.

I congratulate the Government for understanding the problem Rajasthan properly and taking a decision to complete the work of Rajasthan Canai during this plan. More funds are needed for the development of Rajasthan. Femine is a contineous Phenawara in Rajasthan. All expenditure in this connection should be borns by the Central Government.

A cement factory in the public sector should be started in Thana or Katputli district.

With these words I am thankful to the chair for giving me an opportunity to speak on the motion of thanks,

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मेरे विचार में संशोधनों के द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह समय उचित है।

सभी जानते हैं कि इस देश में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराये जाते हैं और इस निकाय का गठन संविधान के अधीन किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने इस बारे में पर्याप्त सावधानी बरती है कि इस स्वतन्त्र निकाय पर किसी का किसी प्रकार का भी प्रभाव न पड़े और कि यह एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में ही कार्य-कर्ता रहे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा चुनाव सम्बन्धी नियमों में इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को शिकायत हो कि चुनाव में नियमों का उलंघन किया गया है तो वह न्यायालय के समक्ष अपना मामला रख सके।

अनेक सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि मतों की गिनती करने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इस पद्धति पर आपत्ति उठाई गई है हालांकि ऐसा केवल इसलिए किया गया था ताकि गिनती की प्रक्रिया को लोकतन्त्रात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जा सके। यह प्रक्रिया अनेक वर्षों तक ग्रेट ब्रिटेन में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप है। इस प्रक्रिया के अनुसार मतों की गिनती चुनाव क्षेत्र-वार की जाती है। चुनाव आयोग को इस

बारे में अनेक शिकायतें अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि हमें पुराने तरीके को बदलना चाहिए और कि हमें इंग्लैण्ड में अपनाई जा रही प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। नगरों तथा गांवों में समुदायों के आधार पर रहने वाले लोगों को चुनाव से पूर्व परेशान किया जाता है। ऐसा हमारा अनुभव रहा है। प्रायः ऐसी धमकियां इन लोगों को दी जाती थीं कि यदि किसी दल विशेष को उन लोगों ने मत दिये तो चुनाव के पश्चात उनको परेशान किया जायेगा। कुछ मामलों में ऐसी धमकियों को अमल में भी लाया गया है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बूथवार गिनती होती थी और यह पता लगाना आसान होता था कि इस बूथ में किस दल के मत पड़े हैं। इस तरह चुनाव के पश्चात उस क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जाता है और फिर वे लोग अगले चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं जाते थे। इस प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए भी यह प्रक्रिया अपनाई गई है। गिनती से पूर्व सभी बूथों के मतों को आपस में मिला दिया जाता है ताकि यह पता न चल सके कि किस बूथ विशेष पर किस दल को कितने मत मिले हैं। मेरे विचार में प्रक्रिया में इस परिवर्तन का समूचे देश में स्वागत किया है। पिछले चुनावों की अपेक्षा इस चुनाव में लोग अधिक निर्भयता से अपने मत डालने के लिए आगे आये हैं। इस प्रक्रिया का बम्बई नगर विशेष में विशेष प्रभाव हुआ है। इस नगर में लोगों को धमकियां दी जाती हैं कि यदि उन्होंने किसी दल विशेष को मत दिये तो उनकी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। अतः मुझे आश्चर्य है कि मतों की गिनती सम्बन्धी इस नई प्रक्रिया पर आपत्ति क्यों की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ है जहां कि बाटा नगर में 16 पोलिंग बूथ पर लोग पहुँच ही नहीं सकते थे।

सभापति महोदय : मैं उनको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता : अतः कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री एच० आर० गोखले : समूचा देश इस बात को जानता है कि पश्चिम बंगाल में लोग मत डालने क्यों नहीं आते अथवा वे अपने मत का प्रयोग करने से क्यों डरते हैं। मैं बंगाल का उल्लेख करना नहीं चाहता क्योंकि सभी जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है।

मैं गिनती सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन का उल्लेख कर रहा था। वास्तव में ऐसी धमकियों के प्रभाव को दूर करने के लिए ही किया गया है। हरिजन लोगों की बस्तियों में विशेष उपाय किये गये थे। अतः यह परिवर्तन चुनाव विधि तथा नियमों को लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के अधिक अनुरूप बनाने की ओर एक पग है।

यह शिकायत भी की गई है कि चुनाव 1, 5 तथा 6 तारीख को कराये गये, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च तक नहीं की गई। वास्तव में हमारा यह अनुभव रहा है कि एक क्षेत्र के चुनावों के परिणाम का दूसरे क्षेत्र के चुनावों पर प्रभाव पड़ता है। यदि यह परिवर्तन न किया जाता तो जो दल चुनाव में हार गये। शायद उनकी गिनती संसद में और भी कम होती। यह परिवर्तन इस लिए किया गया है ताकि कोई राजनीतिक दल किसी प्रकार का लाभ न उठा सके। समूचे देश में चुनाव परिणामों की घोषणा दस दिन में कर दी गई थी। ऐसी प्रक्रिया के बारे में जोकि कुप्रथाओं को दूर करने के लिए अपनाई गई है शिकायत करने का क्या लाभ है।

यह भी कहा गया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि देश में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी शिकायत

***कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

श्रीमती गायत्री देवी द्वारा की जा रही है। जिन लोगों ने चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग किया है वही लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि चुनाव में बहुत अधिक धन व्यय किया गया है। इस चुनाव में यह बात सिद्ध हो गई है कि धन अथवा झूठे वचनो से चुनाव नहीं जीता जा सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में पर्याप्त उपलब्ध है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों के प्रचार हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता साम्प्रदायिकतावाद प्रचार अथवा धर्म के नाम पर भी अपील नहीं की जा सकती। यदि किसी को किसी प्रकार की शिकायत हैं तो वह न्यायालय में जा सकते हैं। हम सबको न्यायपालिका में विश्वास है। परन्तु वे लोग न्यायालय नहीं जाते क्योंकि वहां पर सामान्य आरोप नहीं लगाये जा सकते। वहां पर प्रत्येक मामले को सिद्ध करना पड़ता है। केवल सभा में ही सामान्य रूप से आरोप लगाये जा सकते हैं।

यह भी कहा गया है कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन का दुरुपयोग किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ओर से यह शिकायत की जाती है कि विरोधी दलों के बारे में समाचार देने में प्राथमिकता बरती जाती है। वास्तव में बात यह है कि समम थोड़ा होता है और उसी समय में सभी दलों सम्बन्धी समाचारों को समय देना होता है। समय का आबंटन करते समय आकाशवाणी को यह भी देखना होता है कि दल विशेष को लोगों का कितना समर्थन प्राप्त है।

[**अध्यक्ष महोदय** पी ासीन हुए]
[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

यदि यह कहा जाये कि आपको 80 प्रतिशत वोट मिले हैं इसलिए आप 80 प्रतिशत समय हमें दें, तो यह कहना नितान्त अनुपयुक्त है।

साम्प्रदायिकता के आधार पर भी प्रचार करने की बात कही गई है। पर यह कौन कह रहा है। हमारा अनुभव यह है कि जो लोग साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव क्षेत्र में आये हैं वे ही इस प्रकार की शिकायत करते हैं। इस सम्बन्ध में पिछले चुनावों तथा इस चुनाव में भी न्यायालयों में अपील दायर की गईं। न्यायालयों ने मामले की तह में जाकर अपने फैसले दिये हैं और मैं आशा करता हूं न्यायालय अब भी इसके लिए सक्षम हैं। इसकी जांच अब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। मेरा विचार है कि इस प्रकार की शिकायत करने की सही जगह न्यायालय है। संसद नहीं।

मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किए जाने का अनुरोध कई ओर से किया गया है जिससे कि कुछ और लोगों को भी मताधिकार मिल जाये। संसार के कई बड़े देश जिनमें गणतंत्र कई दशक पुराना हो चुका है, जो इसे घटाकर 18 नहीं कर सके हैं। कुछ देशों में यह अभी-अभी किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारा अनुभव बहुत ही थोड़ा है तथा किशोरावस्था में युवकों को राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके लिए बहुत ही प्रबुद्ध मस्तिष्क की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में संविधान का संशोधन करने की बात भी कही गई है। पर हम कोई भी कदम शीघ्रता में नहीं उठा सकते तथा उचित समय पर इस पर विचार किया जा सकता है।

चुनाव विधि में संशोधन किए जाने की बात कही गई। पिछली लोकसभा में इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई थी, पर लोकसभा के समाप्त कर दिए जाने के कारण उसका कार्य

बीच में ही रुक गया इस पर सावधानी से विचार किया जा रहा है और उचित समय पर सम्बन्धित व्यक्तियों से इस बात पर चर्चा की जायेगी ।

जहां तक स्याही आदि का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं कल बता चुका हूं अब उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा ।

Shri Virendra Singh Rao (Mahendragarh) : It has been said by the Minister concerned that the procedure adopted in the recent elections was fool proof. But I would like to say one thing that when it was fool proof why Shrimati Gandhi asked for a Election Commission observer. This shows that elections were not fare and free. In my state, Haryana the State Government played a leading role in adopting mal-practices. People were pressed to vote a particular party. Even force was used by Government officials. I do not put any doubt on Election Commission, but it is the duty of the Commission to have fare and free elections. My contention is this that the Commission was not allowed to work freely. It was not given proper transport facilities for sending its observers in different constituencies. In the light of all these things I would like to suggest that the number of the members of the Election Commission should be increased and it should be given some more powers; It should have the power to suspend the officers engaged on election duty. I hope the Election Commission will thus be strengthened,

Looking towards the situation of our neighbouring country we should strengthen our defence. We should try to have national integration and that cannot be done without having common link language. The President did not mention any thing about the tranrsfer of Chandigarh to Punjab and Fazilka to Haryana.

For eradicaling poverty we should increase our national wealth. Thus has been an increase in food grains production. It was 100 percent in Haryana during the time of S. V. D. Ministry.

Stress us being placed on land reforms and land ceillng but when the question of urban property ceiling comes our Constitution comes in the way. This anomoly should be removed.

If you want to increase food production incentive should be given to farmers, but instead you are lowering the prisces of agricultural produce. The officers sitting in the agricultural department do not know anything about the villages and agriculture. How far this state of affair can go.

श्री बालकृष्णन पिल्ले (मावेलिक्कुरी) : मेरे राज्य केरल के साथ उद्योगों आदि के विकास अथवा स्थापना तथा रेलों के निर्माण के सम्बन्ध में न्याय नहीं किया गया है । उसे उसका उचित भाग नहीं मिला है । परिणामस्वरूप वहां बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है । मेरा राज्य केरल भारत के राज्यों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । वहां सबसे अधिक साक्षरता है, पर वहां अनुमानतः सबसे कम धन सरकार ने खर्च किया है । हमारा मुख्य उद्योग नारियल जटा उद्योग और काजू उद्योग आजकल बन्द पड़ा है और इसमें छः लाख लोग बेकार पड़े हैं । केन्द्रीय सरकार यदि तुरन्त इसमें कुछ रुचि ले तो मामला हल हो सकता है और इन उद्योगों को बचाया जा सकता है केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, गोआ आदि में फैले इन उद्योगों में समान वेतन निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन बोर्ड जी स्थापना की जानी चाहिए ।

राज्य व्यापार निगम को काजू निगम स्थापित करने को कहना चाहिये जो काजू व्यापार को उद्योगपतियों से अपने हाथ में वास्तविक उत्पादन मूल्य पर नाममात्र का लाभ देकर ले ले ।

राज्य-व्यापार निगम या काजू निगम से केरल राज्य काजू विकास निगम को उचित मूल्य पर काजू बेचने को कहा जाये।

राज्य व्यापार निगम या काजू निगम को उद्योगपतियों को किसी एक एकक में काम कर रहे मजदूरों के आधार पर काजू का कोटा देना चाहिए।

क्योंकि उद्योग आयात पर आधारित है इसलिए इसे औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और पूंजी की सीमा को हटा देना चाहिए।

यह बात सभी कार्मिक संघों ने मानी है तथा इसे केन्द्रीय सरकार को शीघ्र लागू करने के लिए भेजा गया है।

नारियल जटा उद्योग के बारे में श्री ए० के० गोपालन ने कहा कि इस उद्योग में लगभग 10 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। उन्हें एक रुपये प्रतिदिन से कम मजूरी मिलती है। उन्हें जीवन-निर्वाह हेतु मजूरी मिलनी चाहिए। अब स्थिति यह है कि उनमें से 6 लाख व्यक्ति बेरोजगार है।

भारत में कुल उत्पादित कच्ची रबड़ में केरल प्रदेश का प्रमुख योगदान है। पहले हम श्री लंका व अन्य देशों से रबड़ का आयात करते थे, जबकि अब स्वयं ही उत्पादन कर रहे है। केरल के लघु उत्पादकों द्वारा 90% रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इन लघु उत्पादकों को 5·20 रु० प्रति किलो ग्राम मूल्य दिये जाने की गारंटी दी गई थी, परन्तु लघु उत्पादकों को यह मूल्य मिल नहीं रहा; जबकि बड़े उत्पादक इस मूल्य पर रबड़ को बेच रहे हैं। रबड़ बोर्ड का अध्यक्ष निर्माताओं के साथ पक्ष-पात कर रहा है और लघु उत्पादकों को बिनाश करने पर तुला हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष को हटाये जाने के लिए हमने कई बार अभ्यावेदन भी दिये हैं।

एक छोटी सी पार्टी के नेता के रूप में मैं प्रधानमन्त्री और सरकार को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि निर्धन समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो भी संविधान में संशोधन किये जायेंगे, मेरी पार्टी इन सबका समर्थन करेगी। हमें यह सिद्ध करना है कि संसद ही सर्वोपरि है।

हमने केवल चौदह बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण किया है। यह पर्याप्त नहीं है। हमें छोटी और बड़ी, विदेशी और भारतीय सभी प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

Shri Mool Chand Daga (Pali) : The ways and means for removal of poverty have not been reflected either in Presidential Address or in the Budgct speech. Our talk of removal of poverty would not be meaningful unless we abolish the office of Governor, form small cabinets in the states, impose aceiling on urban property and distribute surplus land of those people who own thousand bighas of land.

Our actions and thought, do not reflect a simple way of life. We should reduce our expenses. We have said time and again that poverty would be removed from the country, but what effective steps have been taken in that direction. We should abolish privy purses and privileges of ex-rulers forthwith and force a ceiling on urban property.

An Act regarding ceiling on land holdings was passed by state legislature of Rajasthan in 1958, but it was not implemented till 1970. Some times Acts are passed by the legislature, but they are not implemented. Acts are passed neither in national language not in the regional languages. Either the rich or the persons on higher posts are benefited by such Acts.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhuna) : I support the motion of thanks on President's Address. This Address can be divided in two subjects—Economic programme and Foreign policy.

We had adopted a policy of Non-alignment at the time of independance. But we should view our foreign policy of Non-alignment to ensure that the number of our friends goes on increasing.

The people of this country have expressed their faith in us. They believed the seriousness and sincerity of our Prime Minister. The President has said in his Address that villages would be electrified and rural areas would also be developed. The agricultural sector should be given their due share of the total electricity produced. Only then the villages could be developed.

There is another problem of land reforms. The pressure on agricultural land should be diverted towards industrial sector for rapid economic progress.

A vast area of Rajasthan is all desert. The work relating to Rajasthan Canal has not yet been completed. Crores of rupees have been spent on Khetri Project, but it has not gone into production so far.

We should pay special attention towards public sector projects and undertakings. The high officers in the Govt. machinery do not want that public sector should prove beneficial, because these very officers seek jobs in the private sector after their retirement from Government service. Such a practice should be banned by the Government.

Rajmata Gayatri Devi made many allegations regarding misuse of Government machinery and especially that of All India Radio. I would like to say that false propaganda was made through All India Radio by the opposition parties. It was boadcast over All India Radio at 5.15 P.M. on 10th March that Mr. K.K. Birla was leading by 14 thousand votes, whereas fact remains that even the country had not begun then. The opposition parties spent money very extravagantly and used all illegal means.

They was the elections in the name of Rajas and Maharajas. We want to do away with the fendal system. All the citizens in the country are equal and we would suitably amend the constitution for that purpose.

Some people say that right to property is their fundamental right guaranteed by the constitution. I would like to say that the constitution has also guaranteed oblition of poverty and employment apportunities to all. It has also guaranteed food for all and a room to live in.

The Judges of the Supreme Court would have to change their outlook. The Supreme Court would also have to change its working in the changed circumstances and in deference to the wishes of masses.

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 1 अप्रैल, 1071/11 चैत्र, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the Ist April 1971/Chaitra 11, 1893 (Saka).

Sumer Printing Press, Ganesh Nagar, New Delhi-18